ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT

साप्ताहिक समसामयिकी

अक्टूबर 2018 अंक 03

विषय सूची

अक्टूबर 2018
अंक-3

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-19

- अर्थव्यवस्था का सहकारी मॉडल एक बेहतर विकल्प
- स्वच्छता और स्वास्थ्य : मानव जीवन की मौलिक आवश्यकता
- असुरक्षित गर्भपात : भारत में मातृ मृत्युदर का एक बड़ा कारण
- भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों में एक नया आयाम
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसकी प्रभावकारिता
- इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का बढ़ता संकट
- भारतीय शेरों पर मंडराता खतरा

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 20-24

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 25-32

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 33-41

सात महत्वपूर्ण तथ्य 42

सात महत्वपूर्ण सम्मेलन 43-45

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 46

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. अर्थव्यवस्था का सहकारी मॉडल एक बेहतर विकल्प

चर्चा का कारण

गुजरात में अमूल की चॉकलेट फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए 'कॉपरेटिव मॉडल' (सहकारी मॉडल) पूँजीवाद और समाजवाद (Socialism) का बेहतर विकल्प हो सकता है। पूरी दुनिया ने समाजवाद और पूँजीवाद को देख लिया, अब कॉपरेटिव आंदोलन की बारी है। इस व्यवस्था में, न सरकार फैसला लेती है और न ही उद्योगपति फैसला लेते हैं, यहाँ सामूहिकता मायने रखती है। इस लक्षण के कारण कार्पोरेटिव मॉडल अपने आप में एक अनोखा मॉडल है। पीएम मोदी ने कहा, 'कुछ सालों में अमूल अपने 75 साल पूरा कर लेगा। हम यह सोचें कि अमूल अपनी 75वीं वर्षगांठ और 2022 के लिए क्या लक्ष्य रख सकता है, जब भारत अपनी आजादी का 75वाँ साल मना रहा होगा।'

अर्थव्यवस्था का पूँजीवाद मॉडल

पूँजीवाद से अभिप्राय, ऐसी विचारधारा से है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में निजीकरण को बढ़ावा देती है और राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप को कम करती है। पूँजीवाद की विचारधार को मुख्य रूप से पश्चिमी देशों ने बढ़ावा दिया, जिसके निम्न कारक उत्तरदायी थे-

1. प्रोटेस्टेन्ट धर्म
2. एडम स्मिथ का अहस्तक्षेप सिद्धान्त

प्रोटेस्टेन्ट धर्म का उत्थान रोमन कैथोलिक धर्म के विरोध (प्रोटेस्ट) के फलस्वरूप हुआ। प्रोटेस्टेन्ट धर्म/आन्दोलन में परलोक को नकारा गया और इहलोक के सिद्धान्त को ग्रहण किया गया। इसमें मनुष्य को केन्द्र में रखकर उसके अधिकतम सुख की बात की गयी और अधिकतम सुख की प्राप्ति भौतिक व अन्य चीजों से होती है। फलस्वरूप अधिक उत्पादन व निजीकरण को बढ़ावा मिला।

इसके बाद अर्थशास्त्र के पितामह कहे जाने वाले विद्वान ''एडम स्मिथ'' ने अपनी पुस्तक (वेल्थ ऑफ नेशन्स) में 'अहस्तक्षेप के सिद्धान्त' को दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार उत्पादन गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए और आर्थिक प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप के बजाए माँग एवं पूर्ति शक्तियों को स्वतंत्र अंतर्क्रिया करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उत्पादक स्वतंत्रतापूर्वक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन (माँग के अनुसार) करके अधिकतम लाभ कमा सकें। इसके अलावा पूँजीवादी प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को निजी सम्पत्ति का स्वामी होने का अधिकार प्राप्त होता है और वह अपना व्यवसाय चुनने को भी स्वतंत्र होता है।

अर्थव्यवस्था का समाजवाद मॉडल

पूँजीवाद के नकारात्मक प्रभावों के चलते आर्थिक प्रणाली हेतु समाजवाद का उदय हुआ, इसमें देश के उत्पादक संसाधनों पर समाज के बेहतर हितों की पूर्ति के लिए एक केन्द्रीय शक्ति या सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण रहता है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा लिये जाते हैं और 'माँग एवं पूर्ति' की शक्तियों की भूमिका अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है।

किन्तु समाजवादी अर्थव्यवस्था को आज के विश्व में देखा जाना लगभग असंभव प्रतीत होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के नेतृत्वकर्ता देश नब्बे के दशक से तीव्र परिवर्तनों से गुजरे हैं और आर्थिक विकास के लिए वे अपने-अपने देशों में उदारीकरण (पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के तत्वों) को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

भारत ने अपनी आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया। इसमें समाजवाद और पूँजीवाद की अच्छी विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है अर्थात् मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व रहता है। आज अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती जा रही है, इस बात की पुष्टि आक्सफैम (Oxfam) के सर्वे से स्पष्ट होती है जिसमें कहा गया है कि भारत में 73 प्रतिशत धन 1% लोगों के हाथों में संचित (accumulated) है। आय की विषमता की परिस्थितियाँ जब अपनी चरम अवस्था पर हैं तब 'कॉपरेटिव मॉडल' अर्थव्यवस्था के लिए एक नई किरण के रूप में अपनी स्थिति दर्ज कराता है।

अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना 'सहकार या सहयोग' (Cooperation) कहलाता है और इस विचारधारा को सहकारिता कहते हैं। जब इस विचारधारा पर आधारित विभिन्न संस्थाएँ या कम्पनियाँ बनती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को गतिमान करती हैं तो ऐसी आर्थिक प्रणाली 'सहकारी (कॉपरेटिव) मॉडल' पर आधारित मानी जाती है।

सहकारिता का सिद्धान्त 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है किन्तु आज यह अपने विराट रूप को प्रदर्शित कर रहा है। भारत में भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से चल रहा सहकारिता आंदोलन आज लगभग हर क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति को दर्ज करा रहा है और देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इसके चलते देशवासी आर्थिक रूप से समृद्ध तो हुए ही हैं, साथ ही बेरोजगारी की समस्या भी बहुत हद तक कम हुई है।

सहकारी मॉडल

सहाकरिता (cooperative) का अर्थ है, 'मिल-जुलकर काम करना'। हमारी संयुक्त परिवार व्यवस्था सहकारिता का एक अच्छा उदाहरण है। जब हम सहाकारिता की बात करते हैं तो हमारा मुख्य आशय आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने से होता है। हमारी सभी आवश्यक वस्तुएँ सहयोग

द्वारा जुटाई जाती हैं और आज के युग में कोई भी काम सहयोग के बिना पूरा करना लगभग असम्भव है।

हमारी प्रगति आपसी सहयोग पर निर्भर है। सहकारी मॉडल में समान आवश्यकता वाले व्यक्ति परस्पर सहयोग की भावना से समानता, सामूहिक चेतना, आम सहमति से आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते हैं तथा बदले में प्रतिफल पाने के हकदार होते हैं। कॉपरेटिव मॉडल पर गठित सहकारी संस्थाओं की निम्नलिखित विशेषताएँ एवं लाभ हैं-

1. इस मॉडल पर गठित सहकारी संस्थाएँ अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से निरंतर विकास के लिए कार्य करती हैं। ऐसे कार्य हाथ में नहीं लेती हैं, जिससे समाज या समुदाय को किसी भी प्रकार की हानि की सम्भावना हो।
2. इन संस्थाओं में प्रतिफल किसी एक व्यक्ति के हाँथों में संचित नहीं होता है बल्कि संस्था के सदस्यों में इसे नीतियों के हिसाब से समान रूप से वितरित किया जाता है, जिससे आर्थिक विषमता की खाई पैदा नहीं होती है।
3. **स्वैच्छिक संस्थाः** एक व्यक्ति किसी भी समय सहकारी संस्था का सदस्य बन सकता है, जब तक चाहे उसका सदस्य बना रह सकता है और जब चाहे सदस्यता छोड़ सकता है।
4. वर्तमान में भूमण्डलीय बेरोजगारी 200 करोड़ और नवयुवकों की बेरोजगारी 40 करोड़ के लगभग हो गई है, ऐसे में सहकारिता के सिद्धान्त ने एक बेहतर विकल्प उपलब्ध कराया है क्योंकि यह श्रम गहनता वाला क्षेत्र है। उल्लेखनीय है कि सहकारिता का अधिकतर लाभ किसान, श्रमिक एवं कमजोर वर्गों ने उठाया है।
5. **आबद्ध खुली सदस्यताः** सहकारी संस्था की सदस्यता समान हितों वाले सभी व्यक्तियों के लिए खुली होती है। जाति, लिंग, वर्ण अथवा धर्म के आधार पर सदस्यता प्रतिबंधित नहीं होती, परन्तु किसी विशेष संगठन के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सीमित हो सकती है।
6. सहकारिता मनुष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण नैतिक माध्यम है और यह अपने ढाँचे में समेकित विकास के संसाधनों को मनुष्य केन्द्रित उद्देश्य की ओर ले जाने के साधनों को समाहित करती है।
7. **वित्तीय स्रोतः** सहकारी समिति में पूंजी सभी सदस्यों द्वारा लगाई जाती है। इसके अलावा, पंजीकरण के बाद समिति ऋण ले सकती है। सरकार से अनुदान भी प्राप्त कर सकती है।
8. **सेवा उद्देश्य :** एक सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों की सेवा करना है, यद्यपि यह अपने लिए उचित लाभ भी अर्जित करती है।
9. **मताधिकारः** एक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकर होता है चाहे उसके पास कितने ही अंश (शेयर) हों। अतः इससे स्पष्ट है कि सहकारी संस्था का प्रबंधन लोकतांत्रिक होता है और यह 'एक व्यक्ति- एक मत' की संकल्पना पर आधारित होता है।

10. सहकारिता, समानता आधारित विकास को समपोषित करती है। इसने 2008 की आर्थिक मंदी से अर्थव्यवस्थाओं को उभारने में अन्य किसी भी आर्थिक तंत्र से अपने आपको बेहतर साबित किया है। शोध बताते हैं कि किसी भी सार्वजनिक कम्पनी की तुलना में सहकारी संस्था ज्यादा समानता आधारित विकास को प्रोत्साहित करती है।
11. **मध्यस्थों के लाभ का उन्मूलनः** सहकारी संस्था में सदस्य उपभोक्ता अपने माल की आपूर्ति पर स्वयं नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि माल उनके द्वारा सीधे ही विभिन्न उत्पादकों से क्रय किया जाता है। इसलिए इन संस्थाओं के व्यवसाय में मध्यस्थों को मिलने वाले लाभ का कोई स्थान नहीं रहता।
12. **सीमित देनदारीः** सहकारी संस्था के सदस्यों की देनदारी केवल उनके द्वारा निवेशित पूंजी तक ही सीमित है। एकल स्वामित्व व साझेदारी के विपरीत सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की व्यक्तिगत सम्पत्ति पर व्यावसायिक देनदारियों के कारण कोई जोखिम नहीं होता।
13. **स्थिर जीवनः** सहकारी संस्था का कार्य काल दीर्घ अवधि् तक स्थिर रहता है। किसी सदस्य की मृत्यु, दिवालियापन, पागलपन या सदस्यता से त्यागपत्र देने से संस्था के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

सहकारी समितिः सहकारी संस्था का सफल उदाहरण

आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्थाबद्ध हुए लोग, जो व्यवसाय चलाकर समाज की आर्थिक सेवा तथा संस्था के सभी सदस्यों को आर्थिक लाभ कराते हैं, को 'सहकारी समिति' के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के व्यवसाय में लगने वाली पूँजी संस्था के सभी सदस्यों द्वारा आर्थिक योगदान के रूप में एकत्रित की जाती है। पूँजी में आर्थिक हिस्सा रखने वाला व्यक्ति ही उस सहाकारी संस्था का सदस्य होता है।

भारत में सहकारिता से संबंधित कानून 1904 में अंग्रेजों ने बनाया था। कानून बनने के बाद अनेक संस्थाएँ इस क्षेत्र में कार्य करने हेतु पंजीकृत हुयी। सहाकारिता में समाजहित को देखते हुए सरकार द्वारा बहुत तेजी से इसकी वृद्धि हेतु प्रयास किये गए।

एक सहकारी उपक्रम को 'सहकारी समिति अधिनियम, 1912' अथवा राज्य सरकार के 'संबद्ध सहकारी समिति अधिनियम' के अंतर्गत

पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। इस प्रकार सहकारी समिति का अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।

एक अनुमान के अनुसार देशभर में करीब 5 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ सक्रिय हैं, जिनमें करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये समितियाँ अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं लेकिन कृषि, उर्वरक और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में इनकी भागीदारी सर्वाधिक है। अब तो बैंकिंग के क्षेत्र में भी सहकारी समितियों की संख्या निंरतर बढ़ रही है।

सहकारी समितियों के प्रकार

सहकारी समितियों का वर्गीकरण उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के आधार पर किया जा सकता है। सहकारी समितियों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं :

- **उपभोक्ता सहकारी समितियाँ:** उपभोक्ताओं को यह उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। ये समितियां आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं। ये सीधे उत्पादकों और निर्माताओं से माल खरीद कर वितरण श्रृंखला से मध्यस्थों का उन्मूलन कर देती हैं। इस प्रकार माल के वितरण की प्रक्रिया में मध्यस्थों का लाभ समाप्त हो जाता है और वस्तु कम मूल्य पर सदस्यों को मिल जाती है। कुछ सहकारी समितियों के उदाहरण हैं- केन्द्रीय भंडार, अपना बाजार, सुपर बाजार आदि।
- **उत्पादक सहकारी समितियाँ:** ये समितियाँ छोटे उत्पादकों को उत्पादन के लिए कच्चा माल, मशीन, औजार, उपकरण आदि की आपूर्ति करके उनके हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं। हरियाणा हैंडलूम, बायानिका, एपको (APPCO) आदि उत्पादक सहकारी समितियों के उदाहरण हैं।
- **सहकारी विपणन समितियाँ:** ये समितियां उन छोटे उत्पादकों और निर्माताओं द्वारा बनाई जाती हैं, जो अपने माल को स्वयं बेच नहीं सकते। समिति सभी सदस्यों से माल इकट्ठा करके उसे बाजार में बेचने का उत्तरदायित्व लेती है। अमूल दुग्ध पदार्थों का वितरण करने वाली 'गुजरात सहकारी दुग्ध वितरण संघ लिमिटेड' सहकारी विपणन समिति का उदाहरण है।
- **सहकारी वित्तीय समितियाँ:** इस प्रकार की समितियों का उद्देश्य सदस्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। समिति सदस्यों से धन इकट्ठा करके जरूरत के समय उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। ग्राम सेवा सहकारी समिति और शहरी सहकारी बैंक, सहकारी ऋण समिति के उदाहरण हैं।
- **सहकारी सामूहिक आवास समितियाँ:** ये आवास समितियाँ अपने सदस्यों को आवासीय मकान उपलब्ध कराने हेतु बनाई जाती हैं। ये समितियाँ भूमि क्रय करके मकानों अथवा फ्लैटों का निर्माण कराती हैं तथा उनका आबंटन अपने सदस्यों को करती हैं।

अमूल (आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड् = AMUL), भारत में सहकारिता का सवोत्तम उदाहरण है। इसका मुख्यालय आनंद (गुजरात) में स्थित है। डॉ. वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में शुरू हुआ सहकारिता के इस आंदोलन ने भारत को संसार का सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। इसने ग्रामीण विकास का एक सम्यक मॉडल प्रस्तुत किया है। अमूल की सफलता से प्रेरित होकर 1967 में केन्द्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड' की स्थापना की गयी।

बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद युनुस ने सहाकरिता से प्रेरणा लेते हुए 'ग्रामीण बैंक मॉडल' को व्यावहारिक धरातल पर अभूतपूर्व सफलता दिलायी। इसमें गरीबों को सूक्ष्म ऋण व बैंकिंग सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं। इस मॉडल की संरचना है-

ग्रामीण बैंक

निवेश (Investment): गरीब महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने हेतु 'सूक्ष्म ऋण' उपलब्ध कराये जाते हैं।

रिफंड (Refund): बहुत ही कम ब्याज दरों पर पाए हुए 'ऋण' से महिलायें लाभ कमाकर उसे अदा करती हैं।

पुनर्निवेश (Reinvestment): दिये गए ऋण से प्राप्त आय को पुन: अन्य गरीबों को ऋण दिया जाता है (उल्लेखनीय है कि ऋण बहुत कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराया जाता है)।

स्थानीय विकास (Local Development):

- ऋण (Loan), बचत खाता, पेंशन
- शिक्षा
- महिला सशक्तीकरण
- बैंक के लाभांश का उनके शेयरधारकों में वितरण कर दिया जाता है (उल्लेखनीय है कि इस बैंक को गरीब ग्रामीणों ने सहाकारिता के सिद्धान्त पर मिलकर बनाया है)।

सहकारी समिति की सीमाएँ

उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त सहकारी समिति संगठन की कुछ सीमाएं भी हैं-

- **अभिप्रेरण की कमी:** लाभ कमाने का उद्देश्य न होने के कारण सहकारी समिति के सदस्य पूर्ण उत्साह एवं समर्पणभाव से कार्य नहीं करते।
- **सीमित पूँजी:** साधरणतया सहकारी समितियों के सदस्य समाज के एक विशेष वर्ग के व्यक्ति ही होते हैं। इसलिए समिति द्वारा एकत्रित की गई पूंजी सीमित होती है।
- **प्रबंधन में समस्याएँ:** सहकारी समिति का प्रबंधन प्राय: विशेष कुशल नहीं होता क्योंकि सहकारी समिति अपने कर्मचारियों को कम पारिश्रमिक देती है।
- **प्रतिबद्धता का अभाव:** प्रतिबद्धता का अभाव : सहकारी समिति की सफलता उसके सदस्यों की निष्ठा पर निर्भर करती है जिसे न तो आश्वस्त किया जा सकता है और न ही बाध्य किया जा सकता है।
- **सहयोग की कमी:** सहकारी समितियाँ परस्पर सहयोग की भावना से बनाई जाती हैं लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि व्यक्तिगत मतभेदों और अहंभाव के कारण सदस्यों के बीच लड़ाई-झगड़ा और तनाव बना रहता है। सदस्यों के स्वार्थपूर्ण रवैये के कारण कई बार समितियाँ बंद भी हो जाती हैं।

आगे की राह

- सहकारिता आंदोलन की पूर्ण सफलता के लिए आवश्यक है कि इसके व्यवहारिक उपकरणों (यथा-सहाकारी समितियाँ) की नियमित जाँच, सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण होना चाहिए। तभी ये ग्रामीण विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगी, जिस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गयी है।
- सहकारी संस्थाओं में कुशल प्रबंधन को बढ़ावा देना होगा और इसके सदस्यों को समय-समय पर आधुनिक प्रौद्योगिकी की जानकारी हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- सहकारी संस्थाओं में आपसी वाद-विवाद और भाई-भतीजावाद आदि को मिटाना होगा।
- इनमें राजनीतिक दखलंदाजी को भी नगण्य स्तर पर लाना चाहिए।

- सहाकारी समितियों का उद्देश्य आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक व नैतिक विकास करना भी था लेकिन देखने में आया है कि ये समितियाँ मात्र वित्तीय समितियाँ बनकर रह गयी हैं, अत: इनको सामाजिक व नैतिक विकास की ओर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा।
- सहकारी साख समितियों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी है, अत: सरकार को इस ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ आदि वैश्विक वित्तीय संस्थाओं से भी सहकारी संस्थाओं को वित्तीय मदद लेनी चाहिए। जैसा कि वर्गीस कुरियन ने अपनी सहकारी संस्था के लिए विश्व बैंक से धन उधार लिया था।
- सहाकारी समितियों की स्थापना देश में सभी जगह समान रूप से नहीं हो पायी है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)

यह सहकारिता के समग्र विकास हेतु सहकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान करता है। जिसमें सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण शामिल हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग -गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबधित मुद्दे, निवेश मॉडल।
- समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न मुद्द।

■

2. स्वच्छता और स्वास्थ्य : मानव जीवन की मौलिक आवश्कता

चर्चा का कारण

हाल ही में वैश्विक स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पहली बार दिशा-निर्देश जारी करते हुए विश्व स्वास्थ संगठन (WHO) ने चेतावनी दी है कि दुनिया वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी।

डब्ल्यूएचओ (WHO) की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर सिफारिशें

- स्वच्छता संबंधी मध्यवर्ती इकाइयों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी समुदायों की ऐसे शौचालयों तक पहुँच सुनिश्चित हो जहाँ मल-मूत्र आदि का सुरक्षित निपटान हो।
- व्यक्तियों और समुदायों को मल-मूत्र के संपर्क से बचाने के लिये पूर्ण स्वच्छता प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन किया जाना चाहिये। चाहे वह जोखिम असुरक्षित शौचालयों के कारण हो, या फिर मानव अपशिष्टों के अपर्याप्त उपचार भंडारण के लीक होने के कारण हो।
- स्वच्छता को नियमित रूप से स्थानीय सरकार की अगुआई वाली योजना और सेवा प्रावधान के अंतर्गत एकीकृत किया जाना चाहिये ताकि स्वच्छता को पुन: संयोजित करने और स्थायित्व सुनिश्चित करने से जुड़ी उच्च लागत पर रोक लगाई जा सके।
- स्वास्थ्य क्षेत्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये स्वच्छता योजना में अधिक निवेश करना चाहिये और साथ ही समन्वयक की भूमिका निभानी चाहिये।

पृष्ठभूमि

विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने वाली संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुषांगिक इकाई है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गयी थी। इसके 193 सदस्य देश तथा दो संबद्ध सदस्य है। इसका मुख्यालय स्विटजरलैंड के शहर जेनेवा में स्थित है। भारत भी इसका सदस्य है। भारत की राजधानी दिल्ली में इसका भारतीय मुख्यालय स्थित है। उल्लेखनीय है कि इसकी पूर्ववर्ती संस्था 'स्वास्थ्य संगठन' लीग ऑफ नेशन्स की एजेंसी थी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वच्छता तथा स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का उद्देश्य सभी का स्वास्थ्य तथा कल्याण सुनिश्चित करना है एवं यह मानव स्वास्थ्य तथा विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इन दिशा निर्देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा नीति, सरकारी प्रयास, स्वच्छता तकनीकी का क्रियान्वयन, व्यवहारिक बदलाव, रिस्क बेस्ड मैनेजमेंट तथा मॉनिटरिंग दृष्टिकोण इत्यादि शामिल हैं।

वैश्विक मार्गनिर्देशों की आवश्यकता क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन समय-समय पर स्वच्छता संबंधी आंकड़े जारी करता रहता है। डब्ल्यूएचओ (WHO) के इन आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में लगभग 2.3 अरब लोग ऐसे हैं जिन्हें जरुरी स्वच्छता सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं है। साथ ही विश्व की लगभग आधी आबादी ऐसी भी है जो खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। वही विश्व भर में लगभग 4.5 लोगों के पास सुरक्षित तरीके से प्रबंधित स्वच्छता सेवा उपलब्ध नहीं है जो किसी नाले अथवा गड्ढा अथवा सेप्टिक टैंक से जुड़ा हो। ध्यान योग्य बात है कि शौचालय नहीं होने से लोगों की गरिमा और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है।

इससे अस्वच्छता के साथ कई गंभीर बीमारियाँ भी फैलती है जो जन-जीवन को प्रभावित करती हैं। यहाँ यह बात साफ होती है कि स्वच्छता मानव स्वास्थ्य एवं विकास की आधारशिला होती है इसलिए विश्व-भर के स्वास्थ्य मंत्रालय और WHO इसके लिए कार्यरत रहते हैं। जहाँ तक WHO के दिशा-निर्देशों का सवाल है तो उसे निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत देखा जा सकता है।

मार्गनिर्देशों का महत्त्व

- ऊष्ण कटिबन्ध में कई रोगों का फैलाव अच्छी स्वच्छता के अभाव के कारण होता है। करोड़ों लोग इस सुविधा से वंचित हैं।
- WHO को नए मार्गनिर्देश इसलिए बनाने पड़े कि वर्तमान में इस विषय में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे प्रत्याशित लाभ नहीं हो पा रहा है और स्वच्छता के बारे में स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रमाणिक निर्देश उपलब्ध नहीं थे।
- इन दिशानिर्देशों का पालन करके गंदे पानी तथा अस्वच्छता के कारण होने वाले डायरिया से होने वाले मौतें रोकी जा सकती है।
- स्वच्छता पर खर्च किये गये प्रत्येक डॉलर से 6 गुना अधिक रीटर्न मिलता है ऐसा WHO का मानना है। इससे स्वास्थ्य लागत कम होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा समय से पूर्व मृत्यु में कमी आती है।

भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति

स्वच्छता और स्वास्थ्य को समान्यत: एक दूसरे का पूरक माना जाता रहा है। यह बात निर्विवाद है कि जहाँ स्वच्छता होगा वहाँ बेहतर स्वास्थ्य भी होगा। वर्तमान में स्वच्छता के अभाव से कई गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं। हाल ही के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि असुरक्षित पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई की कमी के कारण डायरिया जैसी बीमारियाँ होने से हर साल लगभग 8,29,000 मौते होती है। ये आंकड़े स्वच्छता के महत्व को बताने के लिए काफी है।

भारत में हालत अभी थोड़े सुधरे हैं, लेकिन यह अभी भी नकाफी है। वर्तमान में सरकार द्वारा 'स्वच्छता से स्वास्थ्य' पर बल उनकी स्वच्छता के प्रति दृढ़ता को दिखाता है लेकिन दुर्भाग्य यह रहा की यह व्यापक अभियान जिस तरह आज 'स्वच्छ भारत' के नाम पर चलाया जा रहा है ऐसा पहले कभी नही चलाया गया। यही कारण है कि जहाँ एक तरफ नगरीकरण हुआ वहीं दूसरी तरफ नगर कचरों, मलबों व ठोस अपशिष्टों में परिवर्तित होने लगा। नतीजतन स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियाँ साल दर साल बढ़ती रही।

गोरतलब है कि स्वतंत्रता से पूर्व ही गाँधी जी ने स्वच्छता पर बल देते हुए यह कहा था कि 'स्वच्छता ही मानव की सेवा है' जो न सिर्फ उस समय के भारत के लिए प्रसांगिक था बल्कि वर्तमान में तो उसका और भी महत्व बढ़ गया है। हर सरकार अपने स्तर पर इसके लिए कुछ न कुछ करती रही है लेकिन वर्तमान में व्यापक स्तर पर नीति व कार्य भी किया जा रहा है। वही व्यक्तिगत स्तर पर नेता लोगों और समाज से साफ-सफाई व स्वच्छता को प्रसारित करने की अपील भी किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि खुले में शौच की समस्या से निपटने में करीब 90 देशों की प्रगति बेहद धीमी रही है, वहीं भारत के हालात इस मामले में अच्छे हैं। WHO ने स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहन की है। WHO के अनुसार भारत ने खुले में शौच को समाप्त करने के लिये व्यापक स्तर पर काम किया है। भारत का 'स्वच्छ भारत मिशन' (स्वच्छ भारत कार्यक्रम) स्वच्छता संबंधी बुनियादी क्षेत्रों तक लोगों की पहुँच और लाखों लोगों के जीवन में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कई क्षेत्रों में समन्वित कार्य कर रहा है। ठीक इसी तरह अफ्रीका में एक नेता सेनेगल द्वारा स्वच्छता व स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किए गए कार्यो को भी सराहाया गया। उन्होने स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु गड्ढा युक्त शौचालयों और सेप्टिक टैंक की भूमिका पर बल दिया इससे प्रभावित होकर भारत सरकार भी निजी क्षेत्र के साथ गड्ढों और सैप्टिक टैंकों को खाली करने और इनसे निकलने वाले अपशिष्टों के सुरक्षित उपचार के लिये अभिनव समाधान की योजना बना रही है। ऐसे कार्यों में संलग्न व्यक्तियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार सजग है जो मैला व सीवर जैसे सफाई कामों में कार्यरत हैं। कुछ समय से यह एक बड़ा बहस का मुद्दा रहा है कि जो सिवेज जैसे कार्यों में संलग्न हैं उन्हें उचित आर्थिक व तकनीकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए।

स्वच्छता को लेकर किए गए कार्यो की जहाँ एक तरफ प्रशंसा की जा रही है वही इसकी वर्तमान उपलब्धि को देखकर चिंता भी व्यक्त कि जा रही है। हाल ही में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता को लेकर आम-जन की बेरूखी पर दु:ख जताया गया। उन्होंने विश्व में भारत की स्वच्छता को लेकर छवी पर चिंता व्यक्त की। यहाँ हम स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को राज्य अनुसार समझ सकते हैं।

हर घर में शौचालय होना चाहिए। यह 21वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। दरअसल विश्व में करीब 100 करोड़ लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। ऐसे में दुनिया को 2030 तक इससे मुक्त करने का लक्ष्य है। यह तभी संभव है जब भारत 2019 तक खुले में शौच मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करता है क्योंकि भारत की करीब 60 करोड़ की आबादी इसमें शामिल है।

उल्लेखनीय है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। **ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राज्य खुले में शौच से मुक्त हो पाएंगे?** स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रगति अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ धीमी है। भारत को स्वच्छ बनाने हेतु इन राज्यों में युद्धस्तर पर उपयोगिक शौचालयों की आवश्यकता है।

केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) की वेबसाइट पर 19 जून, 2017 के उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में 2 अक्टूबर 2019 तक 6.4 करोड़ घरों में शौचालय बनाने की जरूरत है ताकि आधिकारिक तौर पर देश को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा सके। इन 6.4 करोड़ परिवारों में से उत्तर प्रदेश का हिस्सा 23 प्रतिशत, बिहार का 22 प्रतिशत, ओडिशा का 8 प्रतिशत और झारखंड का 4 प्रतिशत है साथ ही यहाँ साफ-सफाई की भी कमी है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर 36 प्रतिशत घरों (6.4 करोड़) में शौचालय नहीं है। बिहार में लगभग 70 प्रतिशत घरों तक शौचालय तक पहुंच नहीं है, वही ओडिशा में यह लगभग 59 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में यह 54 प्रतिशत है। इनकी तुलना में झारखंड बेहतर स्थिति में है जहां 47 प्रतिशत घरों में शौचालयों की आवश्यकता है।

इन राज्यों में मंत्रालय के अनुमान के अनुसार अधिक शौचालयों की जरूरत है। इसकी वजह है बड़ी संख्या में शौचालयों का अनुपयोगी होना। इन्हें उपयोग करने लायक बनाना होगा, तभी शौचालय तक लोगों की पहुंच होगी।

विदित हो कि देश में करीब 79 लाख शौचालय बेकार पड़े हैं। इन शौचालयों को उपयोग लायक बनाने के लिए या तो दोबारा बनाना होगा या इनकी मरम्मत करनी होगी। इन चार राज्यों में तो यह कार्य धीमा है। बता दे कि भारत में लगभग 4.8 लाख अनुपयोगी शौचालयों को चालू वर्ष के दौरान उपयोग में लाने योग्य बनाया गया है। इनमें से केवल 1-2 प्रतिशत ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं।

खराब प्रदर्शन के कारण

- स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने की होड़ सी चल रही है। बिहार सरकार को कुल 202 लाख घरों के लिए 70 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण अक्टूबर 2019 तक करना है। लेकिन विभिन्न स्वच्छता योजनाओं के अंतर्गत राज्य में बनाए गए 58 लाख शौचालयों में से 16 लाख शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत अभियान शुरू करने के बाद किया गया।
- वही इसके 50 प्रतिशत का निर्माण वित्त वर्ष 2016-17 में किया गया था। क्या इसका मतलब यह है कि राज्य सम्पूर्ण स्वच्छता को मन से अपना रहा है? यह बहुत स्पष्ट रूप से उभरकर आया है कि राज्य शौचालय का निर्माण खुले में शौच मुक्ति के आधिकारिक "प्रमाणपत्र" को प्राप्त करने के लिए कर रहे

हैं। लोग इन शौचालयों का इस्तेमाल करेंगे, यह पक्का नहीं है। इसका अर्थ है कि कुछ वर्षों के बाद, राज्यों में खुले में शौच करने की स्थिति फिर से वापस आ जाएगी। ध्यान योग्य बात है कि ऐसा यह क्यों कहा जा रहा है?

- यहां शौचालयों का इस्तेमाल करने के लिए जागरुकता और प्रोत्साहित करने का काम बहुत कम हुआ है।
- जहाँ एक ओर शौचालयों का निर्माण युद्ध-स्तर पर किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अपशिष्ट जल प्रबंधन की समझ की कमी भी दिखाई दे रही है। इस कारण अंत में शौचालय का उपयोग नहीं होगा और ये उस जगह को मलिन भी कर देगा जिससे खुले में शौच मुक्त उन्मूलन का उद्देश्य बाधित होगा।
- वित्त वर्ष 2016-17 में राज्य ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत उपलब्ध पूरी धनराशि को खर्च कर लिया है जिसका 90 प्रतिशत शौचालयों के निर्माण पर व्यय हुआ वही ठोस कचरा और अपशिष्ट जल प्रबंधन पर न के बराबर धनराशि खर्च की गई जिसने समस्या कि विकरालता को बढ़ाया है।
- देश भर में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर खुले में शौच करने वालों को प्रताड़ित करने के मामले भी सामने आ रहे हैं। राजस्थान में तो एक सामाजिक कार्यकर्ता को पीट-पीटकर मौत के घाट तक उतार दिया गया।
- वही दूसरी तरफ स्वच्छ भारत मिशन के कर्मचारियों द्वारा धड़ल्ले से प्रयोग में लाई जा रही दमनकारी हरकतें दिशानिर्देशों के बिल्कुल विपरीत रही हैं। ये नीतियाँ जनता में व्यवहारवादी परिवर्तन लाने की पक्षधर तो हैं लेकिन जनता के स्तर पर क्रियान्वित नही हो पा रही है।
- इस परिवर्तन गहन आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) एवं सामाजिक पक्षधरता के माध्यम से लाया जाना चाहिए जिसमें गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थानों एवं संसाधन संगठनों की भागीदारी अपेक्षित होना चाहिए।
- एक स्वतंत्र विश्लेषण के अनुसार 2016-17 की कालावधि में सरकार ने आबंटित राशि का मात्र 0.8 प्रतिशत जागरुकता अभियानों पर खर्च किया है जबकि एसबीएम के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यह राशि कुल आबंटन का आठ प्रतिशत होनी चाहिए।
- स्वच्छता के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सरकार ने अमिताभ बच्चन एवं अनुष्का शर्मा जैसी नामचीन हस्तियों की सहायता ली है। जनता को खुले में शौच करने से उत्पन्न होनेवाली समस्याओं के बारे में जागरूक कर पाने में ये विज्ञापन कितने सफल हो पाए हैं, इसका अभी अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।
- ऐसी आशंका जरूर प्रकट की जा रही है कि ऐसे विज्ञापन "दीन-हीन एवं मैले" लोगों के प्रति एक घृणा का भाव उत्पन्न कर सकते हैं।
- तमिलनाडु के सूखा पीड़ित जिले तूतीकोरिन की ग्राम पंचायत तित्तमपट्टी में उन लोगों को मनरेगा (महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत काम देने से इनकार कर दिया गया जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं। जारी किए गए इस मौखिक आदेश के फलस्वरूप करीब दो सौ किसानों को मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले रोजगार से वंचित रहना पड़ा। ऐसा तब हो रहा है जब राज्य सरकार ने सौ दिनों की इस योजना में पचास और दिनों की वृद्धि की ताकि सूखा पीड़ित किसानों को थोड़ी राहत प्रदान की जा सके।
- इस तुगलकी फरमान का विरोध करते हुए एक सत्तर वर्षीय किसान सी सुबैय्या ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
- वहीं हरियाणा में पंचायत चुनावों के तीन प्रतिभागियों ने हरियाणा पंचायत राज (संशोधन) एक्ट, 2015 के खिलाफ कानून की शरण ली है। इस एक्ट के मुताबिक, केवल वही प्रतिभागी पंचायत चुनाव लड़ने हेतु योग्य हैं जिनके घरों में शौचालय हों।
- प्रार्थी ने दलील दी है कि यह संशोधन संविधान के चौदहवें अनुच्छेद का उल्लंघन करता है जिसके अनुसार "सभी व्यक्तियों को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा"। इस तरह की सख्ती स्वच्छता को लेकर विरक्तिभाव पैदा करती है। जानकारों का मानना है कि अल्पकालीन समाधानों पर टिकी इस तरह कि प्रणाली के भावी घातक परिणाम हो सकते हैं

आगे कि राह

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि स्वच्छता न सिर्फ मानव स्वास्थ्य बल्कि विकास की भी मूलभूत नींव है। ऐसे में स्वच्छता के प्रति सजगता व्यक्तिगत स्तर पर जरूरी हो जाता है। इस पहल के तौर पर इसके महत्व को उन व्यक्तियों तक प्रसारित करने कि जरूरत है जो अशिक्षित हैं, व गंदी बस्तियों, इलाकों में रहते हैं। हाल ही में मेट्रो सिटी में इस तरह के प्रयास व्यापक स्तर पर रेडियो, पोस्टर, बैनर व मेट्रो द्वारा स्वच्छता सूचना, नुक्कड़ नाटकों, एनजीओ संगठनों आदि के माध्यम से किया जा रहा है जो सराहनीय है। यहाँ जरूरत इस बात कि है की ग्रामीण स्तर पर मलिन बस्तियों में भी ठीक ऐसी ही पहल व समय-समय पर सफाई अभियान चलाए जाए। इस संदर्भ सरकार द्वारा चलाया जा रहा मिशन कायाकल्प जैसी योजना को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यह मिशन आज सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहा है।

यहाँ स्वच्छता के साथ जरूरी है कि सरकार स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले बजट को भी बढ़ाए। वर्तमान में भारत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 1.3 प्रतिशत खर्च कर रही है, जबकि वैश्विक औसत 6 प्रतिशत हैं। यही कारण है कि हमारे देश में स्वच्छता की कमी साथ ही डॉक्टरों की कम संख्या के चलते आम-जन को ग्रामीण एवं शहरी अस्पतालों में भारी चिकित्सकीय व्यय उठाना पड़ता है। इन गंभीर मुद्दों को शामिल करते हुए नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, 2018 को तैयार किया गया है। उम्मीद की जा रही है कलांतर में स्वच्छता व स्वास्थ्य को लेकर सरकार उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज करेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

3. असुरक्षित गर्भपात : भारत में मातृ मृत्युदर का एक बड़ा कारण

चर्चा का कारण

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक असुरक्षित गर्भपात की वजह से भारत में प्रतिदिन दस महिलाओं की मौत होती है और हर साल लगभग 78 लाख गर्भावस्था समाप्त होती है। असुरक्षित गर्भपात देश में मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है। आंकड़ों में बात करें तो देश में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में 8 फीसदी वजह असुरक्षित गर्भपात होते हैं। ग्लोबल मेडिकल जर्नल, लांसेंट में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 15 लाख वार्षिक गर्भपात दर्ज हुए और इसके लिए इस्तेमाल हुई गर्भपात दवाओं, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टोल की 110 लाख इकाइयों की बिक्री दर्ज हुई।

असुरक्षित गर्भपात क्या है?

असुरक्षित गर्भपात वह है, जो किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से करवाया जाता है. उस के पास न तो कोई डिग्री होती है और न ही अनुभव। कानूनी तौर पर ऐसा व्यक्ति गर्भपात करने का अधिकार नहीं रखता है। असुरक्षित गर्भपात से दर्द, संक्रमण, संतानहीनता जैसी जटिलताएँ पनप सकती हैं। यहां तक कि मौत भी हो सकती है।

किसी भी महिला के जीवन में गर्भपात भावनात्मक रूप से बहुत व्यथित करने वाली घड़ी होती है। इस से जहां एक तरफ वह गर्भपात के कारण मानसिक तौर पर दुखी होती है, वहीं दूसरी तरफ शारीरिक स्तर पर भी उसे पीड़ा झेलनी पड़ती है। दोनों ही हालात में स्थिति चिंताजनक होती है। हालात तब और संजीदा हो जाते हैं जब गर्भपात असुरक्षित तौर पर करवाया गया हो।

सुरक्षित गर्भपात क्या है?

1 माह तक के गर्भ को दवा दे कर समाप्त किया जाता है, क्योंकि यह भ्रूण की शुरुआत होती है, इसलिए यह दवा से भी खत्म हो जाता है, लेकिन इस से अधिक समय के गर्भ की समाप्ति गर्भपात से ही की जाती है जो कि उपकरणों के माध्यम से होता है। सुरक्षित गर्भपात वैक्यूम ऐस्पिरेशन विधि से होता है। यह एक सरल और सुरक्षित तरीका है। डाइलेशन और क्यूरेटाज यह खुरच कर गर्भपात का तरीका है। गर्भ के बचेखुचे हिस्से को क्यूरेटर के जरीए निकाल दिया जाता है। क्यूरेटर चम्मच के आकार का एक उपकरण होता है।

भारत की स्थिति

लांसेंट ग्लोबल हेल्थ के हालिया अध्ययन के अनुसरा भारत में हर साल 15 मिलियन गर्भपात होता है जिसमें से केवल 22% गर्भपात निजी व सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से कराए गये। शेष 78% गर्भपात स्वास्थ्य सुविधाओं से परे हुए हैं।

द लांसेंट ग्लोबल हेल्थ मेडिकल जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार भारत में गर्भपात और अनजाने में गर्भधारण के आंकड़ों पर हुए देश के पहले बड़े पैमाने पर अध्ययन के अनुसार भारत में 48.1 लाख गर्भधारणों में हर तीसरा भ्रूण गर्भपात में समाप्त हो जाता है। आंकड़ो के अनुसार 2015 में करीब 15.5 मिलियन (1.56 करोड़) गर्भपात दर्ज किए गए जिसमें करीब 48 फीसदी गर्भधारण अनचाहे होते है और 0.8 मिलियन महिलाएं अपनी जान और स्वास्थ्य का जोखिम लेकर गर्भपात के लिए असुरक्षित तरीकों को अपनाती है। शोध के अनुसार 81 फीसदी महिलाएं घर में ही गर्भ-निरोधक गोलियों के सेवन से गर्भपात को अंजाम देती हैं, वहीं 14 फीसदी महिलाएं अस्पताल में जाकर गर्भपात कराती हैं।

सरकारी अस्पतालों में 22 फीसदी या 3.4 मिलियन गर्भपात किए गए थे। लेकिन 11.5 मिलियन या 73 फीसदी गर्भपात दवाओं के जरिए हुए और 0.8 मिलियन गर्भपात अनौपचारिक तरीके से हुए।

मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान के उर्वरता अध्ययन विभाग में प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा की 2015 में 3.4 मिलियन सार्वजनिक सुविधा आधारित गर्भपात कराए गये थे जो सरकार के बताये गए 2014-2015 के 701,415 गर्भपात के आंकड़ों का पांच गुना है। देश की गर्भपात दर 15 से 49 वर्ष के बीच प्रति हजार 47 महिलाओं की तुलना में पाकिस्तान 50, नेपाल और बांग्लादेश की तुलना में कम है, जिनकी संख्या क्रमशः 42 और 39 है।

कारण

- एमटीवी अधिनियम केवल एलोपैथिक डॉक्टरों को प्रसूति विज्ञान और रोग विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ अनुमति प्रदान करता है या सामान्य चिकित्सक जिन्होंने कानूनी रूप से गर्भपात सेवाएँ प्रदान करने के लिए 12 दिवसीय प्रमाणीकरण प्रशिक्षण लिया है अर्थात् प्रशिक्षित डॉक्टर तथा कर्मचारियों की कमी।
- भारत में 90,0000 से भी कम डॉ. इन मानदण्डों को पूरा करते हैं जो हर साल होने वाले 15 मिलियन गर्भपात के लिए अपर्याप्त हैं।
- इसके अलावा जो प्रशिक्षित डॉ. हैं उनका झुकाव शहरों की तरफ ज्यादा है जिससे अधिकांश ग्रामीण महिलाएं इन प्रशिक्षित डॉक्टरों की पहुँच से वंचित रह जाती हैं।
- अधिकांश भारतीय आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। बिहार और झारखण्ड में ग्रामीण समुदायों के बीच इंडिया डवेलपमेंट फाउंडेशन (आईडीएफ) द्वारा कराये गये सर्वेक्षण तथा बीएमजे (BMJ) 2017 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 30% महिलाओं को पता ही नहीं है कि भारत में गर्भपात कानूनी रूप से मान्य है और उनमें से केवल 2% ही जानते है कि गर्भपात 20 सप्ताह तक वैध है। अर्थात गर्भपात को लेकर जागरूकता की व्यापक कमी है।
- बीएमसी हेल्थ सर्विसेज रिसर्च 2017 में प्रकाशित अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को द्वितीयक या तृतीयक स्तर की गर्भपात से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए औसत 26 किमी. की यात्रा करना पड़ता है। इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने में कार्य दिवस की हानि, यात्रा की लागत काफी अधिक होती है।
- डब्लूएचओ के अनुसार भारत जैसे देश में जहां हर साल 45 हजार महिलाएं बच्चे को जन्म देने संबंधी कारणों से मर जाती हैं। भारत में आज भी माहवारी, गर्भधारण, गर्भपात जैसे विषयों पर बात करना असहज माना जाता है, फिर चाहे वो घर में हो या बाहर।
- गाँव की महिलाए तो बेहद खराब स्थिति में हैं। पहले तो वो दाई और ऐसे ही अप्रशिक्षित लोगों (प्राइवेट क्लीनिक, झोलाछाप डॉक्टर आदि) के पास जाती हैं जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है।
- गांव ही नहीं शहर की पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी खुद से दवाएं लेकर अपनी जान जोखिम

में डालती हैं। इनकंप्लीट अबार्शन, ज्यादा खून बहना ऐसे केस में आम बात हो जाती है। ऐसे मामले में ज्यादातर महिलाएं कम उम्र की होती हैं।

- गर्भपात की दवाएं लेने वाली महिलाओं में अवविवाहित लड़कियां और नई शादी वाली महिलाएं ज्यादा होती हैं।
- संकुचित व रूढ़िवादी सोच: जिस प्रकार गाँवों में दवाई और आशा कार्यकता के भरोसे स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है उसी तरह गाँव देहातों में कई मामले ऐसे भी होते हैं जिसमें स्थानीय लोगों, भगतों और जड़ी बूटियों के जानकारों से मिलकर महिलाएं गर्भपात के सामाधान खोजती फिरती हैं और अंत में लेने के देने भी पड़ जाते हैं।
- गर्भपात कराने के पीछे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बड़ी वजह बनते हैं। अनचाहे बच्चे से बचने के लिए गर्भपात कराने के लिए ज्यादातर किसी को खबर न हो इसलिए डॉक्टर की सलाह लेने से भी लोग बचते हैं।
- कई बार अविवाहित लड़कियों में गर्भधारण को लेकर बदनामी का डर होता है जिसके वजह से वो कही से सुन कर, या इंटरनेट से आधी-अधूरी और कई बार गलत जानकारी निकालकर, घर पर ही गर्भपात करने की कोशिश करती हैं और रिजल्ट्स कॉम्प्लिकेटेड (मुश्किल परिणाम) हो जाते हैं।
- डॉक्टर के पास न जाने की सिर्फ एक वजह होती है कि घरवालों तक बात न जाए। ऐसे में अभिभावकों की भी कमी है कि बच्चों पर समाज का इतना भार डाल दिया जाता है कि वह उन से इस तरह की बात करने में सहज नहीं महसूस करते।
- मीडिया व विज्ञापनों की भूमिका: गर्भनिरोधक गोलियों का भारत में जोरशोर से विज्ञापन किया जाता है। ज्यादातर विज्ञापन एक गोली में कई झंझटों से मुक्ति की बात करते हैं लेकिन विज्ञापन में उसके निरंतर इस्तेमाल से होने वाले साइड इफेक्ट (दुष्प्रभाव) नहीं बताए जाते। इन्हीं विज्ञापनों को देखकर कई बार लोग बिना चिकित्सक को दिखाए सीधे मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदते हैं या फिर अप्रशिक्षित डॉक्टरों के जाल में फंसते हैं। धड़ल्ले से टेलीविजन और इंटरनेट पर दवाओं के आने वाले विज्ञापनों के वजह से ही लोग डॉक्टर की बजाय सीधे मेडिकल स्टोर पहुंचते हैं, जो घातक है। दूसरी समस्या ये है कि ये दवाए खुले बाजार में आसानी से मिल भी जाती हैं।
- फिलहाल 20 हफ्ते की समय सीमा के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं को झोलाछाप डाक्टरों से गर्भपात कराना पड़ता है। यही नहीं, गर्भस्थ शिशु में अधिकांश आनुवंशिक रोगों का पता 20 हफ्ते के बाद ही चलता है। ऐसे में माता-पिता को गर्भपात के लिए अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है। अदालती प्रक्रिया लंबी होने के कारण इसमें और भी देरी हो जाती है।

सरकारी प्रयास

एमटीपी अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट), 1971 के मुताबिक भारत में गर्भपात को कानूनी तौर पर अनुमति है। हालांकि, कानूनी रूप से यह केवल गर्भाधान के 20 सप्ताह तक किया जा सकता है। केवल इन चार स्थितियों के तहत भारत में गर्भपात की अनुमति है-

1. अगर गर्भावस्था की निरंतरता के कारण माँ के जीवन या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई जोखिम हो।
2. अगर भ्रूण में कोई गंभीर असामान्यताएं होती है।
3. गर्भनिरोधक की विफलता के परिणामस्वरूप हुआ गर्भधारण (लेकिन यह केवल विवाहित महिलाओं के लिए लागू है)
4. अगर गर्भावस्था यौन उत्पीड़न या बलात्कार का परिणाम है। एमटीपी अधिनियम, 1971 के मुताबिक महिलाओं के पहचान गोपनीय रखने के लिए अस्पताल, उनके नामों की बजाय संख्याओं की जरिये पहचान करते हैं।

सजा का भी प्रावधान: अगर महिला की मर्जी के बगैर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात कराया जाता है तो वह आईपीसी के तहत अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है ऐसे मामले में दोषी को उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। आईपीसी की धारा-312 में प्रावधान किया गया है कि अगर महिला के वेलफेयर के लिए गर्भपात नहीं कराया गया है तो कानून में सजा का प्रावधान है। इस कानून के दायरे में वह महिला भी है जिसने बिना ठोस वजह के गर्भपात कराया है। दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर महिला की सहमति के बिना उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण का गर्भपात कराया जाता है तो 10 साल तक कैद या फिर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराया जा रहा हो और इस दौरान उसकी मौत हो जाए तो दोषी को उम्रकैद की सजा दिए जाने का प्रावधान है।

महिला सशक्तिकरण से जुड़ी संसदीय समिति ने गर्भपात की समय सीमा बढ़ाकर 24 हफ्ते करने की सिफारिश की है। संसदीय समिति का कहना है कि इसके लिए 46 साल पुराने गर्भपात कानून में संशोधन करने की जरूरत है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan) का शुभारंभ किया गया। इस अभियान के तहत निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सभी डॉक्टरों के लिये प्रत्येक माह की नौ तारीख को जन्म पूर्व निःशुल्क सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निःशुक्ल अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था की गई है।

भारत का 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (अमेंडमेंट) बिल 2017', यानी गर्भपात संशोधन विधेयक 2017 ने कानूनी रूप से गर्भपात की सीमा को शुरुआती 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 हफ्ते करने और भ्रूण के काफी असामान्य विकास की हालत में कोई ऊपरी सीमा न रखे जाने का प्रस्ताव किया है। पिछले पांच साल से भी अधिक वक्त से इस विधेयक का प्रारूप तैयार हो रहा था, और पिछले वर्ष 21 मई तक स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस विधेयक के मसौदे को दोबारा लिखने का काम किया, ताकि यह पक्का किया जा सके कि नए कानून का दुरुपयोग लिंग पहचान कर गर्भपात कराने के लिए न हो सके। ऐसे गर्भपात पर 'प्री कंसेप्शन ऐंड प्री नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसी-पीएनडीटी) एक्ट' के तहत रोक है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों को निर्देश दिया था कि वे अपने यहां स्थायी मेडिकल बोर्ड का गठन करें, ताकि गर्भपात की इजाजत के लिए जिला अदालतों, उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट में दायर मामलों में त्वरित फैसले के लिए बोर्ड की राय ली जा सके।

महिला की सहमति जरूरी: गर्भपात के लिए महिला की सहमति जरूरी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला का अपने शरीर पर संपूर्ण अधिकार है। महिला को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये मौलिक सिद्धांत है कि वह अपने शरीर पर संपूर्ण अधिकार

के साथ-साथ व्यक्तिगत स्वायत्तता का अधिकार रखती है ताकि वह अपने फैसले ले सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट को सही तरह से समझने की जरूरत है इसमें महिला की सहमति जरूरी है।

गौरतलब है कि 20 हफ्ते की वैधानिक सीमा के बाद बलात्कार से गर्भाधान या अविकसित भ्रूण के मामलों में गर्भपात के लिए कानूनी हस्तक्षेप की मांग की जाती है। चकित्सा क्षेत्र से जुड़े अप्रशिक्षित लोगों द्वारा मुनाफाखोरी की आशंका में स्त्रियों को ऐसी सेवाओं से वंचित रखने की बजाय सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र को नियमित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि गर्भ निरोध, सुरक्षित प्रसव और गर्भपात जैसी बुनियादी सेवाएं हर जरूरतमंद को हासिल हो सकें।

आगे की राह

- महिलाओं के गर्भपात के लिए गठित संसदीय समिति का कहना है कि देश में बदलती जीवन शैली और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात की सुविधा उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए कानून में जरूरी संशोधन होना चाहिए। संसदीय समिति के अनुसार, आज के समय बहुत सारी महिलाएं बिना शादी के लिव-इन-रिलेशन में रहती हैं, जबकि कानून केवल शादीशुदा महिलाओं के लिए गर्भपात करने की इजाजत देता है। अब सभी महिलाओं को गर्भपात का बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। यह महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अहम कदम होगा।
- गर्भपात सेवाओं को अधिक-से-अधिक विकेन्द्रीकृत करने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इसका लाभ कम दूरी पर उपलब्ध हो सके।
- सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुँच को मजबूती प्रदान करने के लिए ये आवश्यक है कि एमटीपी अधिनियम को तत्काल प्रभाव से संशोधित किया जाए। साथ ही मध्य-स्तर के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं जो ग्रामीण क्षेत्रों के पास हैं को गर्भपात जैसी सेवाएं देने के लिए अनुमति प्रदान की जाएं।
- इस तरह की अनुमति उन स्वास्थ्य प्रदाताओं के विस्तार में मदद करेगी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार की तलाश में हैं, इससे पारदर्शिता कौशल विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार तथा रोजगार के नेय अवसरों का सृजन होगा।
- हाँलाकि यह समाधान अपने आप में पूर्ण नहीं है इसके लिए आवश्यक है कि सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं, बाधाओं को नये शिरे से परिभाषित किया जाए।
- गर्भपात वैधता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए।
- असुरक्षित गर्भपात के जोखिमों के बारे में लोगों को जागरूक किये जाने की आवश्यकता है इसके लिए कैंपेन, नुक्कड़ नाटक, सोसल मिडिया, टीवी, सेलीब्रेटी आदि का सहारा लिया जा सकता है।
- गर्भपात से संबंधित मिथकों, गलत धारणाओं तथा सामाजिक कलंक जैसी प्रचलित अमानवीय धारणाओं को बदलने की जरूरत है। इसके लिए समाज के शिक्षित व युवा वर्ग को विशेष रूप से आगे आने की जरूरत है।
- इसके अलावा न्यायपालिका, नीति निर्माताओं चिकित्सा बंधुता और नागरिक समाज संगठनों को महिलाओं की मौजूदा बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और सुनिश्चित करें कि सुरक्षित गर्भपात सेवाएं एक सम्मानजनक और गैर न्यायिक तरीके से प्रदान की जा सके।
- साथ ही गर्भपात से संबंधित कानून में समय के साथ संशोधन किया जाना चाहिए।
- इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित बुनियादी सुविधाओं जैसे प्रशिक्षित डॉ. को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित तथा बढ़ाया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

4. भारत-उज्बेकिस्तान संबंधों में एक नया आयाम

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत के दो दिवसीय यात्रा पर आए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान दोनों शीर्ष नेताओं ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबधों को और भी प्रगाढ़ बनाने के लिए सुरक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य समेत 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और दोनों देशों के लोगों के दिलों में एक-दूसरे के प्रति विशेष स्थान रहा है।

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच पारस्परिक हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने और सामरिक भागदारी को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा। भारत एक परिवहन गलियारे की कल्पना कर रहा है जो एशिया और यूरोप के बीच महत्वपूर्ण संपर्क बनेगा। इसके लिए उज्बेकिस्तान प्रमुख पारगमन केन्द्र की भूमिका निभा सकता है।

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच परम्परागत रूप से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। वर्ष 2011 के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध सामरिक भागीदारी स्तर तक पहुंचे हैं। राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, रक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, विज्ञान और

प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों में व्यापक संबंध हैं।

पृष्ठभूमि

भारत और उज्बेकिस्तान का आपस में बहुत गहरे संबंधों का इतिहास रहा है। प्राचीन व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ उज्बेकिस्तान से होकर गुजरता था। बाद के वर्षों में उजेकिस्तान में फरगाना, समरकंद, बुखारा आदि व्यापार के मार्गों पर प्रमुख शहरों के रूप में उभरे जो भारत को यूरोप एवं चीन से जोड़ते थे। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म चीन से होते हुए उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया पहुंचा। बाबर उज्बेकिस्तान में फरगाना से आया था। समरकंद और बुखारा में बसे भारतीय व्यापारी स्थानीय अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग थे। हजारों सालों की अंत:क्रियाओं से वास्तुशिल्प, नृत्य, संगीत एवं व्यंजन में घनिष्ठ सांस्कृतिक समानताएं हैं। मिर्जा गालिब तथा अमीर खुसरो उजबेक में उत्पत्ति वाले प्रख्यात भारतीय हैं। भारतीय फिल्में परम्परागत रूप से उज्बेकिस्तान में लोकप्रिय हैं।

अगस्त, 1991 में, सोवियत संघ रूस (यूएस. एसआर) का विभाजन हुआ था और राष्ट्रपति इस्लाम करिमोव ने सुप्रीम सोवियत ऑफ उज्बेकिस्तान के अध्यक्ष के रूप में भारत की यात्रा की। उज्बेकिस्तान ने सितंबर, 1991 में अपनी स्वतंत्रता घोषित की तभी से भारत-उज्बेकिस्तान के रिश्तों में मजबूती का दौर चला आ रहा है जिसको निम्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

राजनीतिक

7 अप्रैल, 1987 को ताशकंद में भारतीय कंसुलेट जनरल का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। उज्बेकिस्तान की स्वतंत्रता के बाद, 18 मार्च, 1992 को राजनयिक एवं वाणिज्य दूतावास मामलों के प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर करके इसका स्तर दूतावास के रूप में उन्नत कर दिया गया था। बाद की अवधि को उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने 1993 में और डॉ. मनमोहन सिंह ने 25-26 अप्रैल, 2006 में उज्बेकिस्तान की यात्रा की। राष्ट्रपति करिमोव 1991, 1994, 2000, 2005 और मई, 2011 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे।

6 से 7 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ताशकंद का दौरा किया। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान 23-24 जून 2016 में ताशकंद में इन दोनों देशों के बीच एससीओ की सदस्यता प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।

द्विपक्षीय संबंधों का प्रबंधन एक संयुक्त आयोग सहित एक संतुलित तंत्र के माध्यम से किय जाता है, जो व्यापार एवं आर्थिक संबंधों पर नजर रखता है। उज्बेकिस्तान और भारत ने व्यापार, निवेश, शिक्षा, नागर विमानन, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, कृषि और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में करारों/समझौता ज्ञापनों/ प्रोटोकोलों/ संयुक्त बयानों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आर्थिक संबंध

भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार संबंध, मई 1993 में हस्ताक्षरित व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पर करार द्वारा शासित होते हैं। इस करार में कई पहलुओं की व्यवस्था है, जैसे परस्पर एमएफएन व्यवहार, आर्थिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग का संवर्द्धन, जिसमें कार्मिकों का प्रशिक्षण, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में छोटे और मझौले उद्यमों की सक्रीय भागीदारी और काउंटर-व्यापार, आदि में सहयोग भी शामिल है। भारत और उज्बेकिस्तान ने 1993 में दोहरा कराधान परिहार करार तथा मई, 1999 में द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन और संरक्षण करार पर भी हस्ताक्षर किए।

भारत द्वारा उज्बेकिस्तान को निर्यात की मुख्य मदों में औषधियाँ (ड्रग्स), अन्य औषधीय उत्पाद, कागज, काष्ठ उत्पाद, मशीनरी, परिधान और वस्त्र, चाय, प्लास्टिक मदें, रसायन और उपभोक्ता माल शामिल हैं। उज्बेकिस्तान से भारत में आयातीत ज्यादातर मदों में मशीनरी चांदी, कच्चा सूत तथा सिल्क, दालें और सेवाओं के अलावा, बींस, रसायन और अलौह धातुएं शामिल हैं।

उज्बेकिस्तान की राज्य सांख्यिकी समिति के अनुसार उज्बेकिस्तान के व्यापार साझेदारों में भारत 20वें स्थान पर है तथा उज्बेकिस्तान के कुल व्यापार टर्नओवर में इसका हिस्सा 0.4% है।

अक्टूबर 2004 में 30 मिलियन रुपए की भारतीय सहायता से ताशकंद में भारत-उजबेक आईटी केन्द्र स्थापित करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। भारत-उज्बेकिस्तान जवाहर लाल नेहरू सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन ताशकंद सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्याल (टीयूआईटी) में अप्रैल, 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान किया गया था। मई, 2013 में उप-राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र का उन्नयन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा उन्नयन कार्य वर्ष 2014 में पूरा किया गया है।

भारत-उज्बेकिस्तान द्विपक्षीय व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2009 में जहाँ 124.7 मिलयिन डॉलर था वो जून 2016 में बढ़कर 184.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

सांस्कृतिक संबंध

भारत सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के अधीन कार्यरत लाल बहादुर शास्त्री भारतीय संस्कृति केन्द्र की स्थापना ताशकंद में 1995 में की गई थी। भारतीय संस्कृति से संबंधित सेमिनार कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा, यह केन्द्र कथक, योग, हिंदी भाषा और तबला की नियमित कक्षाएं भी आयोजित करता है। तीन उजबेक शैक्षिक संस्थान, राष्ट्रभर में, प्राथमिक स्तर पर स्नातकोत्तर स्तर तक हिंदी भाषा की पढ़ाई को बढ़ावा देते हैं। उजबेक रेडिया ने 2012 में हिंदी प्रसारण के 50 साल पूरे किए। उजबेक टीवी चैनल नियमित रूप से भारतीय फिल्म और सीरियल दिखाते हैं।

मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग पर एक प्रोटोकॉल पर अक्टूबर, 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। जिसमें टीवी कार्यक्रमों का आदान-प्रदान, पत्रकारों की यात्रा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फैस्टिवलों में भागीदारी, फिचर फिल्मों एवं डॉक्यूमेंट्रीज दोनों प्रकार के फिल्म निर्माताओं के बीच सहयोग, रेडियो तथा टीवी कार्मिकों की यात्रा आदि शामिल है।

उज्बेकिस्तान 1993-94 से भारत के आईटीईसी कार्यक्रम का सहयोगी है। इस समय हर साल 150 स्लाट आवंटित किए जा रहे हैं। आईसीसीआर के छात्रवृत्ति कार्यक्रमों कें अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक रूप से 25 छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

भारतीय समुदाय

उज्बेकिस्तान में एक छोटा किन्तु जिंदादिल भारतीय समाज रहता है। मिशन इस समुदाय के साथ, अपनी वैबसाइट www.indembessy.uz और फेस बुक अकांउट indembtashkent@gmail.com. सहित, नियमित संपर्क बनाए रखता है। भारतीय समुदाय के सदस्य, स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित समाराहों में भाग लेते हैं। समुदाय विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रीय दिवसों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हिंदी दिवस, होली, दिवाली तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेता है।

वर्तमान परिदृश्य

वर्तमान समय में भारत और उज्बेकिस्तान ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 17 समझौतों पर किये हैं जिससे दोनों देशों के संबंधों में व्यापक स्तर पर नई ऊर्जा मिलेगी।

1. राजनयिक पासपोर्ट होल्डर के लिए वीजा मुक्त यात्रा।
2. पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता।
3. सैन्य शिक्षा में सहयोग के लिए समझौता।
4. कानून व न्याय के क्षेत्र में सहयोग के लिए MoU ।
5. कृषि तथा संबंधित क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता।
6. वैज्ञानिक, तकनीकी तथा नवोन्मेष क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता।
7. स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता।
8. शांति उद्देश्य के लिए बाह्य अन्तरिक्ष अनुसन्धान सहयोग के लिए समझौता।
9. उज्बेकिस्तान के समरकंद नगर तथा उत्तर प्रदेश की आगरा नगरपालिका के बीच MoU
10. परस्पर सहयोग तथा पार्टनरशिप की स्थापना के लिए MoU ।
11. भारत-उज्बेकिस्तान व्यापार परिषद् की स्थापना के लिए समझौता।
12. उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रालय तथा भारतीय विदेश मंत्रालय के बीच 2019-20 के लिए सहयोग।
13. उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास के लिए MoU ।
14. उज्बेकिस्तान के अंदिजन क्षेत्र में उजबेक-भारतीय मुक्त फार्मास्यूटिकल जोन की स्थापना के लिए MoU ।
15. उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति के अंतर्गत सुरक्षा परिषद् कार्यालय तथा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के बीच सहयोग के लिए MoU ।
16. विश्व मामलों की भारतीय परिषद् तथा उज्बेकिस्तान राष्ट्रपति के अंतर्गत सामरिक व क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान के बीच सहयोग के लिए MoU ।
17. नशीली दवाओं के व्यापार पर रोकथाम के लिए आपसी सहयोग पर समझौता।

उज्बेकिस्तान तथा मध्य एशियाई देश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों?

- उज्बेकिस्तान तेजी से उत्पादन, कच्चे माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ है। इससे गैर-लौह और दुर्लभ पृथ्वी धातु उद्योग में भारतीय निवेश के लिए कई उत्कृष्ट अवसर मौजूद हैं।
- भारत मध्य एशिया के प्रति अपने विलक्षण दृष्टिकोण के साथ इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी, पाकिस्तान की शत्रुता और अफगानिस्तान में अस्थिरता की बाधाओं को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- अशगाबाद समझौता मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच वस्तुओं के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा बनाने के लिए भारत, ईरान, कजाखस्तान, ओमान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक बहुआयामी परिवहन समझौता है। जिसके माध्यम से भारत मध्य एशिया के रास्ते पुरे यूरोप में अपनी पहुँच सुनिश्चित कर सकता है।
- भारत और उज्बेकिस्तान ने दो साल के भीतर $1 बिलियन का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया और दोनों पक्षों के रूप में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की है जिसपे आगे बढ़ना आवश्यक है। दरअसल, एससीओ के साथ भारत का वर्तमान व्यापार आंकड़ा लगभग 100 अरब डॉलर है, चीन के साथ + 90 बिलियन, रूस के साथ +8 बिलियन और मध्य एशियाई राज्यों के साथ केवल + 1.5 बिलियन, जिसमें कजाखस्तान के साथ + 1 बिलियन है। उज्बेकिस्तान 1.13 मिलियन है।
- मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान यूरेनियम उत्पादक देश हैं अगर इन देशों से भारत के संबंध मजबूत होते हैं तो भारत में बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।
- नई दिल्ली को इस ऐतिहासिक क्षेत्र के साथ अपने ऐतिहासिक सिल्क रूट संबंधों को मजबूत बनाये रखना चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा (आईएनएसटीसी) और ईरानी चाबहार बंदरगाह परियोजनाएं वास्तविकता बनने के करीब हैं। इन गलियारों के बनने से भारत और मध्य एशिया के देशों में आर्थिक और राजनैतिक रूप से प्रगाढ़ता आएगी।
- मध्य एशियाई देशों से भारत के बीच राजनीतिक संबंध तो कुछ हद तक सुधरे हैं लेकिन आर्थिक संबंधों में और सुधार की गुंजाइश है। भारत के पड़ोसी मुल्कों की जो रिसोर्सेस हैं उनका सही उपयोग कर मध्य एशिया के सभी मुल्क आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हैं। इसके लिए मध्य एशिया के देशों को अपनी विदेश नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करना होगा। ताकि दोनों ओर से संसाधनों के साथ तकनीक का भी आदान प्रदान हो सके।
- विश्व में पिछले दो दशकों से सेंट्रल एशिया तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। इन देशों में विकास के संसाधन जैसे गैस, तेल, सोना, कॉटन, अपार संपदा के साथ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से इस विकास में आर्थिक क्रांति आई है।
- प्राकृतिक संसाधनों से विद्युत उत्पादन, ऊर्जा, पाइपलाइन के विस्तार होने के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण हथियारों की स्मगलिंग में कमी आई है।
- पारस्परिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए भारत की पहल पर कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बनाई गई है जिसपर मजबूती से आगे बढ़ने की जरुरत है।
- शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सम्मेलन में भारत को स्थायी सदस्यता मिलने से अब इस क्षेत्र में विशेष रूप से मध्य एशिया में भारत के लिए क्षेत्रीय भू-राजनीतिक-सामरिक समीकरण को नया आयाम देना और आर्थिक कारोबार को नई ऊंचाई देना आसान होगा।
- ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा से प्रायोजित आतंकवाद से सिर्फ भारत ही लहूलुहान है। मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान भी उतना ही पीड़ित हैं। ऐसे में भारत और मध्य एशियाई देश के सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित कर और आतंकवाद एवं अवैध ड्रग कारोबार से निपटने के दृष्टिकोण अपना कर बेहतरीन अवसर उपलब्ध करा सकतें हैं।
- भारत के लिए मध्य एशिया इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विश्व में सामरिक एवं आर्थिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं और भारत भी उससे सीधा प्रभावित हो रहा है।

मध्य एशिया

मध्य एशिया के अधिकांश देश विशेषकर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो भू-आबद्ध देश होने के कारण अपने समुचित संसाधनों का लाभ नहीं उठा पा रहे थे अब वे अपने उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग कर अपना विस्तार रोड, रेल, हाइवे, तेल और गैस पाइपलाइन के माध्यम से अपना व्यापारिक विस्तार पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक जोड़ चुके हैं और अब वे मार्केट हब के रूप में विकसित हुए हैं। पिछले कुछ वर्ष से ये देश हाइवे और रेल, रोड के माध्यम से चीन के रास्ते कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रास्ते यूरोप, रूस, ईरान तथा मध्य एशिया तक अपनी पहुँच बनाए हैं।

ठीक इसी प्रकार से पाइपलाइन के माध्यम से ये देश कैस्पियन सागर के तटवर्ती क्षेत्रों के प्राप्त सुविधा से (तेल के लिए) कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान (गैसे के लिए) आदि पश्चिमी चीन के क्षेत्रों से जुड़ चुके हैं।

सभी मध्य एशिया देश खनिज संसाधन तथा जल विद्युत संसाधनों के क्षेत्र में धनी है। वर्ष 2014 में कजाकिस्तान युरेनियम के भण्डारण में दूसरा तथा उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर था। उज्बेकिस्तान गैस, यूरेनियम और स्वर्ण भण्डारण में उच्च स्थान रखता है। नेचुरल गैस के भण्डारण के क्षेत्र में तुर्कमेनिस्तान विश्व में चौथा देश है। जल विद्युत के क्षेत्र में तजाकिस्तान अग्रणी देश है। उज्बेकिस्तान विश्व में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 17वें स्थान पर जबकि स्वर्ण उत्पादन में 0.9वें स्थान और कपास उत्पादन में 6वें स्थान पर है।

भारत का मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार (2017-18)

देश	निर्यात	आयात	कुल व्यापार
कजाकिस्तान	125.37	907.43	1032.81
किर्गिस्तान	28.59	30.94	59.53
तजाकिस्तान	23.94	50.29	74.24
तुर्कमेनिस्तान	54.31	26.15	80.46
उज्बेकिस्तान	132.72	101.67	234.39
कुल	364.93	1,116.49	1,481.21

Source; Department of Commerce: Export Import Data Bank.

- यह किसी से छिपा नहीं है कि इस क्षेत्र में पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है और उससे सबसे अधिक प्रभावित भारत है। भारत शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने के बाद इस मंच के जरिए अपनी परंपरागत सामरिक व आर्थिक नीति में कारगर बदलाव कर सकता है और साथ ही पुरजोर तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने उठा सकता है।
- मध्य एशिया की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए भू-राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। भारत इस क्षेत्र में अपने एजेंडे को आसानी से आगे बढ़ा सकता है।
- चूंकि मौजूदा समय में भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है ऐसे में मध्य एशियाई देशों से निवेश बढ़ेगा साथ ही भारत मध्य एशिया के लिए बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार शामिल हो सकता है।
- मौजूदा समय में भारत का मध्य एशियाई देशों से व्यापार 1.4 अरब डॉलर का है। भारतीय निर्यात इस क्षेत्र में 604.32 मिलियन डॉलर है और आयात 775.3 मिलियन डॉलर है। अगर दोनों क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क मार्ग बनते हैं तो आयात व निर्यात को गति मिलेगी।

चुनौतियाँ

- चाबहार तथा परिवहन गलियारा जैसी संपर्क से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रगति का धीमा होना।
- चीन का इन मध्य एशियाई देशों में बढ़ती भागीदारी। हाल ही में चीन ने कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ प्रमुख ऊर्जा समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं तथा चीन-कजाकिस्तान-उज्बेकिस्तान को जोड़ने वाले रेलमार्ग की घोषणा की गई है।
- पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का बढ़ना तथा इन देशों में स्थिरता की कमी।
- मध्य एशियाई देशों में रूची की कमी से भारत चीन के मुकाबले पिछड़ रहा है क्योंकि जो भी संधि या समझौते संपन्न हुए हैं उनमें प्रगति बहुत कम है।
- इस क्षेत्र के 5 देशों में हवाई संपर्क है लेकिन उज्बेकिस्तान के साथ इस तरह की पहल की कमी है।
- शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई संधि एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है लेकिन उपेक्षित है।
- उज्बेकिस्तान का तजाकिस्तान ओर किर्गिस्तान के मध्य जल को लेकर विवाद आदि।
- एक बिलियन डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य।

आगे की राह

- मध्य एशियाई राष्ट्रों (उज्बेकिस्तान) और भारत के मध्य संबंधों की मजबूती आवश्यक है। ये दोनों देश अफगानिस्तान में सामान्य स्थिति लाने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। जिससे इस क्षेत्र में व्यापार को गति दी जा सकती है।
- भारत और मध्य एशियाई देशों के मध्य मार्ग तथा व्यापार के क्षेत्र में अनेक समझौते हुए हैं लेकिन प्रगति न होने से ये परियोजनाएं अमल में नहीं आ पा रही हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि भारत मुख्य भूमिका निभाए ताकि इस पर व्यापक प्रगति की जा सके।
- चीन की बढ़ती भागीदारी की काट के लिए भारत को महती भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
- बढ़ते आतंकवादी घटनाओं से मध्य एशिया के सभी देश प्रभावित हैं अत: इससे निपटने के लिए इन देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है।
- एक्टईस्ट पॉलिसी के साथ-साथ भारत को मध्य एशियाई देशों के लिए भी एक पृथक नीति की जरूरत है।
- इन देशों के साथ हवाई संपर्क को तीव्र गति देने की आवश्यकता है, साथ ही इन एशियाई देशों के मध्य व्याप्त जल विवाद को समाप्त करने की आवश्यकता है।
- एक बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन देशों के साथ संबंध मजबूत होने आवश्यक है।
- सिल्क रूट: यह व्यापारिक मार्ग करीब 2000 साल पुराना है यह केवल व्यापारिक मार्ग ही नहीं है, बल्कि ऐसा तंत्र है, जिसके ईर्द-गिर्द धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ताना-बाना बना रहा है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

■

5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसकी प्रभावकारिता

चर्चा क कारण

भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक की अपील पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) अगले साल 18 फरवरी से दोबारा सुनवाई शुरू करेगा। द हेग स्थित आईसीजे ने 2 अक्टूबर को बयान जारी कर कहा कि यह सुनवाई 18 से 21 फरवरी 2019 के बीच होगी।

उल्लेखनीय है कि भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में कथित रूप से जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी जिसके बाद भारत ने इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था। आईसीजे ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 18 मई को पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश दिया था कि जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं दी जाए। आईसीजे में दायर अपनी याचिका में भारत ने दलील दी कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक संपर्क न देकर पाकिस्तान विएना संधि का उल्लंघन कर रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि विएना संधि में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जासूसी के केस में फंसे किसी व्यक्ति को राजनयिक संपर्क की सुविधा नहीं दी जा सकती।

भारत की इस दलील के खिलाफ पाकिस्तान ने पिछले साल 13 दिसंबर को आईसीजे में एक जवाबी निवेदन पत्र दायर किया था। इसमें कहा गया कि विएना संधि वैधानिक स्तर पर दी जाती है न कि जासूसी जैसे गोपनीय अपराधों के काम के लिए। पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि जाधव एक मुस्लिम व्यक्ति के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में घुसे थे, इसलिए उनके पास अपनी बात रखने की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) संयुक्त राष्ट्र (यूएन) का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था। न्यायालय का मुख्यालय हेग (नीदरलैंड) में शांति पैलेस में है। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के छः प्रमुख अंगों में से, एकमात्र ऐसा अंग है जो कि न्यूयॉर्क (संयुक्त राज्य अमेरिका) में स्थित नहीं है। इसका अधिवेशन छूट्टियों को छोड़कर हमेशा चालू रहता है। न्यायालय के प्रशासनिक व्यय का भार संयुक्त राष्ट्र संघ उठाता है।

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायधीश हैं, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और इनको दुबारा भी चुना जा सकता है, हर तीसरे साल इन 15 न्यायधीशों में से पांच दुबारा चुने जा सकते हैं। न्यायधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य शर्त यह होती है कि दो न्यायधीश एक देश से नहीं चुने जा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्याय क्षेत्र

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मदद इसके एक प्रशासनिक अंग रजिस्ट्री द्वारा की जाती है। न्यायालय का काम कानूनी विवादों का निपटारा करना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा उठाए कानूनी प्रश्नों पर राय देना है। यानी इसके दो खास कर्तव्य हैं: अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार यह कानूनी विवादों पर निर्णय लेता है, दो पक्षों के बीच विवाद पर फैसले सुनाता है और संयुक्त राष्ट्र की इकाइयों के अनुरोध पर राय देता है। इसकी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 93 में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य इस न्यायालय से न्याय पाने का हक रखते हैं। हालांकि जो देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नही हैं वे भी इस न्यायालय में न्याय पाने के लिये अपील कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कैसे काम करता है

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी मर्जी के हिसाब से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नियमावली, 1978 के अनुसार चलती है जिसे 29 सितंबर 2005 को संशोधित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी देश का कोई स्थायी प्रतिनिधि नहीं होता है। देश सामान्यतया अपने विदेश मंत्री के माध्यम से या नीदरलैंड में अपने राजदूत के माध्यम से रजिस्ट्रार से संपर्क करते हैं जो कि उन्हें कोर्ट में एक एजेंट के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। आवेदक (app-icant) को केस दर्ज करवाने से पहले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और अपने दावे के आधार पर एक लिखित आवेदन देना पड़ता है। प्रतिवादी (respondent) न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है और मामले की योग्यता के आधार पर अपना लिखित उत्तर दर्ज करवाता है।

इस न्यायालय में मामलों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से तब तक होती है जब तक न्यायालय का आदेश अन्यथा न हो अर्थात यदि न्यायालय चाहे तो किसी मामले की सुनवाई बंद अदालत में भी कर सकता है। सभी प्रश्नों का निर्णय न्यायाधीशों के बहुमत से होता है। सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, उसकी अपील नहीं हो सकती किंतु कुछ मामलों में पुनर्विचार हो सकता है।

अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से दायर कुलभूषण जाधव के मामले की सुनवाई हुई थी जिसमे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया कि कुलभूषण को तब तक फांसी ना दी जाये जब तक कि सभी विकल्पों पर विचार ना कर लिया जाये।

इस प्रकार देखा जाय तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यप्रणाली काफी जटिल प्रकृति की है जिसमे न्याय पाने के लिए बहुत लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जटिल न्यायिक प्रक्रिया होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विश्व में कई देशों के बीच पेंचीदा मामलों को सुलझाकर शांति स्थापित करा चुका है, शायद यही कारण है कि इसके मुख्यालय का नाम शांति भवन रखा गया है।

अईसीजे और भारत

उल्लेखनीय है कि यदि आईसीजे में भारत के प्रतिनिध को देखा जाय तो भारतीय जज के तौर पर यहां दलवीर भंडारी हैं। दलवीर भंडारी को आईसीजे में नवम्बर 2017 में दुबारा चुन लिया गया है। आईसीजे में अपने पुनःनिर्वाचन के लिए भंडारी और ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड के बीच कांटे की टक्कर थी लेकिन ब्रिटेन ने अपना प्रत्याशी वापस ले लिए था इस कारण भंडारी की जीत पक्की हो गयी थी। भंडारी का कार्यकाल 9 साल का होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भंडारी को 193 में से 183 वोट मिले जबकि सुरक्षा परिषद् में सभी 15 मत भारत के पक्ष में गये। इस चुनाव के लिए न्यूयॉर्क स्थित संगठन के मुख्यालय में अलग से मतदान करवाया गया था।

आइसीजे मे दलबीर भंडारी का निर्वाचन भारत की कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है, जिसके जरिये भारत ने न केवल महासभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त किया, बल्कि सुरक्षा परिषद् में अपने विपरीत जा रहे मतों को भी अपनी ओर करने में सफलता अर्जित की। भारत को महासभा और सुरक्षा परिषद में जिस प्रकार का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ है, उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक मूल्यों पर आधारित भारतीय न्यायपालिका की छवि और निखर कर सामने आई है। लोकतांत्रिक तरीके से हुई भारत की इस जीत ने सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्यों चीन, अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन को अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दे दिया है कि भारत भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन शक्तियों को चुनौती देने की क्षमता रखता है। यह जीत सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर अन्य स्थायी सदस्यों पर न्यूनाधिक दबाव अवश्य बनाएगी। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का मामला अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लंबित है। इस लिहाज से भी दलवीर भंडारी का पुनर्निर्वाचन मायने रखता है।

यह चुनाव कितना बड़ा मुद्दा बन गया था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी मीडिया में भारत को महासभा में मिल रहे समर्थन को न केवल ब्रिटेन बल्कि सुरक्षा परिषद में शामिल विश्व की महाशक्तियों के लिए खतरे की घंटी तक कह दिया गया। कहा गया कि इससे कोई ऐसी परिपाटी विकसित न हो जाए, जो भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो।

वास्तव में भारत जिस तरह से ब्रिटेन को आमसभा में पीछे धकेलने में कामयाब हो रहा था, वह अनेक पर्यवेक्षकों के लिए अप्रत्याशित था। एक समय ब्रिटेन ने संयुक्त सम्मेलन व्यवस्था का सहारा लेने पर भी विचार किया। इसमें महासभा एवं सुरक्षा परिषद की बैठक एकसाथ बुलाई जाती है तथा सदस्यों से खुलकर समर्थन और विरोध करने को कहा जाता है। इसमें समस्या हो सकती थी। संभव था कई देश जो भारत को चुपचाप समर्थन कर रहे थे, वे खुलकर ऐसा न कर पाते।

माना जा रहा था कि चारों स्थायी सदस्यों से मशविरा करने के बाद ही ब्रिटेन ने संयुक्त अधिवेशन के विकल्प पर विचार किया था। रूस, अमेरिका, चीन व फ्रांस को भी यह चिंता थी कि आज ब्रिटेन जहां फंस रहा है कल वहां वे खुद भी हो सकते हैं इसलिए वे ब्रिटेन के साथ खड़े थे। सच यही है कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में भारत के मजबूत आधार को देख ब्रिटेन परेशान था। उसे साफ हो गया था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के दबदबे को तोड़ पाना उसके बूते की बात नहीं है। इस तरह देखें तो यह हर दृष्टि से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कूटनीतिक जीत दिखाई देगी। पहली बार सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में टूट हुई एवं उन्हें मन के विपरीत मतदान करना पड़ा।

हालांकी इससे पहले भी 1950 में भारत के सर बेनेगल राव, 1970-80 में डॉ नगेंद्र सिंह और 1988-90 में भारत के पूर्व चीफ जस्टिस आरएस पाठक को भी इस पद पर नियुक्त किया जा चुका है।

चुनौतियाँ

अंतराष्ट्रीय न्यायालय ने विश्व के कई अनसुलझे मामले को बखूबी सुरझाया है फिर भी आइसीजे के समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान है।

अभी हाल ही में इरान और अमेरिका के बीच विवाद ने आइसीजे को फिर से सुर्खीयों में ला दिया। ईराक ने आइसीजे से कहा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका को नवीनीकृत परमाणु निषेध वाले प्रावधान को हटाने का आदेश दे। हालांकि अमेरिका ने इसका विरोध किया है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को तेहरान की मांग पर प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र उनके पास नही है। अमेरिकी विदेश विभाग के वकील जेरिफर न्यूस्टेड ने हेग में संयुक्त अदालत को बताया कि 1955 के संधि के अंतर्गत ईरान ने प्रतिबंधों की चुनौती दी है, वह इस अदालत के अधिकार क्षेत्र के लिए आधार प्रदान नही करता है।

वहीं तेहरान का कहना है कि प्रतिबंध से ईरान की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुँचा है। उसका दावा है कि वाशिंगटन ने 1955 की संधि का उल्लंघन किया है जो एक द्विपक्षीय समझौता है जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नियंत्रित करता है। ईरान का कहना है कि वह परमाणु परीक्षण अपनी ऊर्जा संबंध समस्याओं को खत्म करने तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए कर रहा है। इसमें उसकी युद्ध संबंधी हथियार बनाने का कोई इरादा नही है। अमेरिका के इस प्रतिबंध से ईरान का तेल व्यापार भी प्रभावित हो रहा है जो उसके अर्थव्यवस्था का आधार है। यही नहीं अमेरिका अपने इस निर्णय के द्वारा ईरान को विश्व के अन्य देशों से अलग-थलग कर देना चाहता है।

चूंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह कार्य ही है कि वह दो देशों के बीच उत्पन्न विवाद का निष्पक्ष समाधान करे लेकिन अमेरिका की बढ़ती दादागिरी और मनमाने कार्यो ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को भी प्रभावित किया है। न्यायालय का भी कहना है कि ईरान पर लगाया गया प्रतिबंध उचित नही है क्योंकि इससे उसके मानवाधिकारों का उलंघन हो रहा है। प्रतिबंध से व्यापार प्रभावित हो रहा है जिससे कि रोजमर्रा के वस्तुओं की उपलब्धता कम हो रही है इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है अतः न्यायालय भी चाह रहा है कि अमेरिका अपने निर्णयों पर पुर्नविचार करे।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने ईरान का मुद्दा कोई नया नही है। इसी तरह का विवाद अफगानिस्तान, ईराक, सऊदी अरब आदि कई खाड़ी देशों का एवं अमेरिका व पश्चिमी देशों के साथ रहा है। इन सभी विवादों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश भी की गई जिससे कि पश्चिमी देशों का इन संस्थाओं पर प्रमुख झलकता है। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए एक बड़ी चुनैती है जिसपर की बहस अनवरत जारी है।

इधर हाल के वर्षों में देखें तो संयुक्त राष्ट्र के सभी संस्थाओं पर अमेरिका अपना प्रभुत्व दिखाता है और उन सभी संथाओं के निर्णय को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर पर्यावरण से संबंधित हो। यही नहीं कुछ वर्ष पहले श्रीलंका में मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर श्रीलंका व ब्रिटेन के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था जिसमें की श्रीलंका ने ब्रिटेन की बातों को मानने से मना कर दिया था परिणामस्वरूप मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंच गया और न्यायालय ने भारी दबाव के बावजूद भी मानवाधिकार की बात की थी।

अभी हाल ही में उत्पन्न सीरिया विवाद भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुनौतिपूर्ण कार्य रहा जिसमें कि मानवीय पहलू से लेकर आतंकवाद व क्षेत्रवाद पर गंभीर चर्चा हुई और न्यायालय ने हरहाल में लोगों की सुरक्षा को बनाये रखने की बात कही। इस तरह से देखें तो संयुक्त राष्ट्र के न्यायालय के सामने कई चुनौतियाँ विद्यमान है लेकिन न्यायालय ने अपने संतुलित कार्यपद्धति के बल पर सभी विवाद पर विवेकपूर्ण निर्णय दिया और यह सुनिश्चित किया कि विश्व में किसी भी परिस्थिति में मानव के अधिकार व स्वतंत्रता को पूर्णतः बनाये रखा जा सके।

आगे की राह

ईरान पर अमेरिका के हाल ही में लिये निर्णय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को फिर से बहस का मुद्दा बना दिया है। इसके पहले भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अमेरिका के बीच कई मुद्दों पर मनमुटाव रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो विश्व के नागरिकों के हितों का संरक्षक है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिना भेदभाव और निष्पक्ष तरीके से अपना निर्णय सुनाये। हालांकि कुछ पश्चिमी देशों और अमेरिका ने न्यायालय के निर्णयों को कई बार प्रभावित किया है जिससे कि समय दर समय इस पर विवाद होता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखनी है तो यह आवश्यक है कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के अपना निर्णय दें।

यदि भारत के संदर्भ में देखे तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से काफी उम्मीद है क्योंकि कश्मीर विवाद से लेकर कुलभूषण जाधव तक का मामला न्यायालय में है। हालांकि न्यायालय का निर्णय सर्वथा भारत के पक्ष में ही रहा है और जब दलवीर भंडारी खुद उस न्याय के मंदिर में पुजारी है तो आशा और बढ़ जाती है क्योंकि इससे पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। उम्मीद है कि सर्वहित में लिए गये निर्णय पर न्यायालय अडिग रहेगा जिससे पूरे विश्व का विश्वास उस पर बना रहेगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच-उनकी संरचना, अधिदेश।

■

6. इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का बढ़ता संकट

चर्चा का करण

हाल ही में भारत के गैर-बैंकिंग क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL & FS)' के ऊपर नकदी तथा कर्ज का संकट आ गया जिसने पूरे गैर-बैंकिंग क्षेत्र को भयभीत कर दिया है। गौरतलब है कि लीजिंग ऐंड फाइनैंशल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) ग्रुप पर 91 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इसे अभी नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। 91 हजार करोड़ रुपये के कर्ज में सिर्फ IL & FS के खाते में करीब 35 हजार करोड़ रुपये जबकि इसकी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पर 17 हजार करोड़ रुपये बकाया है। विदित हो कि 57 हजार करोड़ रुपये बैंकों का बकाया है और इसमें अधिकांश हिस्सेदारी सार्वजनिक बैंकों की है जिसका सीधा असर देश के वित्तीय बाजारों पर पड़ रहा है।

क्या है IL & FS ?

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) एक भारतीय बुनियादी ढांचा विकास और वित्त कंपनी है। यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इसे एनबीएफसी (NBFC) का दर्जा भी मिला हुआ है। यह 250 से अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है। इसकी स्थापना साल 1987 में हुई थी। उस समय इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लोन देने के लिए बनाया गया था।

स्मरणीय हो कि इस कंपनी में सबसे अधिक 25.34 प्रतिशत हिस्सेदारी एलआइसी (LIC) की है, जबकि एचडीएफसी की हिस्सेदारी 9.02 प्रतिशत है। वही कंपनी में जापान की ओरिक्स कॉर्प का 23.54 प्रतिशत, अबूधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का 12.56 प्रतिशत व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 6.42 प्रतिशत का हिस्सा है। अगर सरकार की कुल हिस्सेदारी देखी जाए तो वह 40. 25% है। उलेखनीय है की आईएल एंड एफएस की स्थापना ही कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स के लिए हुई थी इसलिए आईएल एंड एफएस को बहुत से सरकारी प्रोजेक्ट्स मिलते रहे हैं।

संकट का करण

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL & FS) जिसका प्रमुख कार्य आधारभूत परियोजनाओं के लिये वित्त तथा ऋण प्रदान करना है। फिलहाल यह कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। लंबे समय तक एएए ग्रेड पाने वाली कंपनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज पर उसकी वित्तीय स्थिति बिगडने के बाद सरकार ने उसे अपने अधिकार में ले लिया। उल्लेखनीय है कि नौ साल पहले 2009 में आइटी कंपनी सत्यम कंप्यूटर को अपने कब्जे में लेने के बाद यह ऐसा दूसरा मामला है। इस संकट की शुरुआत तब हुई जब SIDBI से लिये गए अल्पावधि ऋण को चुकाने में IL & FS असफल रही। डिफॉल्टर होने की वजह से IL & FS की रेटिंग लगातार गिरने लगी। वही आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज, IL & FS की 100% सहायक कंपनी भी 440.46 करोड़ रुपए का ऋण चुकाने में असफल रही। विदित हो कि IL & FS 10 वर्षो से अधिक अवधि की परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, लेकिन इसके द्वारा लिये गए उधार कम अवधि के होते हैं, जो परिसंपत्ति-देयता अंतर को बढ़ा देता है। अनुमान के मुताबिक, तीन वर्षो तक 17% विसंगतियाँ नकारात्मक रहीं। ऋण का बहिर्वाह संपत्ति के अंतर्वाह से अधिक हो जाने से परिसंपत्ति-देयता विसंगति नकारात्मक हो गई।

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL & FS) की ऐसी स्थति के लिए अन्य महत्वपूर्ण कारण भी जिम्मेदार रहे हैं जैसे-

कंपनियों से कर्ज

आईएल एंड एफएस (IL & FS) ने अबतक का सबसे ज्यादा डिबेंचर्स के रूप में कर्ज लिया। इन डिबेंचर्स में जीआईसी, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट, एलआईसी, एसबीआई कर्मचारी पेंशन फंड के साथ अन्य कई लोकप्रिय म्यूचुअल फंड शामिल है।

कालाधन

IL & FS संकट का एक कारण कालाधन को माना जा रहा है। लगातार कई डिफॉल्ट से देश की वित्तीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) पर कालेधन को सफेद बनाने का संदेह जताया गया है। इसके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जाँच कर रही है।

गैर-कानूनी कार्य

कंपनी का गैर-कानूनी कार्य में लिप्त होना भी IL & FS संकट का एक कारण माना जा रहा है। प्रारंभिक जाँच में पता चला है कि इसकी कई अनुषंगी इकाइयाँ हैं और ये बड़ी मात्रा में नकदी का लेन-देन करती थीं। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि इसकी आड़ में नकदी को इधर-उधर घुमाकर कालेधन को सफेद बनाया गया।

नौकरशाही और घनिष्ठ संबंध

आईएल एंड एफएस (IL & FS) का शासन के अहम पद पर बैठे कुछ नौकरशाहों से भी घनिष्ठ संबंध सामने आया है। कंपनी की तरफ से कुछ अधिकारियों को नियमित रूप से बड़ी अनावश्यक लाभ व बड़ी रकम पहुँचाई वह भी बिना कंपनी में काम किए ऐसा इसलिए, ताकि अधिकारियों का कंपनी पर अधिकार बना रहे।

परियोजनाओं में धांधली

परियोजनाओं के स्तर पर रकम राशि परियोजना में जितनी रकम राशि खर्च करना तय किया गया था उसका बहुत ही कम भाग खर्च किया गया उदाहरण राजमार्ग और बिजली क्षेत्र में आईएल एंड एफएस ने जितनी रकम का वित्तपोषण किया था उनमें से काफी कम रकम राजमार्ग, बिजली और पानी की परियोजनाओं पर खर्च हुए।

किस्त चुकाने में विफल

IL & FS के वित्तीय संकट ने उसे किस्तों के भुगतान में कमजोर किया। सरकार के ऊपर भी करीब 17,000 करोड़ रुपये की देनदारी है। 250 से भी ज्यादा अनुषंगी इकाई और संयुक्त उपक्रम - बीते महीने सिडबी का 1,000 करोड़ रुपये का किस्त चुकाने में विफल रहा है ऐसे में - अगले छह महीने में 3,600 करोड़ रुपये की किस्त चुकाना पड़ेगा, वही किस्त में जिन परियोजनाओं का वित्तपोषण किया गया है उनमें से 17,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अटकीं हुई हैं।

जाँच-परख कि अनदेखी

ऐसी संस्थाओं का यह दायित्व होता है कि परियोजना पर खर्च करने से पहले जाँच-पड़ताल व परियोजनाओं का सही समय पर आकलन व मूल्यांकन हो लेकिन यहाँ अनदेखी पायी गई। कई मामलों में परियोजना की वित्तीय लागत बेहद बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया जिसपर आईएल एंड एफएस ने बिना उसकी जाँच-परख किए वित्तपोषण कर दिया।

रिपोर्ट में घालमेल

सरकार ने आईएल एंड एफएस मामले की जांच का जिम्मा धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंपा है। इस मामले में सरकार ने 2009 के सत्यम घोटाले से जुड़ी रिपोर्ट तलब की है, लेकिन दुर्भाग्य की बात की यह रिपोर्ट मिल नहीं रही है जो रिपोर्ट में प्रशासनिक स्तर पर हुए घालमेल की तरफ इशारा करते हैं।

प्रभाव क्या पड़ेगा?

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक आधारभूत संरचना विकास व वित्तीय कम्पनी है. जिसकी लगभग 250 उप इकाइयां या सहोदर कम्पनियां हैं। इसके प्रभावित होने से भरतीय अर्थव्यवस्था निम्न प्रकार से प्रभावित होगा -

- IL & FS के दिवालिया हो जाने से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, मुख्य रूप से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के निवेशक परेशानी में पड़ गए है। म्यूचुअल फंडों पर भुगतान दबाव और अपर्याप्त पूंजी की वजह से 1,500 छोटी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लाइसेंस रद्द होने का जोखिम चिंता का कारण बन गया हैं। उलेखनीय है कि बैंक और म्यूचुअल फंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों तथा अन्य गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिये वित्तपोषण के मुख्य स्रोत हैं। वित्तपोषण में बैंक 40% और म्यूचुअल फंड 30% का योगदान देते हैं। इसे आईएल एंड एफएस संकट का वित्तीय बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है।
- वही गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के गहराते संकट का लाभ वाणिज्यिक बैंकों को हो सकता है। वह एक बार फिर से कंपनियों को ऋण देने वाले प्रमुख स्रोत के रुप में उभर सकते हैं। इससे ऋण वितरण में उनकी घटती हिस्सेदारी बढ़ सकती है। सिंगापुर की ब्रोकरेज कंपनी डीबीएस ने अपनी एक रपट में कहा कि 2014 के बाद से बुनियादी क्षेत्र को ऋण देने वाली आईएल एंड एफएस जैसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की ऋण बाजार में हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है, जबकि वाणिज्यिक बैंक इस दौरान गैर-निष्पादित अस्तियों (एनपीए) के संकट को लेकर जूझने लगे।
- रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में संभावना है कि घरेलू बैंकों की ऋण देने में हिस्सेदारी फिर से बढ़ेगी और वह बांड बाजार एवं गैर-बैंकिंग कंपनियों के मुकाबले वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण देने वालों में फिर से मुख्य स्रोत बन कर उभरेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 बैंकों के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत होने के बावजूद बैंक कर्ज देने वाले प्राथमिक स्रोत के रूप में आगे आयेंगे। बाजार आधारित उधारी की लागत बढ़ने, बाजार में नकदी की कमी और बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता मुद्दों को सुलझाने के लिये किये जा रहे प्रयासों से यह संभव होगा। इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक के वित्तपोषण का हिस्सा पिछले साल के 55 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत रह गया। इसके बाद 2017-18 में यह बढ़कर 50 प्रतिशत पर पहुंच गया।
- कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने संकट में फंसी आईएल एंड एफएस के प्रबंधन में बदलाव के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में दायर अर्जी में इन कारकों का उल्लेख किया है। गौरतलब है कि आईएल एंड एफएस समूह की कुछ इकाइयों द्वारा ऋण चूकाने के बाद वित्तीय बाजारों में नकदी संकट की आशंका बढ़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जोर देकर कहा है कि प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं।
- IL & FS का ज्यादा पैसा सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगा है। इसके डूबने से तमाम प्रोजेक्ट अधर में लटक जाएंगे। उदारण-लद्दाख से कश्मीर को जोड़ने के लिए बन रही जोजिला टनेल का प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट 4,880 करोड़ रुपये का है। इसी तरह के अन्य प्रोजेक्ट हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार या तो ऐसे प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले ले या आईएल एंड एफएस में इसके शेयर होल्डर सरकारी बैंकों/कम्पनियों एलआईसी, स्टेट बैंक आफ इंडिया,सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से फिर से 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक पूँजी लगवाकर इसे या इसकी कुछ सहोदर कम्पनियों को डूबने से बचाएँ।
- आईएल एंड एफएस व उसकी सहोदर इकाइयों में जो रकम लगी हुई है उसमें दो तिहाई सरकारी बैंकों के हैं, जो कि लगभग 91 हजार करोड़ रुपये हैं। आईएल एंड एफएस में 16 प्रतिशत नान बैंकिंग फिनांसियल कम्पनियों की पूंजी लगी हुई है। भारत सरकार की कम्पनी मामलों के मंत्रालय ने कम्पनी ला ट्रिब्यूनल में जो 36 पृष्ठ की रिपोर्ट दी है, उसमें यह आंकड़ा है। आईएल एंड एफएस के प्रमुख भागीदार एलआईसी, स्टेट बैंक आफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, जापान की ओरिक्स कॉरपेरेशन और अबुधाबी इनवेस्टमेंट अथारिटी आदि

हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि आईएल एंड एफएस डूबी तो भारत के अलावा कई देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगेगा।

- IL&FS गैर बैंकिंग वित्तीय सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इस सेक्टर पर बैंकों का लोन 496,400 करोड़ है। अगर यह सेक्टर डूबा तो बैंकों के इतने पैसे धड़ाम से डूब जाएंगे। मार्च 2017 तक लोन 3,91,000 करोड़ था। जब एक साल में लोन 27 प्रतिशत बढ़ा तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रोक लगाई। सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक इतने दिनों से क्या कर रहा था। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ही इन वित्तीय कंपनियों की निगरानी करता है। म्यूचुअल फंड का 2 लाख 65 हजार करोड़ लगा है। हमारे आपके पेंशन और प्रोविडेंड फंड का पैसा भी इसमें लगा है। इतना भारी भरकम कर्जदार डूबेगा तो कर्ज देने वाले, निवेश करने वाले सब के सब डूबेंगे।

आगे कि राह

सरकारी बैंकों में चल रहे वित्तीय घोटालों, जिनकी वजह से बैंक लगभग 10 लाख करोड़ के अलाभकारी ऋणों से जूझ रहे हैं, इससे उबरने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) का प्रबंधन कार्य अंततः सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इसके तहत -

- IL&FS ने संकट का सामना व इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक 6 सदस्यों की समिति बनाई है और इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष (नान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन) कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और एमडी उदय चोपड़ा को बनाया गया है। साथ ही शेयर होल्डर्स को प्रेरित किया जाए ताकि वह कंपनी को बचाने के लिए इसमें और फंड निवेश करें। इसके अलावा इससे उबरने के लिए नए इक्विटी पार्टनर्स को सहयोगी बनाकर और इसकी संपत्तियों को विशेषतया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचकर लगभग दस हजार करोड़ रुपये इकट्ठा करने पर बल दिया जा रहा है।
- वही दूसरी तरफ तीन तरह की रणनीतियों की शुरुआत की है- राइट शेयर जारी करना, ऋण चुकाने के लिये संपत्ति की बिक्री और लिक्विडिटी शेयर संबोधित करना जब तक कि संपत्ति की बिक्री शुरू नहीं हो जाती।
- यह राइट शेयर जारी करते हुए 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है जिसमें यह 150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 30 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगा।
- इसके बोर्ड ने सहायक कंपनियों जैसे- आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज, आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन, आईएल एंड एफएस एनर्जी, आईएल एंड एफएस एन्वायरनमेंट और आईएल एंड एफएस एजुकेशन में 5,000 करोड़ के पुनर्पूंजीकरण को भी मंजूरी दे दी है।
- बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त-पोषण कारोबार में लगी आईएल एंड एफएस (IL&FS) को अपने मौजूदा शेयरधारकों एलआईसी, ओरिक्स कॉर्प और एसबीआई की ओर से बड़ी राहत मिली है। तीन कंपनियों ने शनिवार को आईएल एंड एफएस के प्रस्तावित 4,500 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू को खरीदने का ऐलान किया है।
- यहाँ यह बात स्पष्ट होती है कि सरकार द्वारा किए जा रहे ये कार्य अपने आप में इस बात कि ओर इशारा करते हैं कि सरकार इन घटनाओं से सबक जरूर ले रही है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे घटनाओं को लेकर सरकार शुरू से मुस्तैद रहे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

■

7. भारतीय शेरों पर मंडराता खतरा

चर्चा का कारण

गुजरात के गिर में शेरों की लगातार हो रही मौत ने वन प्रशासन समेत पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खीचा है। हाल ही में खतरनाक वायरस की वजह से दो और शेरों की मौत हो गई। उल्लेखनीय है कि 12 सितंबर से अब तक कुल 23 शेरों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इन शेरों की मौत एक जानलेवा वायरस की वजह से हुई है। यह वायरस कुत्तों से जंगली जानवरों में फैला है। इसी वायरस की वजह से साल 1994 में तंजानिया के सरेंगिटी रिजर्व में करीब 1000 शेरों की मौत हो गई थी।

शेरों की प्रजातियाँ

पूरे विश्व में शेरों का महत्व दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है, दरअसल इसके मूल में इस प्रजाति की संख्या में आ रही कमी है। समान्यतः शेरों की दो प्रजातियाँ होती है। पहली प्रजाति एशियाई शेरो की है तो वही दूसरी प्रजाति अफ्रीकी शेरों की है। यह माना जाता है कि एशियाई शेर अफ्रीकी शेरो से संबंधित हैं जो हजारों वर्ष पहले अलग हो गये थे। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो यहाँ एशियाटिक शेर ही पाए जाते हैं। वर्तमान में इनकी सबसे ज्यादा संख्या गिर वन में है। इस प्रजाति को पेन्थेरा लिओ भी कहते है।

गौरतलब है कि एशियाई शेर शिकार की खोज में मध्य पूर्व से भारत आए थे। यह बिल्लयों की अकेली ऐसी प्रजाति है जो झुंडों में रहती है। एशियाई शेरों की लम्बाई 250 से 300 सेमी होता है। मादा शेर के शरीर का आकार थोड़ा छोटा होता है। वही अफ्रीकी शेर इन एशियाई शेरों से लगभग 30 सेंमी ज्यादा लम्बे होते हैं। एक शेर की औसत आयु सामान्यतः 16 से 18 वर्ष तक की होती है।

भारत में शेरों की वर्तमान स्थिति

भारत विश्व में विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों वाले प्रजातियों का देश है। भारत में शेर आदिकाल से ही पाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति और प्राचीन साहित्य में सिंह या शेर का व्यापक चित्रण हुआ है। शेर को बलवान, पराक्रमी, शक्तिशाली, गौरवपूर्ण ओजस्वी जानवर माना गया है।

अमेरिकी मत्स्य एवं वन्यजीव सेवा के वैज्ञानिक शोधों के आधार पर यह पता लगाया गया है कि पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी में पाई जाने वाली अफ्रीकी शेरों की प्रजाति एशियाई शेरों के बहुत करीब है। अब इन्हे एक ही प्रजाति पैंथरा लियो मना जा रहा है।

अमेरिकी मत्स्य एवं वन्यजीव सेवा द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इस प्रजाति के अब अनुमानतः 1400 शेर ही बचे हैं जिनमें से लगभग 900

करीब 14 अफ्रीकी देशों में और 523 भारत में है जो बढ़कर 600 हो गयी है। उल्लेखनीय है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या में बढ़ोतरी का पता हाल ही में की गई गणना से हुई है।

शेरों के संरक्षण के उपायों और स्थानीय लोगों की मदद से यह उल्लेखनीय उपलब्धि तो हासिल हुई है, लेकिन शेरों की दुर्घटना, आपसी संघर्ष व संक्रामक रोग से मरने का अनुपात भी बढ़ा है जो चिंता का विषय है। महज दो वर्ष में 184 शेरों की मौत हो गई है।

स्मरणीय है कि 2016 में 104 और 2017 में 80 शेरों की मौत हो गई। इनकी मौत की वहज प्राकृतिक-अप्राकृतिक बताई गयी है। सरकार ने सिंहों की मौत की वजह बताते हुए कहा कि वर्ष 2016 में मारे गए शेरों में 21 नर, 40 मादा, 31 शावक सहित कुल 92 शेर मरे। इसके अलावा 12 शेरों की मौत अप्राकृतिक या दुर्घटनावश हुई। वहीं वर्ष 2017 में 11 नर सिंह, 17 मादा, 32 शावक सहित कुल 60 की मौत प्राकृतिक रूप में हुई तथा 20 शेरों की मौत अप्राकृतिक या दुर्घटना के कारण दर्ज की गई।

यहाँ सवाल उठता है कि शेरों कि यह मौत क्यों नही रूक रही है जबकि माना जाता है कि एशियाई शेरों के लिए गिर अभयारण्य विख्यात है जो लगभग 1424 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही यह अभयाण्य दक्षिण अफ्रीका के बाद विश्व का इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है।

शेरों को खतरा

शेरों के संबंध में एक दुखद पहलू यह है कि इनकी संख्या अब बहुत सीमित है। एक समय यह जानवर एशिया में कई जगह तथा अरब और फारस में पाया जाता था किन्तु अब यह केवल हमारे देश के गिर जंगलों के सीमित क्षेत्रों में रह गये हैं।

शेरों की इस स्थिति को देखते हुए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने वर्ष 2000 में एशियाई शेर को विलुप्त होने वाली प्रजाति की सूची में शामिल कर दिया था। वर्ष 2005 में जब शेर की आबादी बढ़ी और यह 250 की संख्या को पार करने लगी तब इसे उस सूची से हटाया गया। यह सब संरक्षण के उपायों और स्थानीय लोगों की मदद से हुआ। इनकी जनसंख्या वर्तमान में प्रतिवर्ष 2% की दर से बढ़ रही है। ध्यान देने योग्य बात है कि 1960 के दशक मे एशियाई शेरों की संख्या मात्र 160 के आसपास थी जो वर्तमान में 600 तक पहुँच गई है। हाँलाकि अब भीं संरक्षणकर्ताओं के समक्ष शेरों की सुरक्षा को लेकर कई खतरे मौजूद है जैसे-

- शेरों के खतरे के लिए प्राथमिक कारणों में से एक आवास की कमी है। आज प्राकृतिक परिदृश्य के विनाश में मानव हस्तक्षेप एक प्रमुख कारण रहा है। असंख्य प्रजातियों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करने वाले पेड़ों का काटना, खनन और कृषि जैसी मानवीय गतिविधियाँ इन शेरों को सीमित क्षेत्रों में सीमांकित करता है।
- संरक्षणकर्ताओं के सामने शेरों की किसी दुर्घटना की वजह से हुई मौत और क्षेत्र में होने वाला अवैध खनन भी सबसे बड़ी चुनौती है।
- वर्तमान में शेरों के संरक्षण के समक्ष एक खतरा शेर की आबादी का अभ्यारण की क्षमता से ज्यादा होना भी है ऐसे में आदमी और जानवरों के बीच संघर्ष और संक्रामक रोग का खतरा बढ़ रहा है।
- वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच टकराव तथा संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। विकास की भूख बहुमूल्य वन्यजीवों को नष्ट कर रही है। शहर बनाने और खेती करने के लिए तेज रफ्तार से जंगल साफ हो रहे हैं साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रहा है जो न केवल मनुष्य स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है बल्कि जानवरों को भी प्रभावित कर रहा है।
- अवैध शिकार करने से दुनिया भर में शेरों की संख्या पर बहुत ही विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। दरअसल बीसवी शताब्दी के आरम्भ के कुछ वर्षो तक शेरों का बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता रहा।
- अवैध शिकार से बचाने के लिए उन्हें अक्सर अभयारण्य और आश्रय में रखा जाता है। कुछ जानवरों के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है जबकि बाकि अन्य जानवरों व जो इनसे छूट जाते है उनकी अनदेखी होती है।
- इसके अलावा जलवायु परिवर्तन ने भी वन्य जीवों को प्रभावित किया है या यूँ कहा जाए कि जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर वन्य जीवों पर पड़ता है तो गलत नहीं होगा। वन्य जीवों के प्रभावित होने से उनके प्राकृतिक पर्यावास नष्ट हो जाते हैं।
- गिर वन में शेरों की मौत उनके खतरे को प्रकट करती है दरअसल शेरों की मौत के लिए वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही भी सामने आई है।

भारत में शेरों के संरक्षण को लेकर सरकार के कदम

गुजरात के गिर वन में शेरों की लगातार हो रही मौत को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने फैसला किया है कि कमजोर और बीमार शेरों को अमेरिकी दवा दी जाएगी तथा वेटरनरी डॉक्टर, क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा सीसीटीवी से शेरों की निगरानी में रखा जाएगा। वन विभाग ने बताया है कि तत्काल राहत के तहत अमेरिका से कैनाल डिस्टेम्पर की 300 बोतल मंगाई गई है। इसका प्रयोग बीमार शेरों को टीका लगाने के लिए किया जाएगा। वही दूसरी तरफ विभाग ने फौरी कार्यवाही करते हुए एहतियात के तौर पर सेमरडी इलाके के पास सरसिया से 31 शेरों को हटाकर जामवाल रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया है ताकि इन्हें वायरस से बचाया जा सकें।

गौरतलब है कि भारत वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर हमेशा से ही सजग रहा है भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ वन्य जीवों की भी ईश्वर रूप में पूजा होती रही है। इसी का परिणाम था कि स्वतंत्रता के पश्चात् इनकी सुरक्षा के लिए संविधान की समवर्ती सूची में प्रावधान किया गया। वही केंद्रिय मंत्रालय को वन्यजीव संरक्षण संबंधी नीतियों और नियोजन बनाने का कार्य दिया गया। राज्य वन विभागों को जिम्मेदारी दी गई कि वे राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित करें।

यहाँ हम कुछ वैधानिक प्रावधानों को देख सकते है जो काफी हद तक वन्य जीवों के संरक्षण में कारगर रही है जैसे-

- वन्यजीवों (शेर, बाघ आदि) को विलुप्त होने से रोकने के लिये सर्वप्रथम 1872 में वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ।
- 1927 में भारतीय वन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसके प्रावधानों के अनुसार वन्य जीवों (शेर, चीता, बाघ) के शिकार एवं वनों की अवैध कटाई को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया।
- स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार द्वारा इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्थापना की गई।
- 1956 में पुनः भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया।

- 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह एक व्यापक केन्द्रीय कानून है, जिसमें विलुप्त होते वन्य जीवों तथा अन्य लुप्त प्राय: प्राणियों के संरक्षण का प्रावधान है।
- 1976 में वन्य जीवों का संरक्षण हेतु, भारत के संविधान में 42वें संशोधन (1976) अधिनियम के द्वारा दो नए अनुच्छेद 48-1 व 51 को जोड़कर वन्य जीवों से संबंधित विषय के समवर्ती सूची में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत में संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) नेटवर्क में वन राष्ट्रीय पार्क तथा 515 वन्यजीव अभ्यारणय, 41 संरक्षित रिजर्व तथा चार सामुदायिक रिजर्व का भी प्रावधान किया गया है।
- 1983 में वन्य जीवों की चिंतनीय स्थिति में सुधार एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव योजना शुरू की गई। इस संदर्भ में 1982 में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की स्थापना वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र के प्रशिक्षण और अनुसंधानिक संस्थान के रूप में होना बड़ी उपलब्धि रही।
- स्मरणीय है कि संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन संबंधी जटिल कार्य के अनुभव को देखते हुए 2002 में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016) को अपनाया गया, जिसमें वन्यजीवों के संरक्षण के लिये लोगों की भागीदारी तथा उनकी सहायता पर बल दिया गया है।
- हाल ही में एक और नई पहल करते हुए केन्द्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने वन्यजीवों (शेर, चीता, बाघ आदि) के संरक्षण और स्वच्छ पर्यावास हेतु 15 वर्षो के लिए एक राष्ट्रीय वन्यजीव योजना की शुरूआत की है। वर्ष 2017 से 2031 तक के लिये तैयार की गई यह योजना 2 अक्टूबर से जारी है। इस योजना का लक्ष्य वन्यजीवों के लिये दैनिक सुविधाओं की व्यवस्था तथा जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने की रणनीति तैयार करना है।

आगे की राह

- अभी तक के कुल अध्ययन का निचोड़ यह है कि एशियाई शेरों की जैसे हालात गिरी में है वह चिन्ताजनक है तो वही भारत में शेरों के गणना से जो आकड़े आए है वह वन्य जीव संरक्षकों के लिए खुशी का सबक है, जो यह बताते है कि हम एशियाई शेरों की आखिरी आबादी को बचाने में काफी हद तक सफल रहे है परन्तु अभी भी राह चुनौतियों से परिपूर्ण है। अत: हमें प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है इस संदर्भ में कुछ उपायों को अमल में लाया जा सकता है।
- शेरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कई प्रजनन कार्यक्रम को अमल में लाया जा सकता है। इसके लिए सरकारी, गैर सरकारी संगठनों और अन्य कॉर्पोरेट निकायों को इस महान उद्देश्य के लिए आगे आना चाहिए। चूँकि इस कार्यक्रम में समर्पित और विशेष लोगों तथा निश्चित रूप से बहुत धन की आवश्यकता है।
- शेरों को अपनी संख्या में एक बार वृद्धि के बाद जंगलों में पुन: छोड़कर उनके जीवन को शुरू करना कुछ मामलों में सफल होगा।
- यदि शिकार और अवैध शिकार को नियंत्रित किया जाए तो महत्वपूर्ण बदलाव होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

अर्थव्यवस्था का सहकारी मॉडल एक बेहतर विकल्प

प्र. 'भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए को-ऑपरेटिव (सहाकरी) मॉडल, समाजवादी और पूँजीवाद का एक बेहतर विकल्प हो सकता है' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- समाजवाद और पूँजीवाद की संकल्पना
- को-ऑपरेटिव मॉडल
  - क्या है?
  - विशेषताएँ
  - लाभ
  - कॉपरेटिव संस्थाएँ
  - सीमाएँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- गुजरात में अमूल की चॉकलेट फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए 'को-ऑपरेटिव (सहकारी) मॉडल', पूँजीवाद और समाजवाद का बेहतर विकल्प हो सकता है।

पूँजीवाद

- पूँजीवाद से अभिप्राय, ऐसी विचारधारा से है जो किसी देश की आर्थिक गतिविधियों में निजीकरण को बढ़ावा देता है और राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप को कम करता है।

समाजवाद

- समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत देश के उत्पादक संसाधनों पर समाज के बेहतर हितों की पूर्ति के लिए एक केन्द्रीय शक्ति या सरकार का स्वामित्व रहता है और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

को-ऑपरेटिव मॉडल

- यह मॉडल सहकारिता के विचार पर आधारित होता है, इसमें न सरकार फैसला लेती है और न ही उद्योगपति फैसला लेते हैं, यहाँ सामूहिकता मायने रखते हैं।

विशेषताएँ

- सहकारिता में पूँजी सभी सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है और प्रतिफल में सबका अधिकार होता है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य समाज एवं अपने सदस्यों की सेवा व विकास करना है।
- इसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक व नैतिक उत्थान पर भी ध्यान दिया जाता है।

लाभ

- इसके द्वारा आर्थिक व सामाजिक विषमताओं को कम किया जा सकता है।
- ग्रामीण विकास में यह मॉडल उल्लेखनीय रूप से अपना योगदान दे सकता है। यथा- अमूल।

सहकारी (को-ऑपरेटिव) संस्थाएँ

- इनमें विभिन्न सहाकारी समितियों (अमूल, सहकारी बैंक, लिज्जत पापड़, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक आदि) एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को रखा जा सकता है।

सीमाएँ

- सहकारी संस्थाओं में भाई-भतीजावाद, आपसी मतभेद और भ्रष्टाचार आदि का व्याप्त होना।
- राजनीतिक हस्तक्षेप
- आर्थिक संसाधनों की तंगी।

आगे की राह

- सहकारिता आंदोलन की पूर्ण सफलता के लिए आवश्यक है कि इसकी संस्थाओं (यथा सहाकारी समितियाँ) की नियमित जाँच, सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण होना चाहिए। ■

स्वच्छता और स्वास्थ्य : मानव जीवन की मौलिक आवश्कता

प्र. हाल ही में स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर WHO की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए इसके वर्तमान महत्व को बताइए?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- डब्ल्यूएचओ की स्वच्छता एवं स्वास्थ्स सिफारिशें
- वैश्विक मार्गनिर्देशों की वर्तमान आवश्यकता क्यों

- मार्गनिर्देशों का महत्व

चर्चा का कारण

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हाल ही में पहली बार वैश्विक स्वच्छता तथा स्वास्थ्य पर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह दिशा-निर्देश स्वच्छता की प्रभावशीलता को स्पष्ट करते हैं तथा इसमें स्वच्छता के हमारे स्वास्थ्य प्रभाव के सन्दर्भ में प्रकाश डाला गया है।

डब्ल्यूएचओ की स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सिफारिशें

- स्वच्छता संबंधी मध्यवर्ती इकाइयों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी समुदायों की ऐसे शौचालयों तक पहुँच सुनिश्चित हो जहाँ मल-मूत्र आदि का सुरक्षित निपटान हो।
- व्यक्तियों और समुदायों को मल-मूत्र के संपर्क से बचाने के लिये पूर्ण स्वच्छता प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन किया जाना चाहिये।
- स्वच्छता को नियमित रूप से स्थानीय सरकार की अगुआई वाली योजना और सेवा प्रावधान के अंतर्गत एकीकृत किया जाना चाहिये।
- स्वास्थ्य क्षेत्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये स्वच्छता योजना में अधिक निवेश करना चाहिये और साथ ही समन्वयक की भूमिका निभानी चाहिये।

वैश्विक मार्गनिर्देशों की वर्तमान में आवश्यकता क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन समय-समय पर स्वच्छता संबंधी आंकड़े जारी करता रहता है।

मार्गनिर्देशों का महत्त्व

- WHO को नए मार्गनिर्देश इसलिए बनाने पड़े कि वर्तमान में इस विषय में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे प्रत्याशित लाभ नहीं हो पा रहा है और स्वच्छता के बारे में स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रमाणिक निर्देश उपलब्ध नहीं थे।
- अप्रोच इत्यादि शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों का पालन करके गंदे पानी तथा अस्वच्छता के कारण होने वाले डायरिया से होने वाले मौतें रोकी जा सकती है। स्वच्छता पर किये गये प्रत्येक डॉलर से 6 गुना अधिक रीटर्न मिलता है, इससे स्वास्थ्य लागत कम होती है, उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा समय से पूर्व मृत्यु में कमी आती है।
- असुरक्षित पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई में कमी के कारण डायरिया जैसी बीमारियाँ होने से हर साल लगभग 829,000 मौतें होती हैं। WHO के नए दिशा-निर्देशों को अपनाकर देश मौत के इन आँकड़ों में कमी ला सकते हैं। ■

असुरक्षित गर्भपात : भारत में मातृ मृत्युदर का एक बड़ा कारण

प्र. ''हाल ही में जारी लसेंट ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत में गर्भपात कानूनी रूप से वैध होने के बाद भी असुरक्षित गर्भपात अभी भी जारी है'' इस कथन के संदर्भ में गर्भपात के कारणों की चर्चा करते हुए इसके समाधान के लिए आवश्यक उपाय सुझाएँ।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- असुरक्षित गर्भपात क्या है?
- भारत की स्थिति
- असुरक्षित गर्भपात के कारण
- सरकारी प्रयास
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक असुरक्षित गर्भपात की वजह से प्रतिदिन 10 महिलाओं की मौत होती है।
- आंकड़ों की बात करें तो देश में गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले में 8 फीसदी वजह असुरक्षित गर्भपात होते हैं।

असुरक्षित गर्भपात है क्या?

- असुरक्षित गर्भपात वह है, जो किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से करवाया जाता है। उस व्यक्ति के पास न तो कोई डिग्री होती है और न ही अनुभव अर्थात् कानूनी तौर पर ऐसा व्यक्ति गर्भपात कराने का अधिकार नहीं रखता है। असुरक्षित गर्भपात से दर्द, संक्रमण संतानहीनता जैसी जटिलताएँ पनप सकती हैं यहाँ तक की मौत भी हो सकती है।

भारत की स्थिति

- लसेंट ग्लोबल हेल्थ के हालिया अध्ययन के अनुसार भारत में हर साल 15 मिलियन गर्भपात होता है जिसमें से केवल 22% गर्भपात निजी व सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से कराये गये। शेष 78% गर्भपात स्वास्थ्य सुविधाओं से परे हुए हैं।
- शोध के अनुसार 81 फीसदी महिलाएँ घर में ही गर्भ-निरोधक गोलियों के सेवन से गर्भपात को अंजाम देती हैं वहीं 14 फीसदी महिलाएँ अस्पताल में जाकर गर्भपात कराती हैं।

गर्भपात के कारण

- डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत जैसे देश में हर साल 4-5 हजार महिलाएं बच्चों को जन्म देने संबंधी कारणों से मर जाती हैं क्योंकि भारत में आज भी माहवारी, गर्भधारण, गर्भपात जैसे विषयों पर बात करना असहज माना जाता है।
- गाँव ही नहीं शहर की पढ़ी-लिखी महिलाएं भी खुद से ही दवाएँ लेकर अपनी जान जोखिम में डालती हैं।

सरकारी प्रयास

- एमटीपी अधिनियम (मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट), 1971 के मुताबिक भारत में गर्भपात को कानूनी तौर पर अनुमति है हांलाकि, कानूनी रूप से यह केवल गर्भधारण के 20 सप्ताह तक किया जा सकता है।
- अगर किसी महिला की मर्जी के बगैर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का गर्भपात कराया जाता है तो वह आईपीसी अधिनियम के तहत अपराध की श्रेणी में आयेगा।

आगे की राह

- गर्भपात सेवाओं को अधिक-से-अधिक विकेन्द्रीकृत करने की जरूरत है ताकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इसका लाभ कम दूरी पर उपलब्ध हो सके।
- गर्भपात वैधता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। ■

भारत–उज्बेकिस्तान संबंधों में एक नया आयाम

प्र. हाल के वर्षों में मध्य एशियाई देशों में बढ़ती अस्थिरता के बीच भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य संपन्न समझौते मध्य एशियाई देशों में भारतीय हित को किस हद तक प्रभावित करेगा? मूल्यांकन करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- उज्बेकिस्तान तथा मध्य एशियाई देश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों?
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के दो दिवसीय यात्रा पर आए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिष्ट मंडल स्तर की वार्ता की।
- दोनों शीर्ष नेताओं ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाने के लिए सुरक्षा, पर्यटन और स्वास्थ्य समेत 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

पृष्ठभूमि

- उज्बेकिस्तान ने सितंबर, 1991 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की तभी से भारत उज्बेकिस्तान के रिश्तों में मजबूती का दौर चलता आ रहा है। जिनको राजनीतिक, आर्थिक, द्विपक्षीय व्यापार तथा सांस्कृतिक संबंधों के रूप में देखा जा सकता है।

वर्तमान परिदृश्य

- वर्तमान समय में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच परंपरागत रूप से घनिष्ठ और सौहार्द्रपूर्ण संबंध रहे हैं। वर्ष 2011 से दोनों देशों के बीच संबंध सामरिक भागीदारी स्तर तक पहुँचे हैं। राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, मानव संसाधन विकास, रक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के व्यापक संबंध हैं।
- वर्तमान समय में भारत और उज्बेकिस्तान ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।

उज्बेकिस्तान तथा मध्य एशियाई देश भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों?

- उज्बेकिस्तान तेजी से उत्पादन, कच्चे माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ है इससे गैर-लौह और दुर्लभ पृथ्वी धातु उद्योग में भारतीय निवेश के लिए कई उत्कृष्ट अवसर मौजूद है।
- प्राकृतिक संसाधनों से विद्युत उत्पादन, ऊर्जा, पाइपलाइन के विस्तार होने के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के कारण हथियारों की तश्करी में कमी आई है।

चुनौतियाँ

- चाबहार तथा परिवहन गलियारा जैसी संपर्क से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रगति का धीमा होना।
- पाकिस्ताना तथा अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाना तथा इन देशों में स्थिरता की कमी।

आगे की राह

- मध्य एशियाई राष्ट्रों (उज्बेकिस्तान) और भारत के मध्य संबंधों की मजबूती आवश्यक है। ये दोनों देश अफगानिस्तान में सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं जिससे इस क्षेत्र में व्यापार तथा वाणिज्य को गति दी जा सकती है।
- चीन की बढ़ती भागीदारी की काट के लिए भारत को मध्य एशियाई देशों में महती भूमिका निभाने की आवश्यकता है। ■

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसकी प्रभावकारिता

प्र. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अमेरिका के बीच उत्पन्न विवाद को आप किस प्रकार देखते है? भारत के संदर्भ में न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णयों की चर्चा करते हुए इसके कार्य पद्धति को समझायें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्याय क्षेत्र
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कैसे काम करता है?
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और भारत
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगले साल 18 फरवारी से दोबार सुनवाई शुरू करेगा। आईसीजे ने कहा कि यह सुनवाई 18 से 21 फरवरी 2018 के बीच होगी।

परिचय

- आईसीजे (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय) संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया था।

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और इनको दोबारा भी चुना जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्याय क्षेत्र

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मदद इसके एक प्रशासनिक अंग 'रजिस्ट्री' द्वारा की जाती है। न्यायालय का काम कानूनी विवादों का निपटारा करना और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों और विशेष एजेन्सियों द्वारा उठाए कानूनी प्रश्नों पर राय देना है।

आईसीजे कैसे काम करता है?

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी मर्जी के हिसाब से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है।
- न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नियमावली, 1978 के अनुसार चलती है जिसे 29 सितम्बर 2005 को संशोधित किया गया था।

आईसीजे और भारत

- आईसीजे में दलवीर भंडारी का निर्वाचन भारत की कूटनीतिक क्षमता को दर्शाता है जिसके जरिये भारत ने न सिर्फ महासभा के सदस्यों का समर्थन प्राप्त किया बल्कि सुरक्षा परिषद में अपने विपरीत जा रहे मतों को भी अपनी ओर करने में सफलता अर्जित की।

चुनौतियाँ

- अमेरिका-इरान विवाद, भारत का कश्मीर मामला तथा कुलभूषण जाधव मामला, इराक-अफगानिस्तान मामला, इजरायल-फिलिस्तान मामला, सीरिया मामला आदि।
- अमेकि सहित पश्चिमी देशों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर बढ़ता दबाव।
- विकसित देशों द्वारा निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि विश्व के नागरिकों के हितों का संरक्षक है उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के अपने निर्णय को सुनाये।
- यदि न्यायालय में बाहरी हस्तक्षेप बढ़ता है तो इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा सकता है।
- इसलिए न्यायालय को विवादित मुद्दे पर संतुलित रूख आख्तियार करते हुए अपने अधिकारों का प्रयोग कर नागरिको के हितों की सुरक्षा करनी होगी। ■

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का बढ़ता संकट

प्र. इफ्रांस्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है? इसके संकट में होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- इफ्रांस्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्या है?
- भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारत के गैर-बैंकिंग क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी 'इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS)' के ऊपर नकदी तथा कर्ज का संकट आ गया जिसने पूरे गैर-बैंकिंग क्षेत्र को भयभीत कर दिया है। गौरतलब है कि लीजिंग ऐंड फाइनैंशल सर्विसेज लि. (IL&FS) ग्रुप पर 91 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इसे अभी नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है।

क्या है IL&FS?

- इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएल एंड एफएस) एक भारतीय बुनियादी ढांचा विकास और वित्त कंपनी है। यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। इसे एनबीएफसी का दर्जा भी मिला हुआ है। यह 250 से अधिक सहायक कंपनियों के माध्यम से संचालित होती है। इसकी स्थापना साल 1987 में हुई थी। उस समय इसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लोन देने के लिए बनाया गया था।

IL&FS संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लि. एक आधारभूत संरचना विकास व वित्तीय कम्पनी है। जिसकी लगभग 250 उप इकाइयां या सहोदर कम्पनियां हैं। इसके संकट से भरतीय अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रकार से प्रभावित होगा-
  - IL&FS के डिफॉल्ट हो जाने से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ, मुख्य रूप से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के निवेशक परेशानी में पड़ गए हैं।
- वित्तपोषण में बैंक 40% और म्यूचुअल फंड 30% का योगदान देते हैं। इसे आईएलएंडएफएस संकट का वित्तीय बाजारों पर पड़ने वाले प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है।
- वहीं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के गहराते संकट का लाभ वाणिज्यिक बैंकों को हो सकता है। वह एक बार फिर से कंपनियों को ऋण देने वाले प्रमुख स्रोत के रूप में उभर सकते हैं। इससे ऋण वितरण में उनकी घटती हिस्सेदारी बढ़ सकती है।

आगे कि राह

- सरकारी बैंकों में चल रहे वित्तीय घोटालों, जिनकी वजह से बैंक लगभग 10 लाख करोड़ के अलाभकारी ऋणों से जूझ रहे हैं, से उबरने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) का प्रबंधन कार्य अंतत: सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इसके तहत -
  - IL&FS ने संकट का सामना व इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक 6 सदस्यों की समिति बनाई है और इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष (नान एग्जीक्यूटिव चेयरमैन) कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और एमडी उदय चोपड़ा को बनाया गया है। ■

भारतीय शेरों पर मंडराता खतरा

प्र. एशियाई शेरों की भारत में वर्तमान स्थिति को बताते हुए सकरार द्वारा इनकी सुरक्षा के लिए चलाए गए कार्यों का जिक्र करें।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- भारत में शेरों की वर्तमान स्थिति
- सरकार द्वारा सुरक्षा को लेकर कार्य
- आगे कि राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में गुजरात के गिरी में 23 शेरों की मौत हो गई।

भारत में शेरों की वर्तमान स्थिति

- भारत विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों वाले प्रजातियों का देश है। अमेरिकी मत्स्य एवं वन्य जीव सेवा द्वारा जारी किए गये रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रजाति की अनुमानत: संख्या लगभग 1400 है जिसमें से करीब 900 अफ्रीकी देशों में तथा 523 भारत रहते है जिनकी संख्या वर्तमान में 600 हो गई है।

सरकार द्वारा सुरक्षा को लेकर कार्य

- कमजोर और बीमार शेरों को अमेरिकी दवाओं की व्यवस्था।
- वन्यजीव संरक्षणवादियों द्वारा शेरों को अन्य अभ्यारणय में स्थानातरित करना।
- 1872 का वाइल्ड एलीफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट।
- 1927 भारतीय वन अधिनियम।
- 1982 भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)
- 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम।
- अनुच्छेद 48-1 व 51 में व्यवस्था।
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना (2002-2016)

आगे कि राह

- सरकार द्वारा चलाए गए कार्य सराहनीय है जरूरत है कि इसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो। ■

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9355174440 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येय IAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. असम सरकार की Wage Compensation Scheme

असम सरकार चाय के बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना (Wage Compensation Scheme) की पेशकश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की खुराक प्रदान करेगा। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को 12,000/- रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी ताकि वह खुद और बच्चे का ख्याल रख सकें।

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यह योजना चाय बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं को

उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। इस मजदूरी मुआवजे योजना से लगभग 60,000 महिलाओं को लाभान्वित होने की उम्मीद है। गर्भवती महिलाओं के लिए इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य चाय उत्पादक क्षेत्रों में मातृ और नवजात मृत्यु दर को कम करना है।

Wage Compensation Scheme की मुख्य विशेषताएं:-

- इस योजना के तहत राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चाय के बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण की खुराक प्रदान की जा रही है। यह योजना चाय बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर जोर देगी।
- चाय के बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलाओं को मुआवजा 4 तिमाही किश्तों में प्रदान किया जाएगा- पहली तिमाही में 2,000/- रुपये, दूसरी तिमाही में 4,000/- रुपये, संस्थागत डिलीवरी के लिए तीसरी तिमाही में 3,000/- और बच्चे के जन्म के पंजीकरण के लिए चौथी तिमाही में 3,000/- रुपये।
- चाय के बागानों में काम कर रही गर्भवती महिलायें भी प्रसूति छुट्टी प्राप्त करने में सक्षम होंगी। इन महिलाओं को गर्भावस्था के तीसरे तिमाही और चौथी तिमाही (गर्भावस्था के 3 महीने बाद) में किसी भी तरह के काम में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है।
- ऐसी सभी गर्भवती महिलाओं को पूर्व-प्रसव देखभाल और बच्चे के टीकाकरण के पहले चक्र के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।

Wage Compensation Scheme की आवश्यकता क्यों पड़ी:-

राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला किया है क्योंकि असम के चाय के बागानों में महिलाओं की मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2012-13 में, राज्य मृत्यु दर सबसे ज्यादा थी। इसमें प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों में लगभग 300 मातृ मृत्युएं शामिल हैं। राज्य में चाय के बागानों में मातृ मृत्यु दर (MMR) भी अधिक था जो 404 के रूप में दर्ज किया गया था। वर्ष 2014-16 के दौरान मातृ मृत्यु दर (MMR) का राष्ट्रीय औसत 130 दर्ज किया गया था।

इसके अलावा, 15 से 49 वर्ष की उम्र के बीच की लगभग 50% गर्भवती महिलाएं एनीमिक नामक बीमारी से प्रभावित होती हैं जो उच्च मातृ मृत्यु दर (MMR) का मुख्य कारण है। असम के चाय उत्पादन क्षेत्रों में नामांकित श्रमिकों में अधिकांश महिलाएं हैं। ■

2. ओडिशा की खाद्य सुरक्षा योजना

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दो अक्टूबर को उन गरीबों के लिए राज्य की खुद की खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) से छूट गए थे। पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की शुरुआत की और बोलांगीर, बालासोर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिलों में लोगों से बातचीत की। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को एक रुपये किलोग्राम की दर से चावल मिलेगा। एनएफएसए के तहत भी लोगों को इसी कीमत पर चावल मुहैया होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधि नियम 2013 के तहत प्रत्येक गरीब व्यक्ति को प्रति महीना पांच किलोग्राम चावल मिलेगा। खाद्य सुरक्षा को लोगों का हक बताते हुए पटनायक ने कहा कि 2014 में राज्य में एनएफएसए के लागू होने के बाद कई लोग इसके दायरे में नहीं थे। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं खुश हूं क्योंकि राज्य की खुद की खाद्य सुरक्षा योजना शुरू हो गई।'' सरकारी सूत्रों ने बताया कि ओडिशा सरकार इस योजना को अमल में लाने के लिए हर साल 442 करोड़ रुपये खर्च करेगी ■

3. भारत सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क

मध्य प्रदेश में वैश्विक कौशल पार्क (Global Skills Park – GSP) की स्थापना के लिए भारत सरकार और एशिया विकास बैंक (Asian Development Bank – ADB) ने 150 मिलियन डॉलर के एक ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

GSP क्या है?

वैश्विक कौशल पार्क भारत का ऐसा पहला पार्क होगा जो एक से अधिक कौशलों से जुड़ा होगा।

इससे राज्य में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जायेगी तथा एक अधिक कुशल कार्यबल का सृजन होगा।

इस पार्क में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ आकर उन्नत प्रशिक्षण देंगे जिसके फलस्वरूप इस प्रकार के प्रशिक्षण, प्रशिक्षण से जुड़ी अवसरंचना, उद्योगों के सहयोग एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने आदि से जुड़ी विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं-चलनों से हमें अवगत हो सकेंगे।

GSP के परिसर में उन्नत प्रशिक्षण संस्थान होंगे, जैसे- व्यावसायिक कौशल अर्जन केंद्र, उन्नत कृषि प्रशिक्षण केंद्र, उद्यमिता, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण से सम्बंधित अनुसंधान पर केन्द्रित कई सेवाओं से सम्बद्ध सुविधाएँ।

परिसर में निर्माण, सेवा एवं उन्नत कृषिगत रोजगार पर केन्द्रित कई प्रशिक्षण सुविधाएँ होंगी जिनसे 20,000 प्रशिक्षणार्थी एवं प्रशिक्षक लाभान्वित होंगे।

महत्त्व

इस परियोजना का लाभ यह होगा की मध्य प्रदेश में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रासंगिता के वृद्धि होगी। इन प्रशिक्षणों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय होने से प्रशिक्षणार्थी रोजगार के लिए उन्नत कौशल अर्जित कर सकेंगे और मध्य प्रदेश के उदीयमान प्रक्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी समर्थ हो सकेंगे।

इस परियोजना से राज्य में स्थित 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने में सहायता मिलेगी तथा इनकी प्रशिक्षण विषयक अवसंरचनाओं एवं उत्क्रमित कौशल पाठ्यक्रमों को उद्योग एवं बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप संवर्धित किया जाएगा। ■

4. डिजीयात्रा : हवाई यात्रियों को नया डिजिटल अनुभव

नागरिक उड्डयन मंत्रालय डिजीयात्रा प्लेटफॉर्म के जरिये विमान यात्रियों को डिजिटल अनुभव कराने जा रहा है। नागरिक उड्डयन राज्या मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि यात्रियों को अपने सफर के दौरान एक निर्बाध, निरंतर एवं कागज रहित सेवा का अदभुत अनुभव होगा। 'डिजीयात्रा' उद्योग जगत की अगुवाई में एक विशिष्ट पहल है, जिसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप अपनी ओर से सहयोग प्रदान करेगा, जिसके तहत देश को डिजिटल ढंग से सशक्त समाज के रूप में परिवर्तित करना है। यह कदम एयर सेवा के बाद उठाया गया है, जिसके तहत उपभोक्ता शिकायतों के निवारण एवं वास्तविक समय पर डेटा प्रसारित करने के लिए सभी हितधारकों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर एकजुट किया जाएगा।

क्या है डिजीयात्रा

भारत सरकार ने भारतीय हवाई यात्रियों का समय बचाने के लिये डिजीयात्रा योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने 'डिजीयात्रा' पर रिपोर्ट पेश की। 'डिजीयात्रा' एक उद्योग-अग्रणी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल की दृष्टि से देश को डिजिटली रूप से अधिकारित समाज में बदलने के लिए मंत्रालय द्वारा इसकी शुरूआत की जा रही है। "डिजीयात्रा" की शुरुआत के साथ, सरकार हवाई यात्रा के टिकट की बुकिंग के लिए आधार, पासपोर्ट या पैन कार्ड जैसे अनिवार्य अद्वितीय पहचान लिंक करने जा रही है।

यह योजना एयरसेवा के करीब ही है, जो विमानन क्षेत्र में हितधारकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक डिजिटल मंच है।

योजना के अनुसार, "डिजीयात्रा" योजना, यूनिक आईडी जैसे भारतीय नागरिकों के आधार, पासपोर्ट या पैन कार्ड को पीएनआर की बुकिंग के लिए लिंक करेगी। बुकिंग के समय स्वचालित प्रणाली हवाई टिकट के साथ अद्वितीय पहचान (यूआईडी) लिंक करेगी। यह तब एक डिजिटल बोर्डिंग पास (अनुमति पत्र) के रूप में काम करेगा, जिसे आगे स्मार्टफोन के माध्यम से किसी हवाई अड्डे पर सभी बिंदुओं पर उपयोग किया जा सकता है। इससे यात्रियों के लिए सहज यात्रा के अनुभव में मदद मिलने के साथ कतारों और भीड़ से राहत में सहायता मिलेगी जो पूरे भारत के हवाई अड्डों पर एक गंभीर समस्या है।

डिजीयात्रा के फायदे

- हवाई अड्डे पर चेक-इन और बोर्डिंग का समय वर्ष के अंत तक आधा हो सकता है।
- प्रौद्योगिकी आधारित पहल यात्री को पेपर मुक्त यात्रा के लिए सक्षम बनाती है, जो हवाई अड्डों पर जल्दी प्रवेश और स्वचालित चेक-इन में सहायता करेगी।
- हवाई टिकट से जुड़ा यूआईडी एक डिजिटल बोर्डिंग पास (अनुमति पत्र) के रूप में काम करेगा और स्मार्टफोन के माध्यम से हवाई अड्डे पर सभी बिंदुओं पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- इस पहल का उद्देश्य प्रवेश बिंदुओं, बोर्डिंग क्षेत्रों, सुरक्षा जाँच और बाहर निकलने के दौरान कतारों को कम करना है।
- फिलहाल अभी यह हाई-टेक सुविधा वैकल्पिक होगी। हवाई अड्डों पर एयरलाइन काउंटर पर व्यक्तिगत् रूप से बोर्डिंग पास (अनुमति पत्र) लाइन में लग कर यात्रियों

को पारंपरिक तरीके से यात्रा करने का विकल्प जारी रखेगा।

- डिजीयात्रा का लाभ लेने वाले यात्रियों को मैनुअल चेक-इन पद्धति में लगने वाले 20 से 30 मिनट के मुकाबले अब 10 से 15 मिनट लगेंगे।
- पहचान की सुविधा हवाई यात्रा के दौरान हवाई अड्डों पर सुरक्षा में सुधार करेगी। वर्तमान में, पहचान की आवश्यकता केवल हवाई अड्डों में प्रवेश करने के समय होती है बुकिंग के लिए पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।
- इस कदम से विमानन मंत्रालय के अनियंत्रित यात्रियों पर प्रस्तावित नंम्बर फ्लाई सूची को निष्पादित करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि यह उन पर नजर रखने में मदद करेगी।
- विमानन मंत्रालय व्यापक परामर्श आयोजित कर रहा है। यह एक कड़े डाटा संरक्षण तंत्र के माध्यम से व्यापक यात्री कवरेज, सुविधा और गोपनीयता सुनिश्चित करता है।
- डेटा-साझाकरण प्रोटोकॉल भी यात्रा पोर्टल, सुरक्षा एजेंसियों के साथ-साथ पार्किंग और परिवहन प्रदाताओं जैसे विभिन्न रियायतदारों के बीच होगा, जिससे हवाई यात्री को सहज यात्रा में मदद मिल सके।
- सीआईएसएफ सुरक्षा कर्मियों पर बोझ कम होगा जो हवाई अड्डों के परिसर को सुरक्षित रखते हैं और विभिन्न स्तरों पर जांच करते हैं।
- एमओसीए उम्मीद कर रहा है कि इस वर्ष के अंत तक सभी महानगरों के हवाई अड्डे डिजीयात्रा के दायरे के भीतर होंगे क्योंकि कई भारतीय हवाई अड्डे इसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि वे इसे पायलट आधार पर करने की कोशिश कर रहे हैं।

डिजीयात्रा को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया

एमओसीए ने डिजिटल ट्रैवेलर्स वर्किंग ग्रुप को स्थापित किया है। यह समूह 30 दिनों के भीतर योजना को लागू करने के बारे में सुझाव देगा और फिर हितधारकों के इनपुट के साथ मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा। "एक बार जब तकनीकि समिति अपना श्वेत पत्र प्रस्तुत करती है, तो हितधारकों से उनके सुझाव 30 दिनों की अवधि के लिए लिये जाएंगे। इसके बाद, सरकार 30 से 60 दिनों के नियमों को अंतिम रूप देगी। नियमों का एक नया सेट या नागरिक उड्डयन आवश्यकता (सीएआर) सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा जो बताएगा कि हवाई टिकट की बुकिंग के समय यूआईडी एक अनिवार्य आवश्यकता होती है।"

विभिन्न हितधारकों के साथ कई बैठकों का भी आयोजन किया गया है और एक "तकनीकी प्रारूप" बनाया जा रहा है। भारतीय हवाई अड्डों के माध्यम से यात्रा का एक "सहज अनुभव" प्रदान करने के लिए "डिजिटल ट्रैवलर फ्रेमवर्क" के नियम भी तैयार किए जा रहे हैं।

सिन्हा ने कहा है कि विमानन प्लेटफार्म 4 प्रमुख स्तंभों पर बनाया जाएगा जिसमें कनेक्टेड यात्री, कनेक्टेड एयरपोर्ट, कनेक्टेड फ्लाइंग और कनेक्टेड सिस्टम शामिल हैं। ये स्तंभ भारतीय हवाई यात्रियों को इन चीजों में सक्षम कर सकेंगे:

- मूल्य रुझानों की पहचान करके कुशलतापूर्वक अपनी यात्राओं की योजना बना सकते हैं।
- टिकट बुकिंग के समय भविष्य के हवाई किराए की दरों का अनुमान लगाया जा सकता है।
- आधार कार्ड को एयरलाइंस या अन्य विमानन सेवाओं की पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का विकल्प है। यह किसी भी पेपर-आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना तेज हवाई अड्डा प्रविष्टि और स्वचालित चेक-इन के लिए काम करेगा।
- उन्नत बॉयोमैट्रिक सुरक्षा समाधानों से लैस सुरक्षा स्कैनर होंगे।
- आस-पास के हवाई अड्डों के समय में, कतार की लंबाई आदि में किसी भी बदलाव के बारे में भीड़-भाड़, देरी, सुविधाओं और प्रोटोकॉल संबंधित जानकारियों के बारे में वास्तविक समय की सूचना प्राप्त करने में।
- इन-फ्लाइट सेवा प्रस्ताव और गंतव्य आधारित प्रस्ताव का डिजिटल रूप से लाभ उठाएं।
- शिकायतें दर्ज करें, अनुभव साझा करें और फीडबैक प्रदान करें।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस पहल के साथ विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के खिलाड़ियों के साथ छह महीने के व्यापक वार्ता के बाद उभरा है और उम्मीद है कि इससे हवाई यात्रा आसान बनाने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से लगातार यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए। ■

5. बंदी महिलाएँ और न्याय तक पहुँच

गृह मंत्रालय का पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (Bureau of Police Research and Development – BPR&D) शिमला में हिमाचल प्रदेश के कारागार विभाग के सहयोग से "बंदी महिलाएँ और न्याय तक पहुँच/Women in Detention and Access to Justice" विषय पर पहला क्षेत्रीय सम्मलेन आयोजित कर रहा है।

सम्मलेन के उद्देश्य

इस सम्मलेन का उद्देश्य सभी श्रेणियों के कारा-कर्मियों को एक ऐसा राष्ट्रीय पहल उपलब्ध कराना है जहाँ वे न केवल अपने समकक्ष कर्मियों वरन् इस विषय में राष्ट्रीय प्रसिद्धि वाले अन्य विशेषज्ञों के साथ कारा संचालन के साथ-साथ उससे जुड़ी प्रशासनिक समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचारों का आदान-प्रदान कर सकें।

- सम्मलेन चाहता है की सुधारात्मक प्रशासन के संचालन से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं एवं मानकों का पता लगाया जाए जिससे की वस्तुनिष्ठ रीति से कारा सुधार लाने में वर्तमान में देखी जा रही नई चुनौतियों का समाधान हो सके।
- एक ओर ऐसे सम्मेलन से जहाँ देश-भर के सुधारात्मक प्रशासनों के कार्यकलाप से सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकासात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं विभिन्न सुधारात्मक प्रशासनों में व्यावसायिक ढंग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने को बढ़ावा मिलेगा।

आँकड़े

- 2015 में भारत के विभिन्न कारागारों में 4,19,623 व्यक्ति थे जिनमें 17,834 (लगभग 4.3%) महिलाएँ थीं। इनमें 11,916 (66. 8%) विचाराधीन बंदी थे।
- महिला बंदियों की संख्या में बढ़ोतरी का रुझान देखा जाता रहा है। 2000 में जहाँ महिला बंदियों का प्रतिशत 3.3% था, वहीं 2015 में यह 4.3% हो गया था।
- महिला बंदियों में 50% की आयु 30 से 50

वर्ष है जबकि 18 से 30 वर्ष की महिलाओं का प्रतिशत 31.3% है।

- भारत में सब मिलाकर 1,401 कारागार हैं। पर महिलाओं के लिए अलग कारागारों की संख्या मात्र 18 है जिनमें 2,985 बन्दियाँ रहती हैं। इस प्रकार अधिकांश महिला बंदियाँ साधारण कारागारों के उस हिस्से में रहती हैं जो महिलाओं के लिए बनाई गई हैं।

सुधार की आवश्यकता क्यों?

- महिला बंदियों की दशा पुरुष बंदियों की तुलना में बहुत बुरी है। इसके कई कारण हैं, जैसे- सामाजिक लांछना, परिवार अथवा पति पर उनकी आर्थिक निर्भरता आदि। महिला बंदी की कठिनाइयाँ तब और भी बढ़ जाती हैं जब उसके बच्चे भी हों।
- महिला कारा-कर्मियों की कमी के कारण बंदियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई कारागारों में इस कारण पुरुष कर्मी भी तैनात करने पड़ते हैं जो वांछनीय नहीं है।
- महिलाओं को पौष्टिक और शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप भोजन नहीं दिया जाता है।
- कारागार से छूटने के बाद महिला को समाज में फिर से घुलने-मिलने में समस्या होती है। कुछ महिलाओं को कारावास से जुड़ी लांछना के कारण परिवार द्वारा छोड़ दिया जाता है अथवा उन्हें परेशान किया जाता है।
- बच्चों की कस्टडी की अपर्याप्त व्यवस्था के कारण कालान्तर में महिलाओं का उनसे सम्पर्क टूट जाता है।
- महिलाओं के यौन उत्पीड़न, उनके प्रति हिंसा अथवा दुर्व्यवहार के मामलों के समाधान के लिए शिकायत-निवारण का एक सुदृढ़ तन्त्र स्थापित करने की भी आवश्यकता है। ■

6. इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखलऊ में चौथा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल शुरू हुआ। चार दिवसीय इस फेस्ट में दुनियाभर के मशहूर वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की हर समस्या पर वैज्ञानिक समाधान दे सकते हैं। तकनीक से देश की तकदीर बदली जा सकती है।

डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2022 तक एक नए भारत के निर्माण की संकल्पना पर काम कर रहे हैं। इसके लिए विजन 2022 तैयार किया जा रहा है। इस विजन के आधार पर ही आने वाले दिनों में काम होगा। मकसद देश के लोगों को खुशहाल और पीड़ामुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि हमको भरोसा है कि विज्ञान महोत्सव विजन 2022 का माध्यम बनेगा।

इसमें लोगों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हुए प्रत्येक अत्याधुनिक पहलू को नजदीक से जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। विज्ञान महोत्सव में देशभर से चुने गए करीब 200 स्टार्टअप आएंगे। इनसे युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा कि कैसे छोटे-छोटे इनोवेशन और आइडिया को कमाई के अवसर में बदला जा सकता है। इस साइंस फेस्टिवल की थीम 'परिवर्तन के लिए विज्ञान' रखी गई है। विदेश में सामाजिक परिवर्तन के मामले में देश के वैज्ञानिक एवं टेक्नोलॉजी संस्थानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएसआइआर, आइसीएआर, इसरो, डीआरडीओ सहित अन्य संस्थान अपनी उपलब्धियों को गोमती नगर रेलवे स्टेशन ग्राउंड में शुरू हुए मेगा साइंस, टेक्नोलॉजी एवं इंडस्ट्री एक्सपो में प्रदर्शित कर रहे हैं।

एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव में विशेषज्ञों ने कृषि के विकास पर अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय डेयरी इंस्टि्टयूट के डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने कहा कि अधिक दूध उत्पादन के लालच में पशुपालक मवेशियों का ध्यान नहीं रखते। गाय या भैंस के बच्चा देने के तीन सप्ताह पहले और बाद में जितना पौष्टिक आहार दिया जा सकता है देना चाहिए। ऐसा करने से दूध की गुणवत्ता के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल मवेशियों के साथ ही मानव शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है।

देश भर में दस हजार एनजीओ मिलकर विज्ञान में हो रहे नए कामों को आम लोगों के बीच लें जाएंगे। ये एनजीओ वैज्ञानिकों और आम लोगों के बीच सेतु का काम करेंगे। इन एनजीओ को आपस में जोड़ा जा रहा है, ताकि वैज्ञानिक उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस संबंध में सैकड़ों एनजीओ के प्रतिनिधि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान गांधी प्रतिष्ठान मे जुटें हैं। इस मौके पर विज्ञान भारती के राष्ट्रीय विशेष सलाहकार जय कुमार ने कहा कि विज्ञान के प्रसार और नई उपलब्धियों के जनुपयोग की जानकारियां आम आदमी तक पहुँचाया जाना बहुत जरूरी है। इसमें एनजीओ का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम देश के करीब दस हजार एनजीओ से जोड़ रहे हैं, जिनके जरिये प्रयोगशाला से निकलने वालो अविष्कार सीधे आम व्यक्ति तक पहुंचेंगे। ये एक मेगा प्रोजेक्ट होगा, जिसमें केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग होगा। ■

7. भारत का प्रथम मीथेनॉल रसोई ईंधन की शुरुआत

असम के नवरूप की रीतु बोरदोलोई ने 2 अक्टूबर, 2018 को इतिहास रच दिया। वे मीथेनॉल ईंधन का कुकिंग स्टोव का प्रथम मालिक व उपभोक्ता हैं।

नामरूप स्थित असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड की पायलट परियोजना के तहत राज्य के 500 लोगों को मीथेनॉल ईंधन के 1.2 लीटर के कनेस्तर वितरित किए गए। अमस पेट्रोकेमिकल लिमिटेड

सार्वजनिक क्षेत्र की पहली कंपनी है जो प्राकृतिक गैस से मीथेनॉल व फॉर्मेलिन बनाती है।

अफ्रीका के 5.5 लाख लोग तथा चीन के 80 लाख लोग खाना पकाने के लिए मीथेनॉल ईंधन का इस्तेमाल करते है। परंतु भारत ऐसा पहला देश है जहां एलपीजी के स्थानापन्न पर विचार किया जा रहा है।

मीथेनॉल ईंधन

- मीथेनॉल सिंगल कार्बन कंपाउंड है जो भारत में एक बेहतर वैकल्पिक ईंधन हो सकता है।
- यह काफी कुशल ईंधन है जिसे गैसोलिन एवं डीजल के साथ भी मिश्रण किया जा सकता है।
- यह कम नाइट्रोजन ऑक्साइड, पीएम उत्सर्जित करता है तथा सल्फार डॉइऑक्साइड बिल्कुल उत्सर्जित नहीं करता है।
- इसे डाइमीथाइल इथर (डीएमई) में भी बदला जा सकता है जो कि स्वच्छ डीजन विकल्प है।

मीथेनॉल

- मीथेनॉल या मीथाइल अल्कोहल विभिन्न रसायन उद्योगों का बिल्डिंग ब्लॉक है। यह एक पारदर्शी द्रव है जो अल्कोहल जैसा गंध देता है।
- यह अत्यधिक ज्वलनशील व विषाक्त है।
- इसे प्राकृतिक गैस, कोयला और बायोमास, नगरीय अपशिष्ट व रिसाइकल कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पादित किय जा सकता है।■

अंतर्राष्ट्रीय

1. डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार

साल 2018 के नोबेल प्राइज विजेता की घोषणा हो चुकी है। बता दें कि इस साल के शांति पुरस्कार के लिए डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद को चुना गया है। इन दोनों ने यौन हिंसा को युद्ध के हथियार की तरह इस्तेमाल होने के खिलाफ प्रयास में अपना बड़ा योगदान दिया है। मुराद मलाला युसूफजई के बाद दूसरी सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। मलाला युसूफजई को साल 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था।

नाडिया मुराद को अगस्त 2014 में कुछ अन्य यजीदी महिलाओं के साथ इराक में आईएसआईएस आतंकियों के द्वारा किडनैप कर लिया गया था। वे 2016 में सम्मानीय सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार (Sakharov human rights prize) भी जीत चुकी हैं। उसी साल यूरोपीय काउंसिल की तरफ से वे एक अन्य मानवाधिकार पुरस्कार (human rights prize) भी जीत चुकी हैं

बताया जाता है कि उन्हें पूरे परिवार के साथ आईएसआईएस आतंकियों के द्वारा किडनैप कर लिया गया था। उस दौरान इराक में आईएसआइएस आतंकियों को लेकर काफी दहशत फैली हुई थी। वे लगातार लोगों की हत्या कर रहे थे और महिलाओं का रेप कर रहे थे।

वहीं पेशे से गायनेक्लोजिस्ट मुकवेगे को पिछले 10 सालों में इस शांति पुरस्कार विजेता के शॉर्टलिस्ट किया जा रहा था। वे लंबे समय से यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए काम करते आ रहे हैं। 2011 में उन्होंने अपने लेख में सेंट्रल अफ्रीका के देश ईस्ट कोंगो को दुनिया का रेप कैपिटल कहा था। उन्होंने इसे धरती पर महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बताई थी। ■

2. भारत का ऑपरेशन 'समुद्र मैत्री'

इंडोनेशिया में भूकंप और सुनामी पीड़ितों की सहायता के लिए भारत ने व्यापक अभियान शुरू करते हुए दो विमान और नौसेना के तीन पोत भेजे हैं, जिनमें राहत सामग्री लदी है।

विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विदोदो के बीच एक अक्टूबर को टेलिफोन पर हुई बातचीत तथा इंडोनेशिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहायता स्वीकार किए जाने के बाद भारत ने ऑपरेशन 'समुद्र मैत्री' शुरू किया।

वायुसेना के दो विमान बुधवार की सुबह चिकित्साकर्मियों और राहत सामग्री के साथ इंडोनेशिया रवाना हुए। इन विमानों में सी-130 जे और सी-17 शामिल हैं। सी-130 जे विमान से तंबुओं और उपकरणों के साथ एक मेडिकल टीम भेजी गई है। इन उपकरणों की मदद से अस्थायी अस्पताल भी बनाए जा सकते हैं। सी-17 विमान से तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए दवाएं, जेनरेटर, तंबू और पानी आदि सामग्री भेजी गई है।■

3. गीता होंगी आईएमएफ की दूसरी भारतीय चीफ इकोनॉमिस्ट

भारत में जन्मीं अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने चीफ इकॉनमिस्ट नियुक्त किया है। गीता फिलहाल हार्वर्ड विश्विद्यालय में प्रोफेसर हैं। आईएमएफ के एक बयान के अनुसार गीता मारीस ओब्स्टफील्ड का स्थान लेंगी। ओब्स्टफील्ड 2018 के अंत में रिटायर होंगे। लेगार्ड ने गीता की नियुक्ति करते हुए कहा कि गीता दुनिया के कुछ अर्थशास्त्रियों में से एक हैं जिनके पास असाधारण शैक्षिक उपलब्ध्ता है और उनके ट्रैक रिकॉर्ड ने भी उनकी योग्यता को साबित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बाद यह दूसरी बार है, जब किसी भारतीय को इस पद की जिम्मेदारी दी गई है।

लेडी श्रीराम कॉलेज से की पढ़ाई

सन् 1971 में केरल में गीता का जन्म हुआ और फिर उन्होंने स्कूल की पढ़ाई यहीं से की। इसके बाद गीता दिल्ली आ गईं और यहां पर लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। गीता ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से मास्टोर्स की पढ़ाई पूरी किया। साल 2001 में उन्हौंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्सि में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की थी।

हार्वर्ड विश्विद्यालय में प्रोफेसर

साल 2001 से शिक्षा के क्षेत्र में साल 2001 में गीता ने शिकागो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद संभाला और फिर साल 2005 में वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चली गईं। साल 2010 में गीता यहां पर फुल टाइम प्रोफेसर बन गई। वह अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यून की को-एडीटर हैं। ■

4. हाइपरलूप फुल साइज 'पैसेंजर कैप्सूल'

ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ने 2 अक्टूबर को फुल साइज पैसेंजर कैप्सूल से पर्दा हटा दिया। यह कैप्सूल 105 फीट यानी 32 मीटर लंबा है। इसका वजन 5 टन है। फ्रांस में इसका प्रदर्शन किया गया। कैलिफॉर्निया की स्टार्टअप जिसे हाइपरलूप टीटी के नाम से जाना जाता है, ने बयान जारी कर बताया कि कैप्सूल को बनाने में कई तरह के मिश्रण का इस्तेमाल किया गया है।

हाइपरलूप टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क की सोच है, जिसे उन्होंने 2013 में दुनिया के सामने लाया था। हाईस्पीड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कई कंपनियां काम कर रही हैं। कंपनी का दावा है कि हाइपरलूप की स्पीड 750 माइल्स यानी 1200 किमी प्रति घंटा होगी। इसमें 30 से 40 यात्री यात्रा कर सकेंगे। यह ध्वनी की गति से तेज चलेगी और अबतक जितनी भी हाईस्पीड ट्रेनें हैं उन्हें पीछे छोड़ देगी।

अमेरिका का लॉस एंजिल्स हाइपरलूप के मुख्य सेंटर के रूप में उभरा है। हाइपरलूप पर काम करने वाली कई कंपनियां यहीं मौजूद हैं। कैलिफोर्निया हाईस्पीड से निराश एलन मस्क ने 2013 में हाइपरलूप प्लान के बारे में दुनिया को बताया था। उन्होंने इस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से लोगों को लॉस एंजिल्स से सैन फ्रांसिस्को आधे घंटे में पहुंचाने का दावा किया था। अभी ट्रेन से इस दूरी को तय करने में 6 घंटे से ज्यादा समय लगते हैं। हालांकि हाइपरलूप की टेस्टिंग पर अभी भी काम चल रहा है।

कंपनी के सीईओ डर्क एलबॉर्न ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि तीन सालों के अंदर हाइपरलूप से लोग यात्रा कर पाएंगे। दुनियाभर में हाइपरलूप से यात्रा शायद 10 सालों के अंदर शुरू हो पाएगी। उन्होंने बताया कि यह सब सभी की उम्मीद से ज्यादा जल्दी हो रहा है।

भारत में भी हाइपरलूप को लेकर कुछ राज्यों से करार हुआ है। महाराष्ट्र उनमें से एक है। मुंबई से पुणे के बीच चलने वाली हाइपरलूप सर्विस से दोनों शहरों की दूरी 25 मिनट में तय की जा सकेगी। मुंबई-पुणे रूट पर हाइपरलूप चलाने की प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूरी हो गई है।

पुणे में हाइपरलूप सर्विस के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जगह भी देख ली गई है। राज्य सरकार का दावा है कि हाइपरलूप प्रणाली के लिए 70 प्रतिशत निर्माण सामग्री और अन्य जरूरी चीज महाराष्ट्र में ही उपलब्ध हैं। पुणे क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (PMRDA) ने हाइपरलुपवन सर्विस के शुरुआती परीक्षण के लिए पुणे में 15 किलोमीटर के ट्रैक की पहचान कर ली है। ■

5. EIU : 2018 में e-Payments में भारत का 28 वां स्थान

2018 सरकारी e-Payments गोद लेने रैंकिंग (GEAR) में भारत 73 देशों में 28 वें स्थान पर था। भारत ने इस रैंकिंग में 2011 में 36 वें स्थान से आठ पदों पर बढ़ोतरी की है जो डिजिटल परिवर्तन की दिशा में देश की प्रगति को मजबूत करता है। नॉर्वे ने 2018 गियर सूची में सात श्रेणियों में 89.7 अंक हासिल किए हैं।

2018 गियर

यह एक अर्थशास्त्री खुफिया इकाई (EIU) वैश्विक सूचकांक और वित्तीय सेवा निगम वीजा द्वारा शुरू किए गए बेंचमार्किंग अध्ययन है। यह विभिन्न संकेतकों के आधार पर अपनी e-Payments क्षमताओं को मापकर सरकारों को रैंक करता है। यह डिजिटल प्लेटफार्म के आधार पर दुनिया भर के प्रमुख देशों ने ई-भुगतान प्रणाली को अपनाया है, इस सीमा का मूल्यांकन करता है। जैसे कि सरकार-से-नागरिक (G2C), नागरिक-से-सरकार (C2G), व्यापार-से-सरकार (B2G), सरकार-से-व्यवसाय (G2B) लेनदेन, आधारभूत संरचना, सामाजिक-आर्थिक और नीति पर्यावरण रैंकिंग सात पैरामीटर पर आधारित है।

2018 गियर में भारत का प्रदर्शन

भारत ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों के साथ B2 G श्रेणी का नेतृत्व करता है। यह चार अन्य देशों के साथ-साथ G2 B श्रेणी में भी अग्रणी है। यह चार अन्य देशों के साथ तीसरी C2G श्रेणी में था, जबकि फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने इस श्रेणी में सूची में सबसे ऊपर है। G2 C श्रेणी में, भारत अभी भी 25 वें स्थान पर पीछे है। बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक श्रेणियों में 58 वें स्थान पर यह भी बहुत कम था। सामाजिक-आर्थिक श्रेणी में, भारत 73 देशों में से 60 वां स्थान पर था। नीतिगत माहौल में, यह 40 वें स्थान पर था।

सर्वेक्षण में कहा गया है, (भारत) डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुंच बढ़ाने, सामाजिक-आर्थिक विकास में निवेश और स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी बाजार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करके अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। देश के कई हिस्सों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी में कम रैंकिंग की है। भारत को नीतिगत मोर्चे में कमी भी मिली थी। ■

6. बर्फीले आर्कटिक में नया समुद्री मार्ग

विश्व के सबसे बड़े कंटेनर शिपिंग समूह एपी मॉलर-मैर्स्क (AP Moller-Maersk) के जहाज ने रूसी आर्कटिक से होते हुए परीक्षण यात्रा सफलता पूर्वक पूरी कर ली है। यह जहाज 22 अगस्त को उत्तरी प्रशांत महासागर में रूस के व्लादिवोस्तोक से निकलकर फिनलैंड की खाड़ी स्थित सेंट पीटर्सबर्ग पहुँच गया। यह समुद्री मार्ग एशिया और यूरोप के बीच नया समुद्री राजमार्ग बन सकता है।यह मार्ग (रूस की उत्तरी सीमा से होकर) पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप (वर्तमान में मलक्का स्ट्रेट, हिंद महासागर, एडन की खाड़ी और सुएज नहर से होकर जाने वाला) के बीच की दूरी को 21,000 किलोमीटर से घटाकर 12,800 किलोमीटर करता है। इस नए मार्ग से यात्रा करने में मात्र 10-15 दिनों का समय लगेगा।

वर्षो से पिघल रही समुद्री बर्फ ने इस मार्ग को जहाजों के लिये खोल दिया है। माप से पता चलता है कि 1980 के दशक के बाद से

आर्कटिक महासागर को ढकने वाली समुद्री बर्फ का विस्तार साल-दर-साल घटता गया। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप आर्कटिक के कुछ हिस्सों में वार्मिंग बहुत तेज गति से होती है। वर्षो से जमी हुई बर्फ तथा उसकी मोटी परत का गायब होना इसका सबूत है।

नया नौ-परिवहन मार्ग

- समुद्र के तापमान में वृद्धि होने के कारण यह कल्पना की जा सकती है कि इस शताब्दी के मध्य तक जहाज रूस के उत्तर से निकलकर उत्तरी ध्रुव होते हुए सीधे कनाडा के उत्तरी भाग तक जाने में सक्षम होंगे।
- अगले दशक में इस क्षेत्र में नौ-परिवहन गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि रूस द्वारा साइबेरिया में तेल तथा गैस से जुड़े क्षेत्रों को विकसित किये जाने की संभावना है।

आर्कटिक मार्ग से संबद्ध मुद्दे

- **लागत :** उच्च लागत तथा आर्कटिक बर्फ की बदलती परिस्थिति संचालकों को हतोत्साहित कर सकती है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिये सख्त मानदंडों का पालन करना पड़ सकता है।
- **सुरक्षा :** वर्द्धित बीमा लागत तथा सुरक्षा के प्रति सजगता जैसी अन्य चिंताओं का भी ध्यान रखना होगा।
- **पर्यावरण :** जहाजों द्वारा उत्पन्न शोर तथा प्रदूषण, पर्यावरण के साथ-साथ समुद्री दुनिया के अन्य हिस्सों में समुद्री जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। ■

7. नाफ्टा की जगह नए व्यापार समझौते

अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह नवंबर के अंत तक उत्तर अमरीकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा) के स्थान पर मेक्सिको और कनाडा के साथ नया व्यापार समझौते करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने नए व्यापार समझौते के बाद व्हाइट हाउस में मनाए जा रहे समारोह में कहा, मुझे घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमने नाफ्टा को समाप्त करने और उसके स्थान पर नया अमरीका-मेक्सिको-कनाडा समझौता (यूएसएमसीए) करने के लिए सफलतापूर्वक बातचीत पूरी कर ली है। उन्होंने कहा, वह नवंबर के अंत तक एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। उसके बाद मैं उसे मंजूरी के लिए कांग्रेस के पास भेजूंगा, जहां इस पर सहमति बनने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमरीका व्यापार प्रतिनिधि के कार्यालय ने नए अमरीका-मेक्सिको-कनाडा समझौते का कानूनी दस्तावेज जारी किया, जिसमें वस्तुओं की बाजार में पहुंच, कृषि, व्यापक उपचार, वित्तीय सेवाएं, डिजिटल व्यापार और विवादों के निपटारे के 30 से अधिक खंड शामिल हैं। तीनों देशों के सांसदों को अब व्यापार समझौते की समीक्षा और अनुमोदन करना है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी कांग्रेस द्वारा व्यापार समझौते पर अगले साल तक वोट करने की संभावना नहीं है। नाफ्टा पर फिर से वार्ता अगस्त, 2017 में शुरू हुई, क्योंकि ट्रंप ने त्रिपक्षीय व्यापार सौदे से पीछे हटने की धमकी दी थी और दावा किया कि इससे अमरीकी उद्योगों और नौकरियों को नुकसान पहुंचा है।

नाफ्टा क्या है?

नाफ्टा का (NAFTA) North American Free Trade Agreement है। यह समझौता कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका ने किया था। इस समझौते से इन देशों के बीच व्यापार बाधाएं समाप्त अथवा बहुत कम हो गई है। इस समझौते के लिए बातचीत क्रम जॉर्ज बुश के राज्यकाल में 1990 में आरंभ किया गया था और उसे क्लिंटन के समय 1993 में अंतिम रूप दिया गया था। यह 1 जनवरी 1994 से प्रभाव में आया था।

■

सात ब्रेन बूस्टर्स

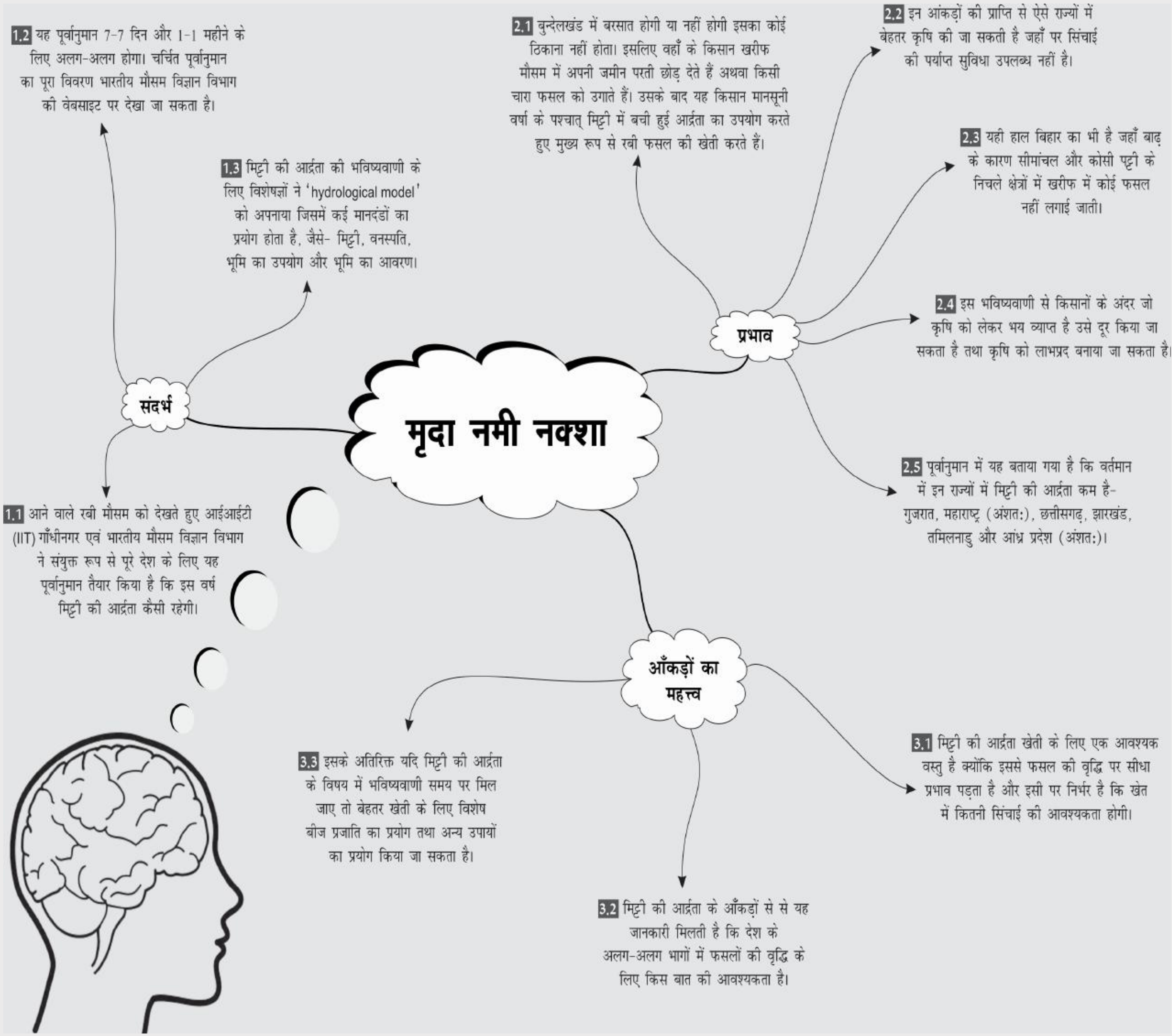
मृदा नमी नक्शा
संदर्भ
1.1 आने वाले रबी मौसम को देखते हुए आईआईटी (IIT) गाँधीनगर एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संयुक्त रूप से पूरे देश के लिए यह पूर्वानुमान तैयार किया है कि इस वर्ष मिट्टी की आर्द्रता कैसी रहेगी।
1.2 यह पूर्वानुमान 7-7 दिन और 1-1 महीने के लिए अलग-अलग होगा। चर्चित पूर्वानुमान का पूरा विवरण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
1.3 मिट्टी की आर्द्रता की भविष्यवाणी के लिए विशेषज्ञों ने 'hydrological model' को अपनाया जिसमें कई मानदंडों का प्रयोग होता है, जैसे- मिट्टी, वनस्पति, भूमि का उपयोग और भूमि का आवरण।
प्रभाव
2.1 बुन्देलखंड में बरसात होगी या नहीं होगी इसका कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए वहाँ के किसान खरीफ मौसम में अपनी जमीन परती छोड़ देते हैं अथवा किसी चारा फसल को उगाते हैं। उसके बाद यह किसान मानसूनी वर्षा के पश्चात् मिट्टी में बची हुई आर्द्रता का उपयोग करते हुए मुख्य रूप से रबी फसल की खेती करते हैं।
2.2 इन आंकड़ों की प्राप्ति से ऐसे राज्यों में बेहतर कृषि की जा सकती है जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है।
2.3 यही हाल बिहार का भी है जहाँ बाढ़ के कारण सीमांचल और कोसी पट्टी के निचले क्षेत्रों में खरीफ में कोई फसल नहीं लगाई जाती।
2.4 इस भविष्यवाणी से किसानों के अंदर जो कृषि को लेकर भय व्याप्त है उसे दूर किया जा सकता है तथा कृषि को लाभप्रद बनाया जा सकता है।
2.5 पूर्वानुमान में यह बताया गया है कि वर्तमान में इन राज्यों में मिट्टी की आर्द्रता कम है- गुजरात, महाराष्ट्र (अंशत:), छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश (अंशत:)।
आँकड़ों का महत्त्व
3.1 मिट्टी की आर्द्रता खेती के लिए एक आवश्यक वस्तु है क्योंकि इससे फसल की वृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है और इसी पर निर्भर है कि खेत में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी।
3.2 मिट्टी की आर्द्रता के आँकड़ों से से यह जानकारी मिलती है कि देश के अलग-अलग भागों में फसलों की वृद्धि के लिए किस बात की आवश्यकता है।
3.3 इसके अतिरिक्त यदि मिट्टी की आर्द्रता के विषय में भविष्यवाणी समय पर मिल जाए तो बेहतर खेती के लिए विशेष बीज प्रजाति का प्रयोग तथा अन्य उपायों का प्रयोग किया जा सकता है।

सतत (SATAT) पहल

चर्चा का कारण

1.1 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में पीएसयू ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी, यानी आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल) के साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आमंत्रित करते हुए एक अभिनव पहल सतत् (SATAT) की शुरुआत की।

1.2 इस पहल के तहत उद्यमियों से संपीड़ित जैव-गैस (Compressed Bio-Gas-CBG) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और स्वचालित ईंधन (Automotive Fuel) में CBG के उपयोग हेतु बाजार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।

उद्देश्य

2.1 सतत (SATAT) नामक इस पहल का उद्देश्य किफायती परिवहन के लिये सतत विकल्प (Sustainable Alternative towards Affordable Transportation&SATAT) प्रदान करना है जो वाहन-उपयोगकर्त्ताओं के साथ-साथ किसानों और उद्यमियों दोनों को लाभान्वित करेगा।

2.2 इस महत्त्वपूर्ण पहल में अधिक किफायती परिवहन ईंधन, कृषि अवशेषों, मवेशियों का गोबर और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के बेहतर उपयोग के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करने की क्षमता है।

लाभ

3.1 अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी।

3.2 किसानों के लिये अतिरिक्त राजस्व का स्रोत।

3.3 उद्यमिता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा।

3.4 जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में मदद।

3.5 प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल के आयात में कमी।

3.6 कच्चे तेल/गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के विरुद्ध सुरक्षा।

उत्पादन क्षमता तथा स्रोत

4.1 भारत में विभिन्न स्रोतों से संपीड़ित जैव-गैस के उत्पादन की अनुमानित क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 62 मिलियन टन है।

4.2 संपीड़ित जैव-गैस संयंत्रों को मुख्य रूप से स्वतंत्र उद्यमियों के माध्यम से स्थापित करने का प्रस्ताव है।

4.3 इन संयंत्रों में उत्पादित CBG को हरित परिवहन ईंधन विकल्प के रूप में विपणन के लिये ओएमसी के ईंधन स्टेशन नेटवर्क में अधिक संख्या में सिलेंडरों के माध्यम से पहुँचाया जाएगा।

4.4 देश में 1,500 मजबूत सीएनजी स्टेशन नेटवर्क वर्तमान में 32 लाख गैस आधारित वाहनों के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं।

4.5 जैव ईंधन के क्षेत्र में कार्यरत समूह, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत स्थापित, संपीड़ित जैव-गैस के लिये एक अखिल भारतीय मूल्य निर्धारण मॉडल की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

4.6 उद्यमी निवेश पर रिटर्न बढ़ाने के लिये जैव-उर्वरक, कार्बन डाइऑक्साइड सहित इन संयंत्रों के माध्यम से अन्य उप-उत्पादों को अलग कर बाजार में बेचने में सक्षम होंगे।

4.7 जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018 CBG समेत उन्नत जैव-ईंधन को बढ़ावा देने के लिये सक्रीय रूप से जोर देती है।

4.8 भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Money-Dung-Money) योजना शुरू की थी ताकि खेतों में मवेशियों के गोबर और ठोस अपशिष्ट को CBG तथा कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सके।

4.9 बजट 2018-19 में इस योजना के मुख्यत: दो उद्देश्य हैं : गाँवों को स्वच्छ बनाना एवं पशुओं और अन्य प्रकार के जैविक अपशिष्ट से अतिरिक्त आय तथा ऊर्जा उत्पन्न करना।

4.10 गोबर-धन योजना के अंतर्गत पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कम्पोस्ट, बायोगैस, बायो-CNG में परिवर्तित किया जाएगा।

4.11 संपीड़ित जैव-गैस विभिन्न बायोमास/अपशिष्ट स्रोतों से उत्पादित की जा सकती है, जिसमें कृषि अवशेष, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, गन्ने का रस निकालने के बाद बचे अवशेष, डिस्टिलरी के अपशिष्ट, मवेशियों का गोबर और सीवेज उपचार संयंत्रों के अपशिष्ट शामिल हैं।

4.12 मौजूदा समय तथा भविष्य के बाजारों में घरेलू और खुदरा उपयोगकर्त्ताओं के लिये आपूर्ति को बढ़ावा देने हेतु संपीड़ित बायो-गैस नेटवर्क को सिटी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के साथ एकीकृत किया जा सकता है।

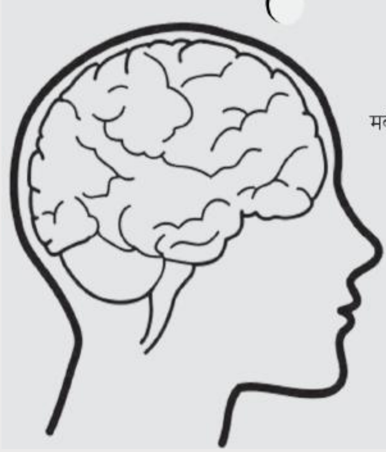

कर्नाटक : गुड सैमरिटन एवं चिकित्सा व्यवसाय विधेयक

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक गुड सैमरिटन एवं चिकित्सा व्यवसाय (आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा एवं विनियमन) विधेयक, 2016 पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

विधेयक के प्रावधान

2.1 ज्ञातव्य है कि सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति के लिए पहला घंटा "सुनहला घंटा (Golden Hour)" माना जाता है जिस समय चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने पर व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं।

2.2 इस बात को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में प्रयास किया गया है कि जो व्यक्ति (Good Samaritan) ऐसे समय पीड़ित व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना चाहते हैं उनको सुरक्षा मिले और पुलिस की ओर से अथवा जाँच के समय उन्हें कोई परेशानी का भय नहीं हो।

2.3 प्रस्तावित नए कानून में यह प्रावधान है कि समय पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो सहायता करते हैं (Good Samaritan), उन्हें आर्थिक सहयाता दी जायेगी। साथ ही उन्हें न्यायालय और पुलिस स्टेशन पर बार-बार जाने से छूट मिलेगी। यदि उनका न्यायालय अथवा पुलिस स्टेशन में उनकी उपस्थति अनिवार्य हो तो सरकार उन्हें आने-जाने का खर्च देगी। यह खर्च जिस कोष से दिया जायेगा, उसका नाम Good Samaritan Fund रखा गया है।

2.4 दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल में प्रवेश कराने के बाद Good Samaritan तुरंत प्रस्थान कर सकता है और सरकारी एवं निजी दोनों प्रकार के अस्पतालों को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देना अनिवार्य होगा।

विधेयक की आवश्यकता क्यों?

3.1 भारत में सड़क दुर्घटनाएँ सामान्य बात है। 2015 में 5,01,423 सड़क दुर्घटनाएँ हुई थीं जिसके कारण 1,46,133 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2016 में 4,80,652 सड़क दुर्घटनाएँ हुई थीं जिनमें 1,50,785 लोगों की मृत्यु हो गई थी।

3.2 कर्नाटक भारत के पाँच ऐसे शीर्षस्थ राज्यों में है जहाँ 2015 और 2016 में घटित सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक लोग मारे गए।

3.3 गुड सैमरिटनों को सुरक्षा देने के लिए भारत सरकार ने अभी कोई कानून नहीं बनाया है परन्तु 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ दिशा-निर्देश

3.4 बहुधा देखा जाता है कि लोग दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्ति को सहायता पहुँचाने में घबराते हैं और उसके बदले दुर्घटना का छाया-चित्र अथवा विडियो बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। प्रस्तावित विधेयक के पारित हो जाने पर ऐसी प्रवृत्तियों पर रोकथाम लगेगी।

जल हवाई अड्डा

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा देश में जल हवाई अड्डों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है।

परिचय

2.1 जल हवाई अड्डा जल पर एक ऐसा निर्धारित क्षेत्र है (जिसमें भवन, प्रतिष्ठान और उपकरण भी सम्मिलित हैं), जिसे पूर्ण या आंशिक रूप से विमानो के आगमन, प्रस्थान और आवाजाही के उद्देश्य से उपयोग किया जाता है।

2.2 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 5 राज्यों अर्थात् ओडिशा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की पहचान की है, जहाँ जल हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा।

2.3 इन्हें पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थानों के निकट विकसित करना प्रस्तावित किया गया है।

2.4 अपने पहले चरण में, जल हवाई अड्डों की स्थापना ओडिशा में चिल्का झील पर एवं गुजरात में सरदार सरोवर बांध और साबरमती रिवर फ्रंट पर की जाएगी।

2.5 नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हवाई अड्डों के लिए पूर्व में लाइसेंसिंग मानदंड जारी किए थे, जिनके अंतर्गत

2.5.1 किसी हवाई अड्डे का उपयोग निर्धारित हवाई परिवहन सेवाओं के लिए तब तक नहीं किया जा सकता जब तक की इसके लिए लाइसेंस प्राप्त न हो।

2.5.2 जल हवाई अड्डे की स्थापना के लिए औपचारिक आवेदन को निर्धारित संचालनों की तिथि से न्यूनतम 90 दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

2.5.3 जल हवाई अड्डे की स्थापना करने की इच्छुक संस्था को रक्षा, गृह, पर्यावरण और वन तथा पोत परिवहन आदि मंत्रालयों जैसे विभिन्न प्राधिकरणों से अनुमोदन प्राप्त करने होंगे।

2.5.4 जल हवाई अड्डे का लाइसेंस दो वर्ष के लिए मान्य होगा।

लाभ

3.1 ऐसे विमान द्वारा स्थानीय नौकाओं की तुलना में लोगों को जल निकायों में तीव्रता से और अधिक सुरक्षित रूप से ले जाने अपेक्षित है।

3.2 इससे जल विमान पत्तन के क्षेत्र में पर्यटन में वृद्धि और परिणामस्वरूप आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी।

3.3 उत्तरवर्ती चरणों में, सरकार क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना- उड़ान (UDAN) के अंतर्गत के समुद्री विमानों के संचालनों पर भी विचार कर सकती है।

3.4 हालाँकि, जैव विविधता पर इसके संभावित प्रतिकूल प्रभाव के कारण आर्थिक लाभ होने के बाद भी, ओडिशा में इस हवाई अड्डे का विरोध किया जा रहा है।

ओडिशा मे विरोध के कारण

4.1 पक्षियों और मनुष्यों की सुरक्षा: अक्टूबर और मार्च के मध्य छह महीने तक चिल्का झील कई लाख प्रवासी और आवासीय पक्षियों के अस्थाई पर्यावास में बदल जाती है। यदि कोई विमान कम ऊँचाई पर उड़ता है तो इससे पक्षियों को चोट लग सकती है। एक ओर जहाँ पक्षियों की आबादी संकट में आ जाएगी, वहीं दूसरी ओर ऐम्फिबीअस एयरक्राफ्ट (जल और स्थल दोनों से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम विमान) के यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में होगी।

4.2 शोर प्रदूषण: हजारों मोटर चालित नौकाओं से उत्पन्न शोर ने झील में लुप्तप्राय इरावदी डॉल्फिनों को पहले ही बहुत क्षति पहुँचाई है। ऐम्फिबीअस एयरक्राफ्ट का आरम्भ स्थिति को और अधिक बिगाड़ देगा।

4.3 आर्थिक प्रभाव: मछलियों और अन्य प्रकार की समुद्री जीव विविधता पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा, जिससे इस क्षेत्र में निवास करने वाले दो लाख मछुआरे परिवार प्रभावित होंगे।

4.4 वर्तमान विनियमन: नलबाना पक्षी अभयारण्य समेत चिल्का के कई क्षेत्रों में नौकाओं का आवागमन प्रतिबंधित है। इस परिप्रेक्ष्य में हवाई अड्डे के संचालन का औचित्य सिद्ध करना कठिन होगा।

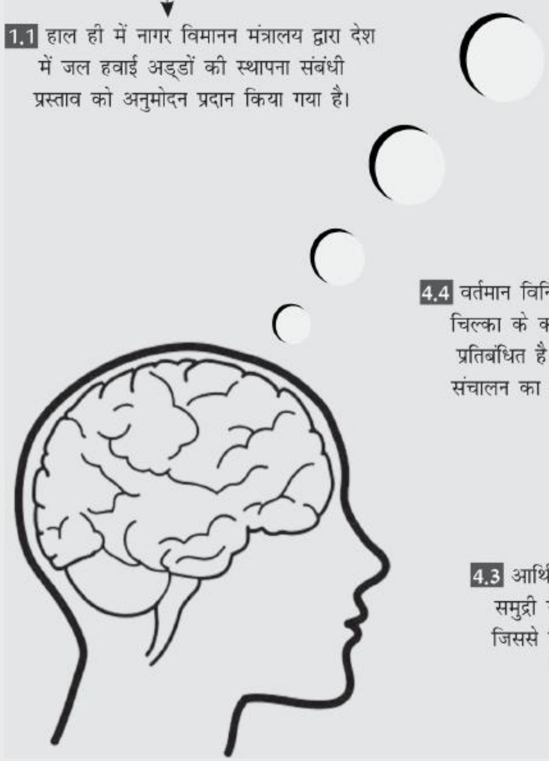

डेटा स्थानीयकरण

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संक्षिप्त निर्देश जारी करके देश में संचालित सभी भुगतान संख्याओं से कहा कि वे अपने लेन-देन के डेटा भारत में रखें और मांगे जाने पर उसे तत्काल मुहैया कराएं।

1.2 आरबीआई के इस निर्देश के बाद वाणिज्य विभाग ने एक थिंकटैंक का गठन किया ताकि वह ई-कॉमर्स कानूनों की समीक्षा कर सके और डब्ल्यूटीओ में भारत का रूख स्पष्ट कर सके।

डेटा स्थानीयकरण नीति

2.1 'पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2018' का मसौदा प्रस्तावित करता है कि भारतीय नागरिकों के महत्पूर्ण व्यक्तिगत डेटा को केवल देश के भीतर स्थित डेटा केन्द्रों में ही सुरक्षित रखा जा सकता है जबकि अन्य व्यक्तिगत डेटा को भारत के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है।

2.2 हालांकि, डेटा की कम से कम एक प्रति को भारत में संग्रहित करने की आवश्यकता होगी जिससे कि व्यापरिक क्षेत्र से जुड़े डेटा की सुरक्षा की जा सके और उसकी वास्तविकता का पता लगाया जा सके।

विशेष

3.1 डेटा स्थानीयकरण पर बनी श्री कृष्ण समिति ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि डेटा तक पहुँच का निर्धारण किस आधार पर हो? उपयोगकर्त्ता के स्थान के आधार पर, डेटा के स्थान के आधार पर या सेवा प्रदाता की अवस्थिति के आधार पर? इन प्रश्नों का हल प्राप्त करना अतिआवश्यक है।

3.2 यदि विश्व स्तर पर देखें तो इस वर्ष के आरंभ में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित कलाउड अधिनियम (क्लेयरिफाइंग लॉफूल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा एक्ट) डेटा पर अमेरिकी प्राधिकरण के एकाधिकार को खत्म करने की बात करता है।

3.3 इस अधिनियम के बाद पहली बार प्रौद्योगिकी कंपनियों को यह अनुमति प्राप्त होगी की वे कुछ विदेशी सरकारों के साथ सीधे डेटा की साझेदारी कर सकती है।

3.4 हालाँकि इसके लिए अमेरिका और उस देश विशेष के बीच एक कार्यकारी सामझौते की आवश्यकता होगी। जहाँ उस देश को स्पष्ट करना होगा कि उसके पास मजबूत गोपनीयता सुरक्षा है और उचित प्रक्रिया व कानून व्यवस्था के प्रति वह सम्मान रखता है।

3.5 अमेरिकी क्लाउड अधिनियम एक ऐसे संभावित तंत्र का निर्माण करता है, जहाँ भारत जैसा कोई देश न केवल अपनी सीमा के अंदर हुए अपराधों के लिए बल्कि देश से संबंधित सीमापार अपराधों के लिए भी डेटा प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

चुनौतियाँ

4.1 यह विधेयक राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और अपराधों की जाँच के लिए डेटा प्रोसेसिंग की वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों को तो चिन्हित करता है लेकिन इन सिद्धांतों पर वास्तविक अमल के लिये आवश्यक प्रक्रियात्मक नियमों के निर्माण में विफल रहा है। यहाँ तक कि कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा इस डेटा के रखने की समय सीमा निर्धारित करने जैसे बुनियादि बातों की भी अनदेखी हुई है।

4.2 समिति ने कानून प्रवर्तन के लिये डेटा को स्थानीयकृत करने पर जोर दिया लेकिन इस डेटा को कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करने पर विचार नहीं किया।

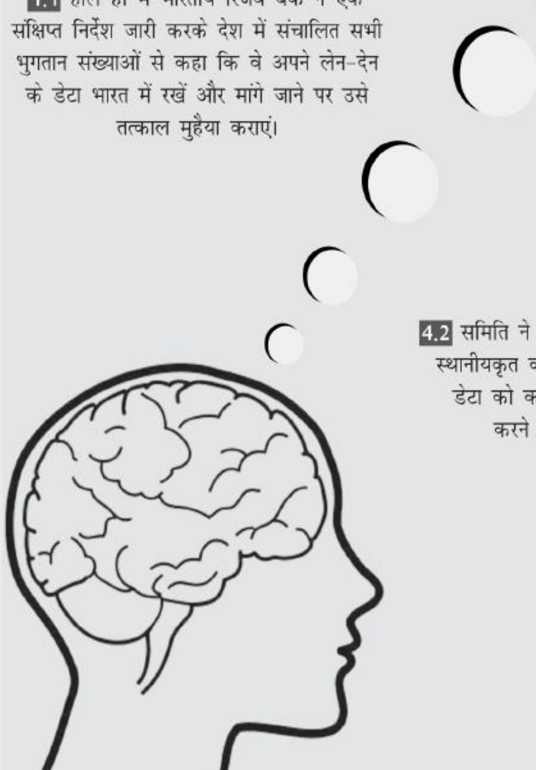

नगर स्तरीय जीडीपी के लिए प्रस्ताव

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs : MoHUA) ने आर्थिक आसूचना इकाई (Economist Intelligence Unit : EIU) को नगर-स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का परिकलन करने की कार्यपद्धतियों का मूल्यांकन करने और भारत के लिए उनकी प्रयोज्यता का आकलन करने का कार्य सौंपा है।

दृष्टिकोण

2.1 ''टॉप डाउन'' अप्रोच (Top-down approaches): वर्तमान राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय सकल घरेलू उत्पादों का उपयोग करके, नगर स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करने के लिए इन दृष्टिकोण का उपयोग वस्तुत: नगर से राज्य/क्षेत्र या नगर से देश के अनुपात में किया जाता है। इनमें से कुछ अनुमान विशिष्ट क्षेत्रों या महानगरीय क्षेत्रों के लिए होते हैं, यद्यपि यह अवधारणा छोटी नगरीय इकाइयों के लिए वैध रहती है। उदाहरण के लिए यह किसी विशिष्ट क्षेत्र में उत्पादित आउटपुट के अनुमान के लिए जनसंख्या के आंकड़ों का उपयोग करती है।

2.2 ''बॉटम-अप'' अप्रोच (Bottom-up approaches): ये राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 को प्रदर्शित करते हैं लेकिन इनका कार्यान्वयन नगर के स्तर पर होता है, जिसमें आंकड़े संग्रहण करने की अवस्था (उदाहरण के लिए, नगर स्तर पर जनगणना आंकड़ों या उद्यमों के प्रतिफलों की टैगिंग करके) के दौरान नगर स्तरीय भौगोलिक चिन्हों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। अत्यधिक आंकड़ों की आवश्यकता के कारण इन्हें कभी-कभी ही अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए, आय विधि के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का परिकलन करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से उत्पन्न आय को जोड़ा जाता है।

राष्ट्रीय लेखा प्रणाली

3.1 राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008, राष्ट्रीय खातों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक का नवीनतम संस्करण है, इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (United Nations Statistical Commission : UNSC) द्वारा अपनाया गया है।

3.2 राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का उद्देश्य खातों की एकीकृत तथा परिपूर्ण प्रणाली प्रदान करना है जो सभी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं को संभव बनाती हो, इसका अनुपालन पूर्णतया स्वैच्छिक है और इसे कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता।

महत्व

4.1 भारत में नगरीय क्षेत्र की तीव्र वृद्धि: भारत के लिए नगरीय क्षेत्रों को आर्थिक विकास का इंजन माना जाता है। 2011 में इस क्षेत्रक का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक का योगदान रहा और 2020 तक इसके द्वारा लगभग 75% योगदान किए जाने की संभावना है।

4.2 नगर निकायों एवं निवेशकों द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण राजकोषीय निर्णय: यह आवश्यक अवसंरचना और निवेश पर बेहतर निर्णयों को सुनिश्चित करेगा और नगर निकाय एवं निवेशक अपनी आवश्यकताओं को वित्त पोषित करने हेतु धन जुटाने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता का बेहतर रूप से प्रयोग करेंगे।

4.3 नगरीय विकास के लिए महत्वपूर्ण संकेतक प्रदान करता है: यह जीवन की गुणवत्ता, रोजगार सृजन एवं सधारणीयता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आर्थिक संकेतकों का निर्माण करने में सहायता करेगा। ये स्मार्ट सिटी मिशन के तीन महत्वपूर्ण अवयव भी हैं।

4.4 भारतीय नगरों को वैश्विक महत्व प्रदान करेगा: ब्रूकिंग्स संस्थान द्वारा जारी वैश्विक महानगर पर्यवेक्षण रिपोर्ट, 2018 (Global Metro Monitor Report) के अनुसार कई भारतीय नगरों को सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वाले 300 वैश्विक नगरों में स्थान प्राप्त हुआ है, जिनमें हैदराबाद का सकल घरेलू उत्पाद 8.7 प्रतिश की दर से बढ़ रहा है। इसके बाद सूरत का स्थाना आता है जो 7.9% की दर से बढ़ रहा है, जो सर्वाधिक तीव्र गति से विकसित होते चीनी नगरों के समतुल्य है।

चुनौतियाँ

5.1 जटिल प्रक्रिया: नगर स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद का परिकलन डेटा गहन प्रक्रिया है और इसके लिए आवश्यक काफी डेटा नगर स्तर पर ट्रैक नहीं किया जाता है, जैसे कि अंतर-नगर व्यापार। जबकि राष्ट्रीय स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद पर डेटा सहज रूप से उपलब्ध है और उसे राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (2008 के नवीनतम संस्करण) के आधार पर सूत्रबद्ध किया जाता है।

5.2 वर्तमान डेटा संग्रहण राज्यस्तरीय अनुमानों पर ध्यान केंद्रित करता है: भारत में, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय (MoSPI) राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का परिकलन करता है और राज्य स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करने के लिए कार्य प्रणाली का निर्धारण करता है। इस प्रकार प्रतिदर्श चयन (सैंपलिंग) और डेटा संग्रहण वर्तमान में राज्य स्तरीय आकलनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

5.3 नगर सीमाओं की स्पष्ट परिभाषा की आवश्यकता होती है: सकल घरेलू उत्पाद को विशिष्ट क्षेत्र में, एक विशेष समयावधि में उत्पादित आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है इसलिए नगर-सीमाओं की स्पष्ट परिभाषा अनिवार्य होती है।

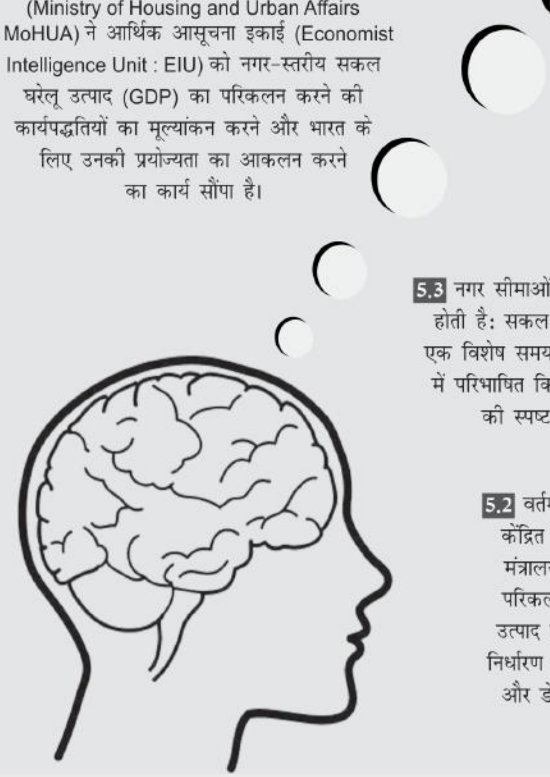

S-400 एयर डिफेंस सिस्टम

चर्चा का कारण

1.1 पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मीटिंग के दौरान S-400 डील पर मुहर लग गई है।

1.2 इस डील पर अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों की नजरें थीं। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दुनिया में सबसे अडवांस माना जाता है। भारत को इस पर तकरीबन 5 अरब डॉलर यानी 40,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

1.3 भारत इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट्स की खरीद कर रहा है। यह देश की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक होगी।

क्या है S-400

2.1 यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सर्फेस-टु-एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है।

2.2 यह दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है।

2.3 इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज-आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। यह एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है।

भारत को क्यों है इसकी जरूरत

3.1 एयर चीफ बीएस धनोआ की मानें तो S-400 भारतीय वायुसेना के लिए एक बूस्टर शॉट जैसा होगा। भारत को पड़ोसी देशों के खतरे से निपटने के लिए इसकी खासी जरूरत है।

3.2 पाकिस्तान के पास अपग्रेडेड एफ-16 से लैस 20 फाइटर स्क्वैड्रन्स हैं। इसके अलावा उसके पास चीन से मिले J-17 भी बड़ी संख्या में हैं। पड़ोसी देश और प्रतिद्वंद्वी चीन के पास 1,700 फाइटर है, जिनमें 800 4-जेनरेशन फाइटर भी शामिल हैं।

3.3 भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी के चलते दुश्मनों से निपटने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है।

3.4 इसी सप्ताह वायुसेना के चीफ धनोआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, कोई भी देश भारत की तरह खतरे का सामना नहीं कर रहा है।

3.5 हमारे दुश्मनों की नीयत रातोंरात बदल सकती है। हमें जरूरत है कि हम अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए पर्याप्त ताकत जुटाकर रखें।

रणनीतिक स्वायत्ता

4.1 बीते कई सालों से अमेरिका तमाम देशों को रूस और ईरान के साथ समझौता करने पर प्रतिबंध एवं अन्य तरह की धमकियां देता रहा है।

4.2 लेकिन भारत यदि इस समझौते पर आगे बढ़ता है तो वह यह अहम संदेश भी देगा कि वह रूस और अमेरिका पर निर्भर जरूर है, लेकिन रणनीतिक रूप से स्वायत्त है।

डील में क्या समस्या है

5.1 रूस के साथ डिफेंस डील के चलते अमेरिका भारत पर कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकता है। यूक्रेन में रूस के दखल और अमेरिकी चुनावों में कथित दखल के बाद से अमेरिका ने उस पर CAATSA लागू किया है।

5.2 इसके तहत ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के साथ कारोबार करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

5.3 सितंबर में अमेरिकी प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ी ट्रांजैक्शन के तौर पर माना जाएगा और इस पर CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

चीन के पास पहले से मौजूद है S-400

6.1 चीन ऐसा पहला देश है, जिसने रूस से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। गवर्नमेंट-टु-गवर्नमेंट डील के तहत उसने 2014 में यह सिस्टम लिया था।

6.2 चीन को रूस की ओर से इनकी आपूर्ति भी शुरू हो गई है। हालांकि चीन को दिए गए मिसाइल सिस्टम्स की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत के अलावा रूस कतर को इस सिस्टम को बेचने के लिए बातचीत कर रहा है।

रूस ने अप्रैल 2007 में किया था तैनात

7.1 400 किलोमीटर तक मार करने वाले इस सिस्टम को रूस ने 28 अप्रैल, 2007 को तैनात किया था। मौजूदा दौर का यह सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है।

7.2 एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजरायल और अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है, लेकिन उनके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं।

7.3 इसकी बजाय रूस के पास कम दूरी में मजबूती से मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने में सक्षम है, जिसके जरिए अटैक का भारत पर खतरा रहता है।

1967 में सोवियत ने बनाया था S-200 सिस्टम

8.1 1967 में सोवियत यूनियन ने S-200 अंगारा एयर डिफेंस सिस्टम का विकास किया था। इसके बाद 1978 में एस-300 को विकसित किया गया था। इनका इस्तेमाल आज भी होता है। इसके बाद 28 अप्रैल, 2007 को रूस ने एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया। वर्ष 2020 तक रूस एस-500 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की तैयारी में है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. मृदा नमी नक्शा

प्र. हाल ही में चर्चित ''मृदा नमी नक्शा'' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. आने वाले रबी मौसम को देखते हुए आईआईटी (IIT) मुम्बई व भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संयुक्त रूप से पूरे देश के लिए यह पूर्वानुमान तैयार किया है।
2. यह पूर्वानुमान 7-7 दिन और 1-1 महीने के लिए अलग-अलग होगा।
3. चर्चित पूर्वानुमान का पूरा विवरण भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
4. मिट्‌टी की आर्द्रता की भविष्यवाणी के लिए विशेषज्ञों ने हाइड्रोलॉजिकल मॉडल (Hydrological Model) को अपनाया है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से गलत है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 व 3
(c) केवल 3 और 4 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (a)

व्याख्या: आने वाले रबी मौसम को देखते हुए आईआईटी गाँधी नगर एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने संयुक्त रूप से पूरे देश के लिए यह पूर्वानुमान तैयार किया न कि आईडीआई मुम्बई ने अत: कथन (1) गलत है इस संदर्भ में शेष तीनों कथन सही हैं। ■

2. सतत (SATAT) पहल

प्र. हाल ही में चर्चित सतत (SATAT) पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में पीएसयू ऑयल मार्किटिंग कंपनियों के साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EoI) आमंत्रित करते हुए एक अभिनव पहल सतत् (SATAT) की शुरूआत की।
2. इस पहल का उद्देश्य किफायती परिहवन के लिए सतत विकल्प (Sustanable Alternative Towards Affardalole Trans Portation & SATAT) प्रदान करना है।
3. इस पलह से जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में मदद मिलेगी।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) उपरोक्त सभी (d) उपरोक्त कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में एक अभिनव पहल सतत (SATAT) की शुरूआत की। इस संदर्भ में सभी कथन सही हैं। ■

3. कर्नाटक गुड सैमरिटन एवं चिकित्सा व्यवसाय विधेयक

प्र. कर्नाटक गुड सैमरिटन एवं चिकित्सा व्यवसाय विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले व्यक्ति के लिए पहला घण्टा सुनहला घण्टा माना जाता है जिस समय चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करने पर व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं।
2. विधेयक के अनुसार जो व्यक्ति ऐसे समय में पीड़ित मनुष्य को प्राथमिक उपचार देना चाहते हैं तो उनको सुरक्षा मिले और पुलिस की ओर से अथवा जाँच के समय उन्हें कोई परेशानी का भय न हो।
3. दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को अस्पताल में प्रवेश कराने के बाद सहायता करने वाला व्यक्ति तुरंत प्रस्थान कर सकता है।
4. बिहार भारत के पांच ऐसे शीर्षस्थ राज्यों में है जहाँ 2015 और 2016 में घटित सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक लोग मारे गये।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 4 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर्नाटक सैमरिटन एवं चिकित्सा व्यवसाय विधेयक, 2016 पर अपनी सहमति दी है। कर्नाटक (न कि बिहार) भारत के ऐसे पांच शीर्ष राज्यों में हैं, जहाँ 2015 और 2016 में घटित सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक लोग मारे गये अत: कथन (4) गलत है। इस संदर्भ में शेष तीनों कथन सही हैं। ■

4. जल हवाई अड्डा

प्र. हाल ही मे चर्चित 'जल हवाई अड्डा' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इससे क्षेत्र में पर्यटन में वृद्धि और आर्थिक अवसरों में वृद्धि होगी।
2. अपने पहले चरण में, जल हवाई अड्डों की स्थापना मणिपुर में लोकटक झील पर एवं आंध्रप्रदेश में सरदार सरोवर बांध और साबरमति रिवर फ्रंट पर की जाएगी।
3. इस पहल के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हवाई अड्डों के लिए पूर्व में लाइसेंसिंग मानदंड जारी किए थे।

4. भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने 5 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान और पंजाब की पहचान की है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) 2 और 4 (b) 1 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) 1 और 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: हाल ही में नागर विमानन मंत्रालय ने देश में जल हवाई अड्डों की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। अपने पहले चरण मे जल हवाई हड्डों की स्थापना चिल्क झील (न कि लोकटल झील) पर एवं गुजरात (न कि आंध्रप्रदेश) में सरदार सरोवर बांध और साबरमति रिवर फ्रंट पर की जाएंगी। अत: कथन 2 गलत है। इसी प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 5 राज्यों यथा ओडिशा, गुजरात, असम, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश की पहचान की है अत: कथन 4 भी गलत है। इस संदर्भ में शेष दो कथन सही हैं। ■

5. डेटा स्थानीयकरण

प्र. डेटा स्थानीयकरण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 'पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2018' का मसौदा प्रस्तावित करता है कि भारतीय नागरिकों के महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा को केवल देश के भीतर स्थित डेटा केंद्रों में ही सुरक्षित रखा जा सकता है।
2. इस अधिनियम के बाद पहली बार प्रौद्योगिकी कंपनियों को यह अनुमति प्राप्त होगी की वे कुछ विदेशी सरकारों के साथ सीधे डेटा की साझेदारी कर सकती हैं।
3. डेटा स्थानीयकरण पर श्री कृष्ण समिति का गठन किया गया था।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक संक्षिप्त निर्देश जारी करके देश में संचालित सभी भुगतान संस्थाओं से कहा है कि वे अपने लेन-देन के डेटा भारत में रखे ओर मांगे जाने पर उसे तत्काल मुहैया कराएँ। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। ■

6. नगर स्तरीय जीडीपी के लिए प्रस्ताव

प्र. नगर स्तरीय जीडीपी के लिए प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008, राष्ट्रीय खातों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक का नवीनतम संस्करण है, इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा अपनाया गया है।
2. राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का उद्देश्य खातों की एकीकृत तथा परिपूर्ण प्रणाली प्रदान करना है।
3. ''बॉटम-अप'' एप्रोच (Bottom-up approaches): ये राष्ट्रीय लेखा प्रणाली 2008 को प्रदर्शित करते हैं।
4. ''टॉप डाउन'' एप्रोच (Top-down approaches): वर्तमान राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय सकल घरेलु उत्पादों का उपयोग करके नगर स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) 1, 2 और 2 (b) 2, 3 और 4
(c) 1, 2, 3 और 4 (d) 1 और 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने आर्थिक आसूचना इकाई को नगर-स्तरीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का परिकलन करने की कार्यपद्धतियों का मूल्यांकन करने और भारत के लिए उनकी प्रयोज्यता का आकलन करने का कार्य सौंपा है। ■

7. एस–400 मिसाइल

प्र. हाल ही में चर्चित एस-400 मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. S-400 को रूस का सबसे एडवांस लान्ग रेंज सर्फेस-टू-एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है।
2. यह दुश्मन के क्रूज, एयरक्रॉफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराने में सक्षम है।
3. 400 किमी. तक मार करने वाले इस सिस्टम को रूस ने 28 अप्रैल, 2007 को तैनात किया था।
4. एयर चीफ बीएस धनोआ की मानें तो S-400 भारतीय वायु सेना के लिए एक बूस्टर शॉट जैसा होगा।

उपुर्यक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 3 और 4
(c) 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने एस-400 मिसाइल डील समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। इस प्रकार एस-400 के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. अर्थशास्त्र में 2018 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया?

   - ***अमेरिकी के दो अर्थशास्त्रियों विलियम डी नोर्डहाउस तथा पॉल रोमर को नवोन्मेष और जलवायु परिवर्तन को आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के लिए दिया गया है।***

2. किन वैज्ञानिकों ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2018 जीता?

   - ***फ्रांसेस अर्नाल्ड (अमेरिका), को एंजाइम के क्रमिक विकास पर कार्य के लिए।***
   - ***जॉर्ज स्मिथ तथा ग्रेगोरी स्मिथ को पेप्टाइड तथा एंटी-बॉडीज के फेज डिस्प्ले के लिए।***

3. भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा?

   - ***पटना (बिहार)***

4. किस राज्य ने निर्माण कार्यकर्ताओं के बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण कुसुम योजना शुरू की है?

   - ***ओडिशा***

5. किस खिलाड़ी ने भारत के लिए पहले युवा ओलंपिक स्वर्ण जीता है?

   - ***जेरेमी लालरिन्नुंगा (भारोत्तोलन)***

6. हाल ही में लखनऊ में शुरू चौथे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2018 की थीम क्या है?

   - ***बदलाव के लिए विज्ञान***

7. स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 के तहत कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है?

   - ***हरियाणा***

सात महत्वपूर्ण सम्मेलन

1. चौथा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन

- 'बिम्सटेक' (BIMSTEC:Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) की चौथी शिखर बैठक का आयोजन नेपाल में किया गया।
- यह शिखर बैठक 30-31 अगस्त, 2018 के मध्य काठमांडू (नेपाल) में आयोजित हुई।
- चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता नेपाल द्वारा की गई।
- नेपाल में यह शिखर सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया।
- सम्मेलन के दौरान सदस्य राष्ट्रों ने ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए 'बिम्सटेक ग्रिड इंटरकनेक्शन' (BIMSTEC Grid Interconnection) की स्थापना हेतु एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2020 में भारत में आयोजित होने वाले 'अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन' (International Budhist Conclave) में शामिल होने के लिए सभी बिम्सटेक देशों के नेताओं को आमंत्रित किया।
  - श्री मोदी ने भारत द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय में 'सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल स्टडीज' की स्थापना किए जाने की भी घोषणा की।
- दो दिवसीय बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर 18 बिंदुओं वाला 'काठमांडू घोषणा-पत्र' (Kathmandu Declaration) जारी किया गया।
- 31 अगस्त, 2018 को सम्मेलन के समापन अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने बिम्सटेक की अध्यक्षता श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रिपाला सिरिसेना को सौंप दी।
- बिम्सटेक सहयोग 14 क्षेत्रों पर केन्द्रित है।
- यह क्षेत्र है-व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन और संचार, पर्यटन, मत्स्यपालन, कृषि, सांस्कृतिक सहयोग, पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, लोगों से लोगों के संपर्क, आतंकवाद एवं अंतर्राष्ट्रीय अपराध तथा जलवायु परिवर्तन।
- ज्ञातव्य है कि 'बिम्सटेक' की स्थापना वर्ष 1997 में हुई थी।
- यह एक क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसके 7 सदस्य देश-बंग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल हैं।
- ज्ञातव्य है कि बिम्सटेक के तीन शिखर सम्मेलन (वर्ष 2004, 2008 एवं 2014) संपन्न हो चुके हैं।

2. तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन

- 27-28 अगस्त, 2018 के मध्य वियतनाम की राजधानी हनोई में तीसरा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ।
  - इस सम्मेलन का मुख्य विषय 'क्षेत्रीय ढांचे का निर्माण' (Building Regional Architectures) था।
  - ज्ञातव्य है कि हिंद महासागर सम्मेलन के पहले दो संस्करणों का आयोजन वर्ष 2016 और वर्ष 2017 में क्रमशः सिंगापुर और श्रीलंका में हुआ था।
- हिन्द महासागर सम्मेलन, भारतीय विदेश नीति की थिंक टैंक संस्था 'इंडिया फाउंडेशन' की पहल है। इस पहल में भारतीय विदेश मंत्रालय भी 'इंडिया फाउंडेशन' का सहयोग करता है।
- इंडिया फाउंडेशन द्वारा वार्षिक आधार पर आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में सिंगापुर, श्रीलंका और बांग्लादेश के साझीदार भी शामिल हैं।
- तीसरे हिंद महासागर सम्मेलन में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सहित 43 देशों के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
  - गौरतलब है कि इस सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित राज्यों/सरकारों के प्रमुखों, मंत्रियों, विचारकों, विद्वानों, राजनयिकों, नौकरशाहों और चिकित्सकों को एक मंच पर लाकर आपसी निकटता, सहयोग और समझ में वृद्धि करना है।

3. ब्रिक्स 10वां शिखर सम्मेलन

- ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का 10वां शिखर सम्मेलन 25-27 जुलाई, 2018 के मध्य जोहॉन्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में संपन्न हुआ।

- इस सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई।
- 10वें शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम (Theme) "अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए सहयोग" है।
- इस सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्राध्यक्षों ने वैश्विक ज्वलंत मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, वैश्विक नियमन तथा व्यापार आदि पर चर्चा की तथा सर्वसम्मति से 'जोहॉन्सबर्ग घोषणा-पत्र' को अपनाया।
- जोहॉन्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान उभरते बाजारों और विकासशील देशों (EMDCs) के साथ ब्रिक्स-अफ्रीका आउटरीच और दूसरे ब्रिक्स प्लस की मेजबानी का स्वागत किया गया है।

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25-27 जुलाई, 2018 के मध्य दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान ब्रिक्स सम्मेलन, 2018 में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
- 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में ब्राजील में आयोजित किया जाएगा।
  - ज्ञातव्य है कि ब्रिक्स का नौवां शिखर सम्मेलन 3-5 सिंतबर, 2017 के मध्य चीन के शियामेन शहर में आयोजित किया गया।
  - 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय (Theme)- "ब्रिक्स: उज्ज्वल भविष्य के लिए मजबूत साझेदारी" (BRICS: Stronger Partnership for Brighter Future) था।

4. शंघाई सहयोग संगठन का 18वां शिखर सम्मेलन

- 9-10 जून, 2018 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन (SCO) का 18वां शिखर सम्मेलन किंगदाओ, चीन में संपन्न हुआ, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया।
  - इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी और अध्यक्षता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने की।
  - यह चौथा अवसर है, जब चीन ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है।
- इसके पूर्व वर्ष 2001 (पहला), 2006 तथा 2012 में भी चीन ने इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी।
  - इस शिखर सम्मेलन में भारत ने पहली बार पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया।
- ध्यातव्य है कि एससीओ (SCO) के 17वें शिखर सम्मेलन (वर्ष 2017 में) इस संगठन की विस्तार प्रक्रिया के तहत भारत तथा पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य देश का दर्जा प्रदान किया गया था।
  - भारत और पाकिस्तान के शामिल होने के बाद इस संगठन की सदस्य संख्या बढ़कर आठ हो गई है।
  - इसके अन्य सदस्य देशों में चीन, कजाख्स्तान, किर्गिजस्तान, रूस, ताजिकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान शामिल हैं।
  - वर्तमान में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान तथा मंगोलिया पर्यवेक्षक देश हैं।

5. जी-7 शिखर सम्मेलन

- 8-9 जून, 2018 के मध्य आयोजित 44वें जी-7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी व अध्यक्षता कनाडा द्वारा की गई।
  - सम्मेलन का आयोजन चार्लेवोइक्स (Charlevoix), क्यूबेक सिटी, कनाडा में हुआ।
- यह छठा अवसर है, जब कनाडा ने इस सम्मेलन की मेजबानी की।
- 44वें जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा में, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे और इटली के प्रधानमंत्री गिउसेपे कोंटे (Giueseppe Conte) शामिल हुए।
- यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर (Jean Claude Juncker) तथा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क (Donald Tusk) ने यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व शिखर सम्मेलन में किया।
- फ्रांस की सरकार व राजनीतिक समीक्षकों ने 44वें शिखर सम्मेलन को 'G6+1' सम्मेलन करार दिया।
  - 'G6+1' से अभिप्राय अमेरिका का अन्य सदस्य देशों के साथ विभिन्न मुद्दों पर टकराव से है।
- 44वें शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि 'लैंगिक समानता सलाहकार परिषद' (Gender Equality Advisory Council) का गठन है।
- सलाहकार परिषद जी-7 के सदस्य देशों को महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता के मुद्दों पर परामर्श देने का कार्य करेगी।
- जी-7 के राष्ट्रों का 45वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2019 में फ्रांस में प्रस्तावित है।

6. चोगाम-2018

- यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में 19-20 अप्रैल, 2018 के मध्य राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की शिखर बैठक 'चोगम 2018' का आयोजन किया गया।
  - भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

- सम्मेलन की थीम- 'साझे भविष्य की ओर' (Towards a Common Future) थी।
- इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों से 'महिलाओं के विरुद्ध विभेद के सभी रूपों की समाप्ति हेतु अभिसमय' (CEDAW- Convention on the Elimination Against Women) को पारित कराने एवं प्रभावी करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की गई।

- राष्ट्रमंडल राष्ट्र प्रमुखों की 26वीं बैठक वर्ष 2020 में रवांडा में तथा 27वीं बैठक वर्ष 2022 में समोआ में प्रस्तावित है।

7. अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन 11 मार्च, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
    - सम्मेलन का आयोजन भारत एवं फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
    - भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त रूप से शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों द्वारा 'दिल्ली सौर एजेंडा' प्रस्तुत किया गया।
    - एजेंडे में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषण में 10 सूत्रीय कार्रवाई योजना को रेखांकित किया, जिससे सौर ऊर्जा के प्रसार में मदद मिलेगी।
    - भारत, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का संस्थापक सदस्य है।
- इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है।
    - जुलाई, 2018 में म्यांमार अंतराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 69वां देश बना।

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. पर्यावरण हितैषी कार्यक्रम चलाने वाली संस्था ग्रीनपीस के अनुसार कोका कोला, पोप्सिकों और नेश्ले जैसी कंपनियाँ सबसे अधिक प्लास्टिक प्रदूषण फैलाती हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के कारणों का उल्लेख करते हुए इसके लिए उचित समाधान सुझायें।

2. आईएमएफ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनियाँ में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करें।

3. कार्य संस्कृति से क्या तात्पर्य है? एक अनुकूल कार्य संस्कृति के महत्व का उल्लेख करें।

4. भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास 'जेआईएमईएक्स 18' विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। एशिया में स्थिरता के लिए भारत-जापान संबंधों के महत्व को दर्शायें।

5. ओयन गवर्नमेंट डाटा की अवधारणा क्या है? यह किस प्रकार प्रशासन को बेहतर बनाने में सक्षम है?

6. हाल ही में सरकार द्वारा बायो फ्यूल नीति-2018 घोषित की गई। इस नीति के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करें।

7. आप इस मत से कहाँ तक सहमत है कि अधिकरण सामान्य न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते है? उपर्युक्त मत को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक वैधता तथा सक्षमता की विवेचना कीजिए।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

THE JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH THE FIRST STEP

Comprehensive All India

IAS PRELIMS TEST SERIES PROGRAMME - 2019
(OFFLINE & ONLINE)

Reshape Your Prelims Strategy with us.

कार्यक्रम विवरण

कुल टेस्ट 31

18th Nov. to 19th May, 2019

GS-25, CSAT-6

मुख्य विशेषताएँ:

- प्रश्नों की बदलती प्रकृति एवं प्रवृत्ति के अनुसार सिविल सेवा प्रतियोगियों को उनके अध्ययन की रणनीति एवं स्रोत को पुनः आकार देने की आवश्यकता है। अतः हमारा प्रयास प्रतियोगियों के दृष्टिकोण को प्रारंभिक परीक्षा के प्रति विस्तृत करना है।
- इस उद्देश्य हेतु हमारा मुख्य केन्द्र बिन्दु इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया ईयर बुक, सरकारी वेबसाइटें, मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट एवं समसामयिक मुद्दों पर होगा।
- टेस्ट सीरीज यूपीएससी की परीक्षा के समरूप होगी।
- टेस्ट सीरीज में प्रतियोगियों को अधिक संख्या में सम्मिलित विद्यार्थियों के कारण उचित प्रतियोगी वातावरण प्राप्त होगा, क्योंकि यह अखिल भारतीय स्तर पर एवं हमारे सभी केन्द्रों पर आयोजित होगी।
- चूंकि अब सीसैट पेपर-II के अंक मूल्यांकन में नहीं जोड़े जाते बल्कि केवल इसे उत्तीर्ण करना आवश्यक है अतः हमने आवश्यकता के अनुरूप 6 सीसैट टेस्ट को संपूर्ण सामान्य अध्ययन टेस्ट के साथ कराने की योजना बनायी है।
- परीक्षण पुस्तिका 4 सेटों A, B, C एवं D में एवं मुद्रित प्रारूप में होगी।
- प्रत्येक टेस्ट के बाद व्याख्यात्मक उत्तर प्रदान किये जायेंगे।
- परीक्षण पुस्तिका एवं व्याख्यात्मक उत्तर दोनों को यूपीएससी के अनुरूप द्विभाषी प्रारूप में निर्मित किया जायेगा।
- OMR को अखिल भारतीय रैंकिंग के अनुसार मूल्यांकित किया जायेगा।

शुल्क विवरण

OFFLINE

ध्येय विद्यार्थी: ₹ 5000/-

अन्य विद्यार्थी: ₹ 7000/-

ONLINE

ध्येय विद्यार्थी: ₹ 3000/-

अन्य विद्यार्थी: ₹ 5000/-

मेधावी छात्रों हेतु आकर्षक अवसर

सामान्य अध्ययन मेरिट परीक्षा

4th NOVEMBER

12:00- 2:00 PM

100 सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए 100% निःशुल्क

Face to Face Centres

MUKHERJEE NAGAR : 011-49274400 | 9205274741, **RAJENDRA NAGAR** : 011-41251555 | 9205274743, **LAXMI NAGAR** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW** : 0522-4025825 | 9506256789, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038 **BHUBANESWAR** : 08599071555

Live Streaming Centres

BIHAR - PATNA 9334100961, **CHANDIGARH** - 8146199399, **DELHI & NCR** - FARIDABAD 9711394350, 01294054621, **GUJRAT** - AHMEDABAD 9879113469, **HARYANA** - HISAR 9996887708, KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR - 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR - 9907553215, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA - 9926207755, 7662408099, **PUNJAB** - JALANDHAR 9888777887, PATIALA 9041030070, LUDHIANA 9876218943, **RAJASTHAN** - JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND** - HALDWANI 7060172525, **UTTAR PRADESH** - ALIGARH - 9837877879, 9412175550 BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570090003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

Dhyeya IAS Now on WhatsApp

Join Dhyeya IAS Whatsapp Group by Sending

"Hi Dhyeya IAS" Message on 9355174440.

You can also join Whatsapp Group through our website

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400